तृतीय माला, खण्ड १५--अंक २८

मंगलवार, २६ मार्च, १९६३
५ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५७६ से ५८० और ५८२ से ५९० . . २६८७—२७१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ और ५९१ से ६०१ . . २७१३—१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११४९, ११५१ से ११८५ और ११८८ से ११९४ २७१८—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २७५१

अनुदानों की मांगें . . २७५२—२८०५

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय—

डा० सारादीश राय २७५२–५३

श्री श० ना० चतुर्वेदी २७५३–५४

श्री रंगा २७५५

श्री शं० शा० मोरे २७५६

श्री ओंकार सिंह २७५६–५८

श्री अ० प्र० जैन २७५८–५९

श्री विश्राम प्रसाद . . . . . २७५९—६३

डा० क० ल० राव . . . . २७६३ —६६

श्री कर्णी सिंहजी २७६६–६७

श्रीमती शकुन्तला देवी . . . २७६७—७०

श्रीमती विमला देवी . . २७७०–७१

श्री दासप्पा २७७१–७२

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . २७७२—७४

श्री खाडिलकर २७७४–७५

श्री ओझा २७७५–७६

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २६ मार्च, १९६३

५ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में वृत्ताकार रेलमार्ग

+

*५७६. श्री ला० म० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चारों ओर एक वृत्ताकार रेलमार्ग बनाने और रेलगाड़ियां चलाने की योजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९६२–६३ के आय-व्ययक में इस कार्य के लिये निर्धारित धनराशि में से कितनी व्यय हुई है तथा कितनी शेष है ; और

(ग) इस योजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जो प्रायोजना मंजूर की गई है उसका नाम "दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली-मथुरा लाइन को शकूरबस्ती से और शकूरबस्ती को बादली से मिलाने के लिये माल परिहार लाइनें (रिंग रेलवे)" है। छावनी में पड़ने वाले हिस्से को छोड़कर बाक़ी हिस्से में लाइन का एलाइनमेंट तय हो चुका है और ज़मीन लेने के संबंध में कार्र-

62(Ai)LSD—1

बाई की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के परामर्श से छावनी क्षेत्र में भी लाइन का एलाइनमेंट तय किया जा रहा है। लाइन के कुछ हिस्सों में मिट्टी के काम के लिए टैंडर भी खोले जा चुके हैं।

(ख) १९६२-६३ में जनवरी, १९६३ के अंत तक ४८,३३,००० रुपये खर्च हुए और आशा है कि बाक़ी २,७५,००० रुपये मार्च, १९६३ के अंत तक खर्च हो जायेंगे।

(ग) इस बात की संभावना है कि ज़मीन पर कब्ज़ा मिल जाने के बाद यह प्रायोजना ३½ साल में पूरी हो जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के इर्दगिर्द रिंग रेलवे में कुल कितने स्टेशन होंगे और क्या वह सभी बस्तियाँ इस में आ जायेंगी जहाँ पर कि सरकारी कर्मचारी रहते हैं और क्या उनको रिंग रेलवे की सुविधा मिल सकेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि यह जो रिंग रेलवे बनाई जा रही है दरअसल यह दिल्ली के लिए ऐवायडिंग लाइन देगी, जो मालगाड़ियाँ बम्बई वग़ैरह की तरफ से आती हैं हम उनको दिल्ली या नई दिल्ली स्टेशनों में लाये बग़ैर बाहर बाहर से ही कुछ को ग़ाज़ियाबाद की तरफ़ से और कुछ को बादली की तरफ़ से पानीपित और सोनीपत लाइन की तरफ़ से भेज देंगे। इस काम को करने के साथ साथ इस रिंग रेलवे द्वारा दिल्ली से दूर बसी हुई बस्तियों के निवासियों को यातायात की भी सुविधा सुलभ होगी। तीन नये स्टेशन्स हमारा खोलने का विचार है। एक तो सफ़दरजंग का होगा ....

अध्यक्ष महोदय : जो नई बस्तियाँ हैं और जहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं....

श्री शाहनवाज़ खां : जी हाँ, मैं ने फ़रमाया तो कि बहुत सी बस्तियों को इससे फ़ायदा होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस रिंग रेलवे का टरमिनस कहाँ होगा यह रुकेगी कहाँ पर ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह हज़रत निज़ामुद्दीन से सफदरजंग की तरफ होती हुई दिल्ली से छावनी से सब्ज़ी मंडी की तरफ़ जायेगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि भूमि प्राप्त कर लिये जाने के बाद इस में तीन-चार वर्ष लग जायेंगे। भूमि के अनुमानतः कितने समय में प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता क्योंकि यह तो भूमि अर्जन प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे मुख्यतः प्रतिरक्षा प्राधिकारियों से कितनी जल्दी भूमि का अर्जन करती हैं। भूमि के कुछ अंश ऐसे हैं जो छावनी क्षेत्र में आते हैं। हमने उन के साथ सम्पर्क बनाये रखा है। मुझे आशा है कि इस में अधिक समय नहीं लगेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या कारण है कि उपनगरीय रेलवे में विद्युत् कर्षण की बजाय वाष्प कर्षण को वरीयता दी जाती है यद्यपि इसमें धूयें के छोड़े जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैं ने अभी कहा, इसके पीछे मुख्य विचार यही था कि प्रमुख रूप से माल परिवहन के लिये मार्गों के साथ सम्बन्ध जोड़ने वाली वैकल्पिक लाइनें बनाई जायें ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या इस से स्थानीय जनता को लाभ पहुंचेगा तथा स्थानीय यातायात में भी सुविधा होगी ? बड़े बड़े नगरों में यातायात के लिये मानोरेल क्योंकि रेल का नवीनतम प्रकार है, क्या सरकार ने इस के स्थान पर मानोरेल चलाने पर कोई ध्यान दिया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस में मुझे कोई संदेह नहीं है कि स्थानीय जनता को इस से बहुत लाभ होगा । जैसा कि मैं ने बताया है, इस वैकल्पिक लाइन को बनाने का मुख्य प्रयोजन माल परिवहन के लाने-ले जाने के लिये सुविधायें प्रदान करना है और इसलिये मानोरेल चलाने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : अर्जित भूमि के लिये कम प्रतिकर दिये जाने के बारे में कितनी शिकायतें आई हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे मंत्रालय के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भूमि अर्जन अधिकारी ही यह काम करता है ।

श्री कछवाय : जिस तरह दिल्ली की घनी बस्तियों को यह रिंग रेलवे की सुविधा दी जा रही है क्या अन्य शहरों में भी इसी तरह की रेलवे की सुविधा देने का विचार हो रहा है, यदि हां, तो कहां कहां ?

श्री शाहनवाज खां : वह तो अलग अलग जब और जहां सवाल पैदा होता है तो उस पर फैसला किया जाता है । मिसाल के तौर पर बम्बई या कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर हैं जहां कि यह सुविधा दी हुई है । जहां भी यह सवाल पैदा होता है वहां के लिये अलहदा तौर पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली में रेल के पुल पर यातायात

\+

*५७७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना पर नावों का पुल बन जाने से रेल के पुल पर यातायात में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) क्या इसी तरह के कुछ और पुल बनाने का भी विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कोई और पुल बनाने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में यमुना पर यह नावों का दूसरा पुल जो बनाया गया है जिससे दिल्ली में रेल के पुल पर यातायात में पर्याप्त सुविधा मिली है, तो क्या सरकार ने इस बात की भी कोई जानकारी ली है कि यह साल में कितने मास तक जारी रह सकेगा और जिन दिनों यह पुल नहीं रहेगा उस समय यातायात की सुविधा के लिये और क्या व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राज बहादुर : स्पष्ट है कि नावों का पुल बाढ़ के वक्त जारी नहीं रह सकता है । यह पुल नवम्बर से जून तक हर वर्ष रहेगा । इस के बनने से जो सुविधा मिली है वह यह है कि सवेरे आठ बजे से ग्यारह बजे तक और शाम को पांच बजे से आठ बजे तक जितनी साइकिल ट्रैफिक या पैडेस्ट्रियन ट्रैफिक है वह सब इस नाव के पुल से पास किया जाता है । अनुमान लगाया गया है कि लगभग ३० हजार आदमी या साइकिल जो कुछ भी हैं, करीब ३० हजार आदमी इस छै घंटे के अर्से में इस पुल से गुजर कर पार होते हैं बाकी अर्से में कोई ५००० व्यक्ति पुल से पार होते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह था कि बाढ़ के दिनों में जब यह पुल नहीं रहेगा और ट्रैफिक का प्रैशर ज्यादा होगा तो उसके लिये क्या कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : एक सवाल में कई सवाल थे और मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त याद नहीं रख सका । उम्मीद की जाती है कि वजीराबाद का पुल तैयार हो जायगा जोकि अप्रैल के आखिर तक खोल देंगे । इसके अलावा दो और पुल बन रहे हैं । जिन में एक और पुल हमायुं के मकबरे के पास सड़क का पुल बनाया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि वजीराबाद का पुल जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि अप्रैल के आखिर तक उसके खुल जाने की सम्भावना है, दूसरा पुल जो आप यमुना पर बना रहे हैं उस के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : उस के पूरा हो जाने की उम्मीद तो जल्दी थी लेकिन अभी हाल में ऐसा हुआ कि उस जगह पर कि जहां पुल बनाया जा रहा था, जमुना का रुख कुछ बदल गया जिसकी वजह से जहां उसकी बुनियादें लगानी थीं और जो काम करना था उसमें कुछ फर्क आया । जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसने अपनी कौस्ट कुछ बढ़ा कर मांगी है । यह सब सवालात जेरगौर हैं । इस बीच में एक तरफ का एप्रोच तो बन चुका है और दूसरी तरफ बन रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने हुमायुं के मकबरे के पास जिस पुल के बनाये जाने का उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि उस पुल के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : मैंने उस का जवाब दे दिया है ।

श्री भक्त दर्शन : बजीराबाद और हुमायुं के मक़बरे के पास जो पुल बनने वाले हैं, उनसे यातायात में जरूर कुछ सुविधा मिलेगी लेकिन जो असल ट्रैफिक का प्रैशर है वह तो दिल्ली के यमुना पुल पर है तो क्या उस पुल के किनारों को चौड़ा करने की किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : उम्मीद यह की जाती है कि जो ट्रैफिक वर्तमान यमुना पुल पर है वह ट्रैफ़िक वज़ीराबाद और हुमायुं के मक़बरे के पास बन रहे पुलों की ओर डाइवर्ट कर दिया जायगा और इस से दिल्ली के यमुना पुल पर ट्रैफ़िक का प्रैशर काफ़ी कम हो सकेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि परसों २४ तारीख़ को इतवार के दिन इस पुल पर जो पुलिस खड़ी थी उसने सुबह आठ बजे से ले कर दो बजे तक इस नाव के नये बने हुए पुल को बंद रक्खा क्या ऐसा उसने सिर्फ अपनी पुलिस शाही दिखाने के लिए और जनता को तंग करने के लिए किया ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि पुलिस ने बिला बजह पुल को बन्द किया होगा । मेरे नोटिस में कम से कम यह चीज़ नहीं है ।

कृषि-उत्पादों के मूल्य

\+

†*५७८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ।
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री हेडा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामसेवक यादव :
श्री राम हरक यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कृषि-उत्पादों के मूल्य निश्चित करने के लिये एक बोर्ड का गठन करने का है, जो केबिनट को समय समय पर परामर्श दिया करे ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का स्वरूप क्या होगा तथा उसमें कितने सदस्य होंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बोर्ड की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कृषि उत्पादों के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादों के भी मूल्य निश्चित करे ; और

(घ) उक्त बोर्ड कब तक स्थापित होगा तथा इस संबंध में किसानों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (घ). कृषि मूल्यों के बारे में मंत्रणा समिति या बोर्ड बनाने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : कृषि उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण का यह प्रश्न बहुत लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। मैं उन मुख्य कठिनाइयों के बारे में जानना चाहता हूं जिनके कारण शीघ्र निर्णय नहीं हो पा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : ठीक है कि २४ नवम्बर, १९५९ से यह बात सरकार के विचाराधीन है और त्रिमण्डल के पास इसे सितम्बर १९६० में पहुंचाया गया था। बाद में इसे अस्थायी तौर पर छोड़ दिया गया परन्तु हाल ही में फरवरी १९६३ में कृषि संबंधी तालिका ने सुझाव दिया कि कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करने के लिये एक मन्त्रणा समिति बनाई जानी चाहिये और मंत्रालय इसकी भी जांच कर रहा है कि थोक भावों को नियंत्रित करने और थोक तथा फुटकर व्यापार की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिये एक कृषि उत्पाद बोर्ड बनाया जाये या नहीं। इस पर सक्रिय विचार हो रहा है।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : यह देखते हुये कि इस समय ऐसी कोई एजेंसी नहीं है और निकट भविष्य में भी शायद न हो, इस समय मूल्यों के निर्धारण के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : चावल के अधिप्राप्ति मूल्य के बारे में हमने निर्णय कर लिया है और गेहूं की कम से कम कीमत की भी घोषणा कर दी गई है। पटसन और कपास के बारे में कम से कम कीमत घोषित कर दी गई है और उसका पालन भी हो रहा है। पटसन में आसाम बाटम का मूल्य घोषित कर दिया गया है।

†**श्री रंगा** : यह देखते हुये कि मंत्री महोदय ने पीछे एक दिन कहा था कि कृषि का उपभोक्ता अभिस्थापन की बजाय उत्पादक अभिस्थान होगा, क्या कारण है कि जो निर्णय तभी १९५९ में किया जाने वाला था वह अभी तक नहीं किया गया है। उस प्रस्ताव की प्रगति अथवा विफलता के बारे में माननीय मंत्री ने जो जानकारी दी है उसके लिये हम धन्यवादी हैं। 'उत्पादक अभिस्थापन' नीति की इस घोषणा को इस समय किस प्रक्रम पर समझा जाना चाहिये ? क्या यह संबंधित मंत्रालय के स्तर पर है अथवा मंत्रिमण्डल के अथवा मंत्रिमण्डल की किसी उप-समिति के ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि आप जानते हैं यह घोषणा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद के उत्तर में की गई थी और मैं समझता हूं कि मंत्रालय उस घोषणा को सम्पूर्ण रूप में क्रियान्वित कराने में सफल होगा और हम उसे क्रियान्वित करेंगे।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिलसिले में कृषि-उत्पादन के लागत खर्च का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : कृषि-उत्पादन के लागत खर्च का अध्ययन करने के लिये चार राज्यों में छानबीन कराई जा रही है और उसका कुछ ज्यादा व्यापक रूप से अध्ययन अगले दिनों में कराया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वास्तविक समस्या केवल कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की ही नहीं है अपितु औद्योगिक वस्तुओं के साथ इन्हें मिलाने की भी है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के साथ बातचीत आरम्भ करने वाला है ताकि मूल्यों के समग्र प्रश्न पर निर्णय किया जा सके ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम व्यापारिक फसलों, विशेषतः पटसन, कपास इत्यादि, के मूल्यों के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के साथ सतत सम्पर्क में रहते हैं और इस पर अवश्य ध्यान देते हैं कि कच्चे पटसन और कच्ची कपास के मूल्य निर्मित वस्तुओं के मूल्यों से मिल जाये और यदि कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

अनियमतता रही तो हम प्रयत्न करेंगे कि किसी न किसी प्रकार की वास्तविक क्षमता बनाई रखी जाये ।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से चार राज्य हैं, जहां इस बारे में छानबीन कराई जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र में दो साल से अध्ययन कराया जा रहा है ।

श्री यशपाल सिंह : इस बोर्ड में किस तरह के लोग रखे गए हैं ? क्या पार्लियामेंट के मेम्बर भी इस में शामिल हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी बोर्ड बना नहीं है, लेकिन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री शं० शा० मोरे** : पारिश्रमिक मूल्यों के दृष्टिकोण से क्या सरकार ने परिशुद्ध और विश्वस्त सामग्री एकत्रित करने के लिये निदश जारी किए हैं और यदि हां, तो किन फसलों के बारे में ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : कोई सामान्य निदेश जारी नहीं किया गया है। परन्तु आने वाले महीनों और वर्षों में हम जांच करेंगे कि सामग्री को अधिक से अधिक अच्छे ढंग से कैसे इकट्ठा किया जाये ?

†**श्री दे० शि० पाटिल** : क्या प्लानिंग कमीशन ने फसलों के उत्पादन-व्यय की जांच करने के लिये एक समिति के संगठन की सिफारिश की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल है ।

गुड़ तथा खांडसारी बनाने पर प्रतिबन्ध

†*५७९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सभी चीनी कारखानों के नियत क्षेत्रों में गुड़ तथा खाण्डसारी के बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या खाण्डसारी और गुड़ की कोई निर्यात मण्डी है ? और

(ग) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में चीनी का मूल्य ३० प्रतिशत से ४ प्रतिशत तक बढ़ गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों को नियत करते हुये एक आदेश जारी किया है जिनका गन्ना उत्पादकों द्वारा संबंधित मिलों को संभरित करना होगा तथा मिलों को उसे खरीदना पड़ेगा इसके परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में गुड और खाण्डसारी बनाने वाली विद्युत्-चालित गन्ना पेरने की मशीनों का प्रयोग किया जाना बन्द हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यद्यपि गुड़ और खाण्डसारी के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, प्रचलित ऊंचे मूल्यों पर उनके निर्यात की बहुत थोड़ी गुंजाइश दिखाई देती है।

(ग) जी हां। मूल्य १०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या हम वे कारण जान सकते हैं जो पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये दिए हैं ?

†**श्री शिन्दे** : जैसा कि सर्वज्ञात है, इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में कुछ कमी हुई है तथा इसके अतिरिक्त गुड़ और खाण्डसारी के प्रचलित ऊंचे मूल्यों के कारण गुड़ और खाण्डसारी बनाये जाने के लिये बहुत सा गन्ना उस ओर चला जाता है। डर था कि चीनी के अधिकतर कारखाने सामान्य समय से बहुत पहले ही बन्द हो जाने पर विवश हो जायेंगे। इसीलिये पंजाब सरकार ने यह आदेश जारी किया था।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने गुड़ उत्पादकों के दावों की जांच कर ली है कि चीनी के मूल्य में कमती-बढ़ती का गुड़ के उत्पादन से कोई संबंध नहीं है तथा यह कहां तक न्यायसंगत हैं ?

†**श्री शिन्दे** : इस आदेश को निकालने से पहले पंजाब सरकार ने इन सभी ब्योरों की जांच कर ली थी।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को देखते हुये कि खाण्डसारी के बनाये जाने से चीनी के उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत का घाटा होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खाण्डस री के निर्यात से कोई लाभ हुआ है ?

†**श्री शिन्दे** : खाण्डसारी के निर्यात की सम्भावनायें बहुत सीमित हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में साधारणतः या तो खाण्ड की मांग है या सफेद दानेदार चीनी की। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में खाण्ड अथवा सफेद दानेदार चीनी की प्रचलित कीमतों की तुलना में खाण्ड-सारी की कीमत अधिक प्रतियोगात्मक नहीं हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अभी अभी बताया गया कि चीनी का मूल्य १०० प्रतिशत तक बढ़ गया है और खाण्डसारी तथा गुड़ क्योंकि निर्धन लोगों का भोजन है, क्या मैं जान सकती हूं कि मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि निर्धन लोगों को कष्ट न हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : १०० प्रतिशत की वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में हुई है, स्थानीय मूल्य में नहीं। गुड़ और खाण्डसारी के विकर्षण का जहां तक संबध है पहली बात तो यह है कि यह वांछित नहीं है क्यों कि प्राप्ति में बहुत कुछ व्यर्थ चला जाता है ; दानेदार चीनी की अपेक्षा गुड़ और खाण्डसारी में सुक्रोज की यात्रा बहुत कम होती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : खाण्डसारी की कीमतें बढ़ी हैं या नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरे सहयोगी बता चुके हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भावत झा आजाद : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि पंजाब सरकार के इस आदेश का खाण्डसारी और गुड़ के व्यवसायों पर अब तक क्या असर पड़ा है ?

†**श्री शिन्दे** : आदेश केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जो कारखाने के आसपास होते हैं और गन्ने को उस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो उन चीनी के कारखानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। उन कारखानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु जो कारखाने चीनी कारखानों के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें अपना काम बन्द करना पड़ा था, उन पर प्रभाव पड़ता है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : गुड़ और खाण्डसारी बनाने पर पंजाब के जिन इलाकों में पाबन्दी लगाई गई है, वहां पर किसानों को जितना अधिक पैसा गुड़ और खाण्डसारी बनाने में मिलता था, मिलों को गन्ना बेचने में उन को उतने पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। इस लिये किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

†**श्री शिन्दे** : गन्ने की कीमतें सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं, न्यूनतम कीमत घोषित की जाती है तथा चीनी कारखानों को अधिक ऊंचे भुगतान से रोका नहीं जाता है।

श्री प्रिय गुप्त : चीनी में कुछ फीसदी मुनाफा मिल मालिकों को मिले, इसको ही आपने ध्यान में रखा प्रतीत होता है और किसान जो खाण्डसारी या गुड़ तैयार करते हैं अपने खाने के लिए, या वे लोग तैयार करते हैं जो छोटे लोग हैं, गरीब जनता के पास बेचने के लिए, उन पर जो पाबन्दी लगाई गई है इससे क्या उनकी इकोनोमी तबाह नहीं हो जाएगी और क्या किसान की इकोनोमी मारी नहीं जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो आर्गू कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इल्म है कि जिन इलाकों में चीनी की मिलें बन्द हो चुकी हैं, उन इलाकों में भी जो अपना गन्ना पेरने के लिये क्रशर चला रहे हैं गुड़ बनाने के लिये, उन काश्तकारों का भी चालान किया जाता है और उन पर जुर्माना किए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पंजाब की बात कर रहे हैं या बाहर की ?

श्री यशपाल सिंह : पंजाब की कर रहा हूं।

†**श्री शिन्दे** : जहां कारखाने बन्द कर दिए गए हैं वहां गन्ने की फसल अब खड़ी नहीं है इसलिये प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता।

†**श्री त्यागी** : क्या गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय कृषक की उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है ? क्या गन्ने का मूल्य निर्धारित करने से पहले बैलों की कीमतों में वृद्धि कृषि मजूरी में वृद्धि आदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है। इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

+

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री मुरारका :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में दूसरे जहाज निर्माण कारखाने का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के वित्तीय पहलू के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). परियोजना के लिये अपेक्षित सारी गैर-सरकारी भूमि के अर्जन का काम पूरा कर लिया गया है। जहाज निर्माण कारखाने के इलाके में से होकर गुजरने वाली ७०' सड़क के विकर्षण का काम राज्य सरकार कर रही है।

परियोजना के लिये विदेशी प्रविधिक और वित्तीय सहकारिता प्राप्त करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के लिये कितनी भूमि अर्जित की जा चुकी है और निकट भविष्य में और कितनी भूमि अर्जित की जायेगी।

†**श्री राज बहादुर** : गैर सरकारी पक्षों से ६४ एकड़ प्राइवेट भूमि अर्जित की जानी थी जो कि अब तक कर ली गई है। कुल मिला कर अब तक के लिये १०० एकड़ों की आवश्यकता है। शेष राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपहार के रूप में दी जा रही है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : जापान के अतिरिक्त, क्या हम योरुप के कुछ अन्य देशों से भी इस परियोजना के बारे में परामर्श कर रहे हैं और यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय हम विशेषज्ञों के उस दल के परियोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस देश में आया था और हमें आशा है कि कुछ दिनों में प्रतिवेदन हमें मिल जाएगा।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं जानना चाहता था कि क्या जापान के अतिरिक्त हम इस बारे में योरूप के अन्य देशों से भी परामर्श कर रहे हैं तथा यदि हां, तो वे कौन से देश हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : अभी तक तो केवल जापान से ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : जापान से जो टीम आएगी वह कोलेबोरेशन के आधार पर इस काम को अपने हाथ में लेगी या और कोई फारेन एक्सचेंज की भी इस शिपयार्ड के लिए आवश्यकता होगी ?

श्री राज बहादुर : जो मशीनरी चाहियेगी, उस में जो फारेन एक्सचेंज खर्च होगी, उसके लिए यह तजवीज़ है कि पार्टिसिपेशन के बेसिस पर इन से कोलेबोरेशन किया जाए ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार किस आधार पर जापान सरकार के भाग लेने की आशा करती है और क्या उनका भाग लेना अंशों के रूप में होगा अथवा किसी और तरह ।

†**श्री राज बहादुर** : इसका अभी निर्णय किया जाना है । तथ्य यह है कि जापानी जहाज निर्माण कारखाने से कोई ठोस प्रस्ताव अभी हमें आना है ।

†**श्री मुरारका** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दूसरे जहाज निर्माण कारखाने में अब तक की गई प्रगति तीसरी योजना के कार्यक्रम के अनुसार है अथवा उसके पीछे है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं कह सकता कि सारी परियोजना की पूर्ति के लिये कोई निश्चित समय-अवधि अथवा तिथि निर्धारित की गई थी । जहां तक वित्तीय सहकारिता और प्रविधिक सहकारिता के प्राप्त करने में कठिनाई का सम्बन्ध है, हम ने यथाशीघ्र बातचीत को पूरा करने और प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये सभी संभव उपाय किये हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि मित्सुभीषी जहाज निर्माण कारखाने द्वारा भेजे गये विशेषज्ञ जापान से यहां आये जिन्होंने उस स्थल का दौरा किया और सारे प्रश्न की जांच की ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : कोचीन जहाज निर्माण कारखाने की तत्काल आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में वर्धा में एक भारी प्लेट-निर्माण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव था । कोचीन जहाज निर्माण कारखाने में प्रगति की कमी के कारण ऐसा लगता है कि वह योजना छोड़ दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि वह अब किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं तो ऐसी किसी भारी प्लेट योजना के बारे में नहीं जानता जिसका कि परित्याग किया जा रहा हो ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय नौवहन मंत्री ने प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार ने इस परियोजना के वित्तीय पहलू के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इस जहाज निर्माण कारखाने पर तीसरी योजना के शेष तीन वर्षों में कितना रुपया खर्च किया जायेगा ।

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक उस कीमत का सम्बन्ध है जो कि हम ने इन ६४ एकड़ों के लिये दी है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु केवल वही रुपया है जो कि हम ने दिया है । राज्य सरकार एक सड़क भी बना रही है जो कि एक विकर्षण सड़क है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोधपुर में सेना के सन्देश वाहक की हत्या

†*५८२. **श्री गो० महन्ती :**
श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री रामचन्द्र मल्लिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ फरवरी, १९६३ को अथवा उसके आसपास जोधपुर में रेलगाड़ी के डिब्बे में सेना के एक सन्देशवाहक की हत्या के मामले की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हत्या के उद्देश्य का पता लगा है तथा क्या अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) इसका पता तो पुलिस की जांच के पूरा होने के बाद ही चलेगा। अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

†**श्री गो० महन्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्या सच है कि सेना अधिकारी के कुछ पत्र चुरा लिये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वे चुरा लिये गये थे, यह ठीक नहीं है। कुछ पत्र थे जो कि कोई सन्देशवाहक ले गया था। वे सभी उपलब्ध कर लिये गये हैं।

एजेटोबैक्टर तथा फोस्फो-बैक्ट्रिन के सम्बन्ध में अनुसंधान

*५८३. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व रूस से मंगाये गये एजेटोबैक्टर तथा फास्फो-बैक्ट्रिन के नमूने तथा कीटाणुओं के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में किये जा रहे परीक्षणों तथा प्रयोगों की वर्तमान प्रगति क्या है ;

(ख) भारत में भूमि की रचना अथवा उर्वरता पर इनका क्या प्रभाव पड़ने की आशा है ;

(ग) सरकार इन उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के लिये क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) इन उर्वरकों का अनुमानित मूल्य क्या है तथा सस्ते मूल्य पर तथा बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) पिछले कुछ वर्षों से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली और देश के कुछ अन्य स्थानों पर उपज को बढ़ाने के विचार से अज़ेटोबेक्टर, फास्फो बैक्ट्रन तथा अन्य सोयल बैक्टेरिया आदि के प्रयोग के विषय में परीक्षण जारी हैं। बरसीम, ग्वार, उड़द, चना, अरहर, सोयाबीन, गेहूं, मक्कई तथा धान की फसलों पर प्रयोग किये गये। प्रयोग किये जाने वाले बैक्टेरियों में १९५७ में रूस से प्राप्त हुए तथा देश से पृथक किये गये बैक्टेरिया भी शामिल थे। ये परीक्षण अभी तक प्रयोगशाला अध्ययनों तथा गमले द्वारा परीक्षणों तक ही सीमित रहे हैं ; कुछ हद तक छोटे पैमाने पर क्षेत्र प्रयोग भी किये गये हैं। उपलब्ध होने वाले परिणाम ऐसे दिलचस्प तथा उत्साहवर्धक थे कि उनके विषय में आगे भी कार्य किया जाये। कुछ क्षेत्र प्रयोगों में तो उत्पादन १० से २० प्रतिशत तक बढ़ गया। परन्तु ये क्षेत्र प्रयोग अभी ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जिससे कि किसानों को बैक्टेरियल उर्वरकों के आम प्रयोग की सिफारिश कर दी जाये। वे भूमि की कुछ विशेष परिस्थितियों तथा कृषि विधियों में ही लाभदायक सिद्ध हुये हैं। फिर भी, यदि बैक्टेरियल उर्वरकों के बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रयोगों से निरन्तर अच्छे परिणाम निकले तो भी ये उर्वरक परम्परागत खादों तथा उर्वरकों का स्थान नहीं ले सकेंगे। उनका एक मात्र कार्य तो परम्परागत खादों तथा उर्वरकों की क्रीया तथा उनकी प्रभाव-शीलता में और अधिक वृद्धि करना है।

(ख) और (ग). अब तक प्राप्त परिणामों के अनुसार इन उर्वरकों से भारत में भूमि की रचना तथा उर्वरता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः आशा है कि उनके प्रयोग से कोई हानि नहीं होगी। परन्तु जैसा कि ऊपर भाग (क) में कहा गया है, ये प्रयोग अभी ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि सरकार को ऐसी आवश्यकता पड़े कि वह बैक्टेरियल उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करे और उनको किसानों में वितरण करे। -

(घ) साधारणतः बैक्टेरियल उर्वरकों का मूल्य २–३ रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिये। कुछ सामग्री को विदेशों से प्राप्त करने के लिये और कुछ को देश में ही पायलट स्तर पर बनाने के लिये पहले ही से प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि क्षेत्र प्रयोगों के लिये एक खासे अच्छे स्तर पर क्षेत्र प्रयोग किये जा सकें। अगले ३ या ४ वर्षों में अधिक जानकारी मिल सकेगी। जब बैक्टेरिल उर्वरक व्यापारिक तौर पर उपयुक्त तथा लाभदायक सिद्ध हो जाते हैं तो उनके एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कोई विशेष कठिनाईयां नहीं होनी चाहियें।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि एजेटोवैक्टर तथा फास्फो-बैक्ट्रिन का किन किन अनाजों पर परीक्षण किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसका परीक्षण अब तक बरसीम, ग्वार, उरद, ग्राम, अरहर, सोयबीन, व्हीट, मेज़ और पैडी की फसलों पर किया गया है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह कौन कौन से प्रान्तों की ज़मीन में मुफीद होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो यहां पूसा में है उस में इसके परीक्षण किये जा रहे हैं और वहां की ज़मीन पर किए जा रहे हैं। खास करके गमलों में जो पौधे उगाये जाते हैं उन पर किए जा रहे हैं। इसके बाद जब परीक्षण सिद्ध हो जाएगा तब दूसरी जगहों में इसको किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री कछवाय : परीक्षण के बाद हम को उससे कितना लाभ होगा?

डा० राम सुभग सिंह : यहां जो इस वक्त परीक्षण किया जा रहा है, उस में दस से बीस परसेंट तक फसलों की उपज बढ़ी है और इसका खर्च कम है क्योंकि प्रति एकड़ दो से तीन रुपये तक लगता है। लेकिन अभी परीक्षण जारी है और जब पूरा हो जाएगा तो काफी सस्ता और अच्छा सिद्ध होगा, ऐसी आशा है।

श्री विश्राम प्रसाद : अजेटोबैक्टर तथा फास्फो बैक्ट्रिन के इस्तेमाल से जो नाइट्रोजिनस एंड फास्फेटिक फर्टिलाइजर बनेगा, उस में क्या परसेंटेज होगी नाइट्रोजन और फास्फेट की और उसका क्या दाम होगा? जो आजकल फर्टिलाइजर चल रहा है, उसके मुकाबले में यह महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा?

डा० राम सुभग सिंह : यही परीक्षण हो रहा है कि किस मात्रा में नाइट्रोजन और किस मात्रा में फास्फेट की इस में उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ और बातों के भी परीक्षण हो रहे हैं। जहां तक कीमत का सम्बन्ध है, जैसा मैंने बताया है दो से तीन रुपये प्रति एकड़ तक अब तक के हिसाब के अनुसार पड़ेगा। काफी सस्ता है। यह बात नहीं है कि यह इतनी मात्रा में हो जाए कि जो इस वक्त फर्टिलाइजर चल रहा है, उसको हटा दे। उसके यह पूरक रूप का फर्टिलाइजर होगा।

श्री विश्राम प्रसाद: परसेंटेज मैंने पूछा था।

डा० राम सुभग सिंह : जब परीक्षण पूरा सिद्ध होगा तब बता सकूंगा।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने के कोई प्रयत्न किए हैं कि क्या रूस में इन खादों का मितव्ययी ढंग से प्रयोग किया जाता है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : रूस से जो उर्वरक आयात किये गये थे उनका भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में प्रयोग किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में देशी और रूसी दोनों उर्वरक लाभप्रद सिद्ध हुए हैं और उपज १० से २० प्रतिशत बढ़ गई है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने रूस में इन उर्वरकों के मितव्ययी उपयोग के बारे में जानने का कोई प्रयत्न किया है। उन का अनुभव क्या है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वहां भी इस ने सामान्यतः प्रचलित उर्वरक का स्थान नहीं लिया है परन्तु वहां इसे सहायक उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यहां भी अब तक किये गये अध्ययन से पता चला है कि यह केवल सहायक उर्वरक का ही काम दे सकता है; बड़े पैमाने पर इस का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बयान सभा-पटल पर रखा गया है उस में बतलाया गया है कि अभी इस का पूरा पूरा परीक्षण समाप्त नहीं हो सका है, इसलिए इस के निर्माण की दिशा में सरकार ने विचार नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षण के कब पूरे होने की संभावना है, और जबकि १० से ले कर २० प्रतिशत तक उपज बढ़ी है तो क्यों सरकार उत्पादन पर विचार नहीं कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो परीक्षण होते हैं उन को दो, तीन या चार फसलों पर देखा जाता है, जब पूरी तरह उपयोगी सिद्ध हो, तो बाहर जाय । इसमें देर हो रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे गये विवरण के प्रथम भाग में कहा गया है कि इन उर्वरकों से परम्परागत खादों और उर्वरकों का स्थान लेने की आशा नहीं रखी जायेगी तथा विवरण के अन्तिम भाग में कहा गया है कि बैक्टेरियल उर्वरकों के एक बार वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त और लाभदायक सिद्ध होने पर उन के एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कोई विशेष कठिनाइयां नहीं होनी चाहियें । अब एक भाग में तो कहा जाता है कि यह केवल परम्परागत उर्वरकों में वृद्धि करने के लिये है और फिर कहा जाता है कि वे इसे बड़े पैमाने पर बनाने जा रहे हैं और वह भी तब जबकि यह लाभदायक हो । क्या सरकार इस चाज़ में किसान को हानि पहुंचा कर लाभ कमाना चाहती है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक वाणिज्यिक प्रस्थापना होगी अथवा किसान के लाभ के लिये होगी ? इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसाकि आप जानते हैं, दोनों विवरणों में परस्पर कोई भेद नहीं है । आरम्भ में जो कहा गया है उस का अर्थ यह है कि थोड़ी थोड़ी मात्राओं में उपलब्ध है और इसे केवल अणुवीक्षण यंत्र से ही देखा जा सकता है और जब प्रयोग सफल होता है तो उसी तुलना में हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उस सीमा तक हम कह सकते हैं कि यह बड़े पैमाने पर उपलब्ध है । परन्तु 'बड़े पैमाने' का यह अर्थ कभी नहीं होता कि इसे देश भर में प्रयोग किया जा सकता है और यह परम्परागत उर्वरकों का स्थान ले सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार की नीति किसान को हानि पहुंचा कर लाभ कमाने की है । वाणिज्यिक नीति क्या है ? क्या यह वाणिज्यिक अथवा कृषि-संबंधी विषय है ? यह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी मामलों की पूछताछ नहीं की जाती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : परन्तु कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब वे पटल पर ऐसे विवरण रखते हैं । वे ऐसा विवरण देते ही क्यों हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जानकारी दे दी गई है । नीति सम्बन्धी मामले अलग से उठाये जा सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में वे इसे क्यों उठाते हैं ? विवरण में उन्होंने ऐसा कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग बात है । वह जितनी जानकारी दे सकते थे उन्होंने दे दी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हों ने कोई जानकारी नहीं दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नीति के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वह विवरण के इस भाग की व्याख्या कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे वह कर चुके हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कैसे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने जानकारी दे दी है । मेरे विचार में उत्तर मिल चुका है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या आप विवरण के इस भाग को सुनने की कृपा करेंगे, अर्थात्:—

"वाणिज्यिक तौर से उपयुक्त और लाभदायक" ?

क्या सरकार की यही मंशा है ? क्या वे इसे वाणिज्यिक रूप से एक लाभदायक प्रस्थापना बनाना चाहते हैं और किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखना चाहते ? सरकार का रवैया क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** लाभ कमाने का प्रश्न कैसे उठता है ? मुझे डर है कि माननीय सदस्य विवरण को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अच्छा हो यदि आप ही इसे पढ़ें और समझें ।

†**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति शान्ति, । अगला प्रश्न ।

मनीपुर राज्य परिवहन

+

†*५८४. **श्री गो० महन्ती :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात विदित है कि मनीपुर राज्य परिवहन आरम्भ से ही हानि पर कार्य कर रहा है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितनी हानि हुई ;

(ग) हानि के क्या कारण हैं ; और

(घ) लाभ अर्जन के लिये मनीपुर राज्य परिवहन के संचालन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (घ). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९४९–५० में उसकी स्थापना से लेकर १९६०-६१ तक मनीपुर राज्य परिवहन चार वर्षों के लिए छोड़ कर घाटे पर चल रहा है ।

पिछले पांच वर्षों में लाभ हानि की स्थिति इस प्रकार रही :—

वर्ष	लाभ	हानि
१९५७–५८ . .	२५,३६६ रुपये	..
१९५८–५९ . .	..	३,२१,२१८ रुपये
१९५९–६० . .		२,५४,३७७ रुपये
१९६०–६१	..	५,६८,३०८ रुपये
१९६१–६२	(लाभ हानि विवरण तैयार किया जा रहा है)	

†मूल अंग्रेजी में

घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(१) मनीपुर राज्य परिवहन को इम्फाल से दीमापुर तक ढुलाई के लिए पर्याप्त माल नहीं मिलता और इस तरह लगभग १५ गाड़ियां प्रतिदिन इम्फाल से दीमापुर तक खाली चलती है ।

(२) इम्फाल से दीमापुर, १३४ मील की दूरी तक प्रतियात्री ५ रुपये का वर्तमान अधिकतम किराया बहुत कम है ।

(३) इस रास्ते पर गाड़ियां विधि तथा शांति की वर्तमान स्थिति के कारण सैनिक संरक्षण के अधीन चलती हैं । सैनिक अधिकारी रविवार, बुधवार और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक छुट्टियों के दिन गाड़ियां नहीं चलाते । इसलिए मनीपुर राज्य परिवहन साल में २५० दिन से अधिक इस मार्ग पर गाड़ियां नहीं चला पाता । केवल इसी बात के कारण उस की आमदनी में एक तिहाई कमी हो जाती है जबकि प्रतिष्ठान के वेतन, मूल्यह्रास, पूंजी पर ब्याज आदि में कोई कमी नहीं होती ।

मुनाफा कमाने के लिए मनीपुर राज्य परिवहन का सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :—

(१) मनीपुर प्रशासन इम्फाल दीमापुर मार्ग पर प्रति यात्री ५ रुपये के किराये की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(२) इम्फाल से दीमापुर तक ढुलाई के लिए पर्याप्त माल प्राप्त करने के मार्गोपायों पर भी प्रशासन विचार कर रहा है ।

(३) जिन मार्गों पर लाभ नहीं होता उन पर से गाड़ियां हटाली जा रही हैं और यातायात के आधार पर दूसरे मार्गों पर सेवाओं की बारंबारता उचित रूप से बढ़ाई जा रही है ।

†**श्री गो० महन्ती** : चूंकि बराबर घाटा होता जा रहा है इसलिए पहले और दूसरे वर्ष के बाद उस का पता चलने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्री राज बहादुर** : घाटा इसलिए होता रहा कि हमें जबर्दस्ती उस सेवा को चलाना पड़ रहा है और उस क्षेत्र की कुछ विशिष्ठ परिस्थितियां हैं । इम्फाल और दीमापुर के बीच प्रति दिन १५ गाड़ियां खाली चलती हैं । फिर इस मार्ग पर माल यातायात भी पर्याप्त नहीं है लेकिन सेवाएं चालू रखनी होती हैं । हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि किराये बढ़ाये जा सकते हैं या नहीं । इम्फाल से दीमापुर एक ढुलाई के लिए पर्याप्त माल प्राप्त करने के लिए भी हम ने कार्यवाही की है । उन रास्तों पर से जिन पर कि लाभ नहीं होता, गाड़ियां हटा ली जा रही हैं ।

†**श्री गो० महन्ती** : पहले वर्ष में पता चलने के बाद और दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के बाद क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा नहीं बता सकता ।

†**श्री महेश्वर नायक** : बताया जाता है कि लगभग १५ बसें रोज खाली चलती हैं । इन्हें खाली क्यों चलने दिया जाता है और यह घाटा क्यों होता रहता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह सेवा इम्फाल और दीमापुर के बीच चलती है और सैनिक दस्तों के संरक्षण में चलती है। हम उसे ३६५ दिन में से केवल २५० दिन ही चला सकते हैं। इसी कारण ऐसा है ।

दिल्ली में चीनी का व्यापार

†*५८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी के व्यापार के लिये लाइसेंस की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी, हां ।

(ख) उनके कामकाज पर निगरानी रखने के लिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार उनके कामकाज पर किस प्रकार निगरानी रख रही है, उसके लिये सरकार ने किसको नियुक्त किया है ? क्या यह सारा काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्यालय से किया जायगा ?

†**श्री शिन्दे** : आदेश के उपबन्धों के अधीन, व्यापारियों को हर पखवाड़े में प्राप्त स्टाक का हिसाब किताब लाइसेंस देने वाले अधिकारी को देना होता है। साथ ही उन्हें हर ग्राहक को ठीक-ठीक रसीद या एक इनवायस देना होता है जिसमें सौदे का पूरा-पूरा ब्यौरा दिया होता है। व्यापारियों को उसकी एक प्रति भी रखनी पड़ती है जो लाइसेंस देने वाले अधिकारियों या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिये पेश की जा सके ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय ने कभी अक्स्मात कोई जांच की है कि विज्ञप्ति में उल्लिखित उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जाता है या नहीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** अभी केवल लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या यह सच है कि दिल्ली में चीनी छिपा कर रखी गयी है और उसके विक्रेता उत्तर प्रदेश से चीनी ला रहे हैं ?

†**श्री शिन्दे** : लाइसेंस आर्डर सम्पूर्ण भारत में अधिकतर राज्यों में जारी किया जा चुका है। फिर यह आदेश इस आशय से जारी किया गया है कि संकटकाल में कमी न पैदा हो जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या चीनी छिपा कर रखी गयी थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : ठीक वही बात मालूम करने के लिये लाइसेंस उपबन्ध जारी किये गये हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या लाइसेंस प्रणाली के बावजूद दिल्ली में चीनी के रोजगार में काफी मुनाफाखोरी हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : मूल्य के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते में, चीनी का थोक दाम ४२ रुपये ४४ न० पै० प्रति मन और खुदरा दाम १ रुपया १० न० पै० प्रति सेर था।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या चीनी के व्यापारियों को लाइसेंस देने का मतलब यह होगा कि चीनी की थोक और खुदरा कीमत पर एक प्रकार का नियंत्रण रखा जायगा ?

†श्री अ० म० थामस : वास्तव में हम तैयार रहना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई संकट या आवश्यकता उत्पन्न हो जाये तो हमारे पास आवश्यक कार्यप्रणाली रहनी चाहिये और लाइसेंस देने की प्रणाली उसी के लिये एक प्रणाली होगी।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइसेंस से शूगर के मिलने पर और उसके दाम पर क्या असर पड़ा है, और क्या सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ब्लैक मार्केटिंग रुक जाय ? क्या दूकानों पर सूची टांगने की भी कोई व्यवस्था की जा रही है ?

†श्री शिन्दे : जहां तक सरकार की जानकारी है, मूल्य की स्थिरता पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

†*५८६. { +श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अब तक खाद्य तथा कृषि संगठन के "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के लिये अपने अंश में से कितना दे दिया है ;

(ख) इसमें से कितना धन के रूप में दिया गया है तथा कितना वस्तुओं के रूप में और क्या इसमें ईरान के भूकम्प पीड़ितों के लिये दी गई चाय भी सम्मिलित है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) भारत द्वारा इस कार्यक्रम के लिये कुल मिलाकर कितना अंशदान किया जाना है तथा इस अंश का कितना धन के रूप में दिया जाना है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) से (ग). भारत ने कुल ५ लाख डालर का अंशदान देने का वचन दिया था जिसमें से एक तिहाई नकद (अपरिवर्तनीय रुपयों) के रूप में और बाकी दो तिहाई वस्तुओं के रूप में होगी। वस्तुओं के रूप में दिये जाने वाले हिस्से के तौर पर भारत ने १०० टन चीनी, १७० टन चीनी की टिक्कियां (क्यूब) और २७ टन चाय भेजी है। ये चीजें ईरान के भूकम्प पीड़ितों के लिये भेजी गयी थीं। इन वस्तुओं का कुल देशीय मूल्य ५,१२,७४६ रुपया है। उनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, जो भारत के नाम नामे डाला जायगा, अभी निर्धारित करना है। नकद हिस्से के रूप में अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : विश्व खाद्य संगठन की इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और भारत को इस कार्यक्रम से क्या लाभ हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ और खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में स्थापित किया गया है और वह प्रयोगात्मक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिये स्थापित किया गया है । उनका उद्देश्य यह है कि संकटकाल की आवश्यकता पूरी करने और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिये सहायता का उपयोग करके अग्रिम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद देने के लिये विभिन्न देशों द्वारा स्वेच्छा से दिये गये अतिरिक्त खाद्यान्नों का कई प्रकार से उपयोग किया जाये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : कार्यक्रम का कुल परिव्यय कितना है और विभिन्न देशों को किस आधार पर सहायता दी जाती है और उसके मुकाबले में भारत को इस कार्यक्रम से कितनी सहायता मिल रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह एक नया कार्यक्रम है । नकद, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कुल ८८० लाख डालर के अंशदान का वचन प्राप्त हुआ है । भारत ने कुल ५ लाख डालर देने का वचन दिया है । उसका एक तिहाई हिस्सा वस्तुओं के रूप में और दो तिहाई नकद के रूप में होगा ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या वाशिंगटन में विश्व खाद्य कांग्रेस की बैठक इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है और यदि हां, तो क्या इस कांग्रेस में भारतीय शिष्टमंडल का निर्णय कर लिया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां, वह इस कार्यक्रम का एक अंग है। भारतीय शिष्टमंडल के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है । लेकिन शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या ५ लाख डालर का अंशदान देश की आर्थिक स्थिति पर आधारित है या वह विश्व खाद्य संगठन ने स्वत: निश्चित किया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह रकम हमारी क्षमता और हमारी हैसियत के आधार पर निश्चित की गयी थी ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन भारत में कौन-कौन सी विशिष्ट परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ? कुल परिव्यय कितना होगा और परियोजनाओं को कौन चलायेगा खाद्य तथा कृषि संगठन या खाद्य मंत्रालय ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब मंजूर कर लिया जायगा, तब यह काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जायेगा । हमने छ: सुझाव भेजे हैं जोकि अन्तिम नहीं हैं। पहला सुझाव अतिरिक्त सुखाये हुये दुग्धचूर्ण की संकटकालीन आवश्यकतायें पूरी करने के सम्बन्ध में है । दूसरा स्कूल के बच्चों को पूरक खाद्य तथा नि:शुल्क खाद्य के सम्बन्ध में है । पहले में लगभग १५० लाख रुपये और दूसरे में ४० लाख रुपये की लागत आयेगी । तीसरा सुझाव ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिये अग्रिम परियोजनाओं के बारे में है जिन पर ४४ लाख रुपये की लागत आयेगी ? दो और सुझाव हैं जिनमें से एक मामूली सिंचाई के तालाबों के रखरखाव और संगठन के बारे में है जिस पर ३६ लाख रुपये की लागत आयेगी। पांचवां पशुओं और सूअरों के लिये सन्तुलित खाद्य के उत्पादन के सम्बन्ध में है जिस पर ४० लाख रुपये की लागत आयेगी। छठां मुर्गी उत्पादन के विकास के लिये खाद्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में है । इस पर ७५ लाख रुपये की लागत आयेगी ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : हमने अभी हाल में खाद्य तथा कृषि संगठन के अधीन भूख निवारण कार्यक्रम संगठित किया था । उसके अधीन हम कितना अंशदान प्राप्त कर सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : कुछ अंशदान इकट्ठा करने का प्रस्ताव था। मैंने सुझाव दिया था कि हमारे देश में संकट है और लोग अपनी इच्छा से धन दे रहे हैं और इसलिये कोई दूसरा वसूली कार्यक्रम चालू करना हमारे लिये संभव नहीं है। इसलिये हमने यह संग्रहकार्य हाथ में नहीं लिया। लेकिन हमने संचार मंत्रालय से प्रार्थना की है कि वह डाक टिकट जारी करें और उससे कुछ अंशदान प्राप्त हो जायगा ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

+

†*५८७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यपालक निदेशक भारत के लिये खाद्य सहायता कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिये भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ कब तथा किस प्रकार के सहायता कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) कार्यक्रम को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह)** :(क) जी, हां ।

(ख) वे २६ से २८ फरवरी, १९६३ तक भारत में थे और उन्होंने कार्यक्रम से सहायता के लिये भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर सामान्य चर्चा की।

(ग) इस चर्चा के अनुसार योजनाओं पर विचार किया जा रहा है और संशोधित योजनायें शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त होते ही उन्हें कार्यान्वित किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या कुछ क्षेत्रों में सघन विकास के लिये कुछ अग्रिम परियोजनायें स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की गयी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। इस विषय पर भी चर्चा की गयी थी और वह हमारे कार्यक्रम के ब्यौरे में शामिल है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस विषय पर चर्चा हुई थी कि भारतीय किसानों को उन्नत कृषि प्रधान देशों में प्रशिक्षण दिलाने का एक कार्यक्रम होना चाहिये ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : यह इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कार्यपालक निदेशक को बुलाया गया था या वे खुद ही आये थे ?

†**डा० राम सुभग सिंह**: खाद्य तथा कृषि संगठन की ओर से उन्होंने कई देशों का दौरा किया था जिनमें भारत भी शामिल था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में कितना फूड ग्रेन इस तरीके से आ सकेगा, और उस के लिये हमें फारेन एक्चेंज सर्फ करना पड़ेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में इसमें अनाज की बात नहीं है । जैसा कि मैंने बताया, ८८ मिलियन डालर अब तक उनको प्लेज के रूप में मिला है विभिन्न देशों से, और उसी से अलग-अलग देशों में कुछ उत्पादन की योजनायें चालू की जायेंगी, और उन में जिन योजनाओं की चर्चा मैंने पहले की थी उनका सुझाव हम लोगों ने दिया है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : माननीय मंत्री ने अभी हाल में ऐसी कई परियोजनाओं का उल्लेख किया है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंग के रूप में कार्यान्वित की जायेंगी । क्या ये परियोजनायें उन स्थानों में स स्थापित करने की ओर जहां अकाल पड़ते हैं; पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब वे स्वीकृत हो जायेंगी तब हम उन्हें देश के विभिन्न भागों में उपयुक्त केन्द्रों में स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यपालक निदेशक ने घोषणा की थी कि दुनिया की लग भग ५० प्रतिशत जनसंख्या को पूरा भोजन नहीं मिलता है और लगभग १५ प्रतिशत जनसंख्या को भोजन ही नहीं मिलता । इन दोनों श्रेणियों के सम्बन्ध में भारत में प्रतिशतता कितनी है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि हम अपने खेतों में अधिक परिश्रम करें तो हम भी अपना उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ा सकते हैं । क्योंकि अपने माननीय मित्र के इलाके में भी हम हर जगह कुछ न कुछ बो सकते हैं । जहां तक प्रतिशतता का सम्बन्ध है, यहां भी काफी हद तक कम खुराकी है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जिन जगहों पर ये परियोजमनायें स्थापित की जायेंगी उन्हें किस आधार पर चुना जायेगा और क्या इन परियोजनाओं का प्रशासन केन्द्रीय या राज्य सरकार करेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह**: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये सभी कार्यक्रमों की देखभाल राज्य सरकारें और संघीय राज्यक्षेत्र प्रशासन करते हैं । लेकिन स्थान के सम्बन्ध में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि इन बातों पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा और वे स्वीकृत हो जाने पर ही कोई निश्चय किया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : आधार क्या होंगे ?

†**डा० राम सुभग सिंह**: हमने अभी तक कोई आधार निर्धारित नहीं किये हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या यह कार्यक्रम केवल भारत में ही प्रयोग की दशा में है या सारी दुनिया भर में ही वह प्रयोग की दशा में है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : विश्व खाद्य कांग्रेस की बैठक पहली बार जून में हो रही है और तब वे अपने संगठन को उचित प्रकार से और ठोस ढांचे पर खड़ा करेंगे । कार्य पालक निदेशक फरवरी में आये थे और सभी निर्णय इतने जल्दी नहीं हो सकते ।

श्री भागवत झा आजाद: इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी गयी योजनाओं के अन्दर की राशि क्या है, और क्या इस कार्यक्रम के अन्दर कोई सीमा शासन पर होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने पहले प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर में बताया था, ५ लाख डालर भारत की ओर से देने की बात है, इसमें दो तिहाई सामान के रूप में होगा और बकाया कैश में दिया जायगा। सामान में वह चीनी वगैरह भी शामिल है जो कि ईरान को दी गयी है। जो चीजें अब तक दी गयी हैं उनका मूल्य ५,१२,७४६ रुपये है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है कि ऐसी सभी खाद्य सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दी जाये और व्यक्तिगत देशों को न दी जाये ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन का कार्यक्रम है। इस लिये वह सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये ही दी जानी होगी और सीधे व्यक्तिगत देशों को सहायता दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रमिकों की मजूरी का खाद्य के रूप में आंशिक भुगतान

†*५८८. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

*क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना को कार्यान्वित करने के लिये भारत में अग्रिम परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है जिनके अन्तर्गत विकास परियोजनाओं के श्रमिकों को उनकी मजूरी का भुगतान आंशिक रूप से खाद्य के रूप में किया जायेगा ; और

(ख) क्या यह परियोजना परीक्षण के रूप में किसी परियोजना में लागू की गई है और क्या श्रमिकों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दो योजनायें प्रस्तुत की हैं जिनमें कुछ मजूरी खाद्य के रूप में दिये जाने की बात है। यदि वह योजनायें कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा मंजूर की जायेंगी, तो उन्हें कार्यान्वित किया जायगा।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार हाल में तालाबों से मिट्टी हटाने की एक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ मजूरी खाद्य के रूप में दी जायेगी। पश्चिम बंगाल सरकार से मिली सूचना के अनुसार, इस योजना में अच्छी प्रगति हो रही है और कर्मचारी अपनी कुछ मजूरी खाद्य के रूप में प्राप्त करने के विरोध में नहीं है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इसके सम्बन्ध में वित्तीय पहलुओं की छानबीन कर ली गयी है ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मजूरी का कुछ हिस्सा वस्तुओं के रूप में देने की बात है, फिर मजूरी चाहे जितनी भी हो, और वह हो रहा है। ये ग्रामीण परियोजनायें हैं। जो कर्मचारी इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के काम में लगे हुए हैं उन्हें वस्तुओं के रूप में अपनी मजूरी प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है और हमने उस दृष्टि से उस पर विचार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : कितनी मजूरी संभवतः किस्म में दी जायगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो कर्मचारी परियोजना में काम करते हैं उन्हें अपनी दैनिक उपभोग के लिये अनाज की जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि की जरूरत होती है। उस हद तक उनकी आवश्यकताएं पूरी करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी पूरी वेजेज़ उन को अनाज के रूप में दी जायेंगी या उसका कुछ प्रपोर्शन ही अनाज के रूप में दिया जायगा ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में जो काम करते हैं वे दोनों चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि उनको अनाज भी इस्तेमाल करने के लिये मिले और अन्य कामों के लिये उन्हें कुछ पैसा भी मिले। इस लिए पूरी वेजेज़ हम उन्हें अनाज में लेने के लिये अगर मजबूर करें तो इसमें किसी का लाभ नहीं होगा। इस लिये दोनों का हिसाब लगा कर जितना जितना चाहते हैं उतना दे दिया जाता है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने इस बात की छानबीन की है कि यह प्रणाली लागू करने से उस विशिष्ट प्रदेश में मजूरी की दरों पर क्या असर पड़ेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस कार्यक्रम के अनुसार यह सामान्य दर के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र में जो लोग बेकार होंगे ऐसे अधिक से अधिक लोगों का उपयोग किया जायगा। इसलिये इससे मजूरी की दरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इससे दर बढ़ भी जाये तो हम उसका स्वागत करेंगे।

†**श्री रंगा** : क्या वह इस योजना के सम्बन्ध में और ब्योरा बतायेंगे जैसे यह अनाज कौन सप्लाई करता है, क्या मालिक लोग अनाज वहीं से खरीद लेते हैं और स्वयं ही कर्मचारियों में बांटते हैं या किसी दलालों के जरिये वह बांटा जाता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं बताऊंगा।

†**श्री स० चं० सामन्त**: क्या माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में अग्रिम परियोजना के सम्बन्ध में कह रहे हैं ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका खर्च कौन उठा रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : उसका खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ योजना के अधीन अमरीका की सहायता से चलाया जा रहा है और हम और परियोजनायें भी शुरू कर रहे हैं।

बूचड़खाने

†*५८९. { **श्री कृष्ण पाल सिंह** :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री बेरवा कोटा :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बूचड़खाने स्थापित किये हैं या करने जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां पर ; और

(ग) प्रत्येक बूचड़खाने पर व्यय तथा उससे आय कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). बूचड़खानों की स्थापना या सुधार करना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तर-दायित्व है । बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपनी अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बूचड़खानों और मांस बाजारों के सुधार की योजनायें शमिल की हैं । देवनार (बम्बई) में एक आधुनिक बूचड़खाना तैयार करने का महाराष्ट्र सरकार का विचार है । पश्चिम बंगाल सरकार दनकुनी में एक आधुनिक बूचड़खाना स्थापित करने वाली है । जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, पटियाला और अम्बाला में बूचड़खानों का सुधार करने का पंजाब सरकार का विचार है । उपलब्ध जानकारी यह है कि शेष राज्यों ने योजना के ब्योरे तैयार नहीं किये हैं ।

(ग) प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गयी रकम परियोजना पूरी हो जाने के बाद ही मालूम हो सकेगी । बूचड़खानों को शोधन कारखाने (प्रेसोसिंग फैक्टरीज) बनाने का विचार नहीं है इस लिये कसाइयों की लाइसेंस फीस और पशुओं को मारने के खर्च से प्राप्त होने वाली आमदनी के अलावा और कोई आमदनी होने की संभावना नहीं है ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** : ये बूचड़खाने चालू करने का ठीक ठीक उद्देश्य क्या है? क्या वह शुद्धतः वाणिज्यिक है या लोगों का खाना देना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : पहले तो, श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल की अध्यक्षता में, पशुओं पर अत्याचार निवारण समिति ने उस कार्रवाई की सिफारिश की थी । उस समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन पशुओं की हत्या करनी होती है उनको रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये, उन्हें ठीक तरह से खिलाने, पानी पिलाने और बन्द अहाते आदि की व्यवस्था होनी चाहिये । इन सिफारिशों के अनुसार ही आदर्श बूचड़खानों की योजना कुछ राज्यों की आयोजनाओं में शामिल की गयी है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इन बूचड़खानों में कौन कौन जाति के जानवर काटे जाते हैं ? उनमें गायों की संख्या कितनी है और सुअरों की संख्या कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वे पशु जिनकी सामान्यतया हत्या की जाती है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : संविधान के अनुसार और सन् १९५२ के निर्णय के अनुसार गोहत्या पर प्रतिबन्ध की दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो दूसरा सवाल है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : अगर श्रीमान् जी यह दूसरा सवाल है तो फिर मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट होटलों के अलावा अन्य होटलों में यह गोमांस बेचा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब होटलों का इस सवाल से क्या ताल्लुक है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार बूचड़खानों की संख्या जो इस देश में बढ़ाने जा रही है उसका कारण यह है कि देश में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है अथवा सरकार अन्न की खपत कम करने के लिए गौतम और गांधी के इस देश की जनता को मांसाहार की ओर प्रोत्साहन देना चाहती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : बूचड़खानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य यह मंजूर करेंगे कि पशुओं की हत्या करने से पहले परिस्थिति ठीक होनी चाहिये और पशुओं का निरीक्षण भी पहले और बाद में किया जाना चाहिये और गोश्त को सफाई से उठाना धरना चाहिये। इन्हीं उद्देश्यों से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या दिल्ली में नया बूचड़खाना उस समिति की सिफारिशों के अनुसार पूरा किया जा चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वह रोक दिया गया है।

श्री कछवाय: मैं जानना चाहता हूं कि इन बूचड़खानों के अन्दर कौन कौन जाति के और कितने कितने जानवर काटे जाते हैं और उनमें गायों की संख्या कितनी है और सुअरों की संख्या कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनमें वही पशु हैं जिनकी सामान्यतया हत्या की जाती है। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में गौहत्या पर रोक है और वहां गायों की हत्या नहीं की जायगी।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेलवे पास

†*५६०. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० के० देव : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे रेलवे पास प्राप्त करने का हक है जो सारे देश में मान्य हों ;

(ख) क्या पूर्व बी० एल० रेलवे कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऐसे पास दिये गये हैं जो केवल मध्य रेलवे के बी० एल० रेलवे सेक्टर में ही मान्य हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भारतीय रेलवे के केवल वे कर्मचारी ही भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त के बाद के रेलवे पास पाने के हकदार होते हैं जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम योग्यता सेवा की हो।

(ख) जी हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भतपूर्व बी० एल० रेलवे कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल उसी रेलवे के पास मिलते थे और सरकार द्वारा वह रेलवे अपने हाथ में ले लिये जाने से पहले जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए थे उन्हें भी वह प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या उस रेलवे के रिटायर हुए कर्मचारियों की तरफ से गवर्नमेंट के पास कोई रिप्रेजेन्टेशन आए हैं, जिनमें उन लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है ? क्या सरकार उनको हिन्दुस्तान भर के लिए पास एलाऊ करने के सुझाव पर विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार ने बहुत गौरो-खोज़ के साथ इस पर विचार किया है और सरकार का कोई इरादा नहीं है कि उनको सारे हिन्दुस्तान के लिए पास दिया जाये ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि अकेले उस रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ ही यह सलूक क्यों हो रहा है, जब कि बाकी रेलवेज़ के रिटायर्ड कर्मचारियों को सारे हिन्दुस्तान के लिए पास दिया जाता है ।

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक लाइट रेलवे है और गवर्नमेंट रेलवेज़ के साथ मर्जर से पहले उन लोगों को सिर्फ उसी रेलवे का ही पास मिलता था । लिहाज़ा जो सहूलियात उनको फराहम थीं, वही हम उन को दे रहे हैं--उन को बढ़ा कर या कम कर के नहीं दे रहे हैं ।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या सेवा निवृत्त संसद् सदस्यों को भी इसी तरह की रियायतें देने का विचार है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंचायती राज अधिकारियों का प्रशिक्षण

†*५८१. **श्री कजरोलकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिये जून, १९६२ में जो ४७ सदस्यीय बड़ी समिति बनाई गई थी, उसके कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि ग्रामीण अधिकारी ग्राम नेताओं का कृषि तथा शिक्षा योजनाओं को लागू करने में उचित पथ प्रदर्शन करें, पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) सामुदायिक विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद् की जो जन १९६२ में बनाई गई थी, ३ जुलाई, १९६२ और २० मार्च, १९६३ को दो बैठकें हुई हैं । बैठकों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें और उन पर भारत सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१०३१/६३]**

(ख) जी हाँ ।

(ग) राज्य सरकारों को दिये गये अनुदेशों का सारांश पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१०३२/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन में भारतीय बन्दियों के लिये पार्सल

†*५९१. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जेनेवा अभिसमय की अपेक्षाओं के अनुसरण में चीन में भारतीय बन्दियों के सगे सम्बन्धियों को खाद्य पार्सलों सम्बन्धी पूर्ण डाक रियायतें दी जाती हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : आजकल सुविधा उपलब्ध नहीं है । फिर भी, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

टेलीफोन का दूसरा कारखाना

*५९२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री १० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन का दूसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : प्राविधिक समिति (टैक्निकल कमेटी) ने एक अनन्तिम रिपोर्ट पेश की है और उनकी सिफारिशों के मुताबिक सरकार ने, क्रास-बार स्विचों के प्रयोग पर आधारित, एक नये स्विचिंग सिस्टम को अपनाने का निश्चय किया है । यह प्रायोजना (प्राजैक्ट) अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और इसके प्राविधिक और वित्तीय ब्यौरों को पूरी तरह तैयार करने में कुछ और समय लग जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास

†*५९३. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों के विकास के लिये एक विशेष कृषि कार्यक्रम पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) उसके लिए कितनी रकम स्वीकार की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). भारत सरकार ने दिसम्बर, १९६२ में एक दल उत्तर प्रदेश में के चार पूर्वी जिलों, अर्थात् गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ में आर्थिक तथा सामाजिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाया था । आशा है कि दल इस वर्ष के सितम्बर मास में किसी समय तीव्र गति वाला विकास कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट देगा । उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित किये गये सामान्य व्यय के अतिरिक्त, कृषि तथा सामुदायिक विकास में से प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग ने १९६३–६४ के लिए १ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि देने की सिफारिश की है । राज्य सरकार से कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, अर्थात्, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर और आजमगढ़ के लिए कार्यक्रम बढ़ाने के लिए इस अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे

*५९४. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के विकास में अन्य रेलवे की तुलना में अब तक सब से कम रकम खर्च की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बध में २८ फरवरी, १९६३ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). उल्लिखित समाचार की सरकार को जानकारी है ।

पूर्वोत्तर रेलवे का विकास व्यय खण्ड रेलवे व्यवस्था में निस्सन्देह सबसे कम है, परन्तु इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि पंचवर्षीय योजनाओं में विकास व्यय विशेष कर हमारी अर्थ व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में आयोजित विकास से सम्बन्धित बढ़े हुए माल यातायात के लिए क्षमता उत्पन्न करने के लिए और यात्री यातायात में केवल १५ प्रतिशत वृद्धि करने के लिए है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और चालू योजना में भी माल यातायात को यात्री यातायात से अधिक प्राथमिकता दी गई है। अतः स्पष्ट है क रेलवे क्षमता का विकास पूर्व तथा दक्षिण पूर्व जैसे खण्डों पर आयोजित तथा कार्यान्वित करना है जहाँ से आयोजित विकास में अधिकतर माल यातायात आरम्भ होता है । क्योंकि भारी उद्योग अधिकतर इस्पात और कोयला पट्टियों में स्थित हैं, इसलिए उत्तर पूर्वी रेलवे खण्ड का माल यातायात के अतिरिक्त भार में भाग निश्चय ही कम है ।

मिलों को गन्ने का सम्भरण

*५९५. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की चीनी मिलों को इस वर्ष पर्याप्त गन्ना नहीं मिला ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इस कमी से कौन कौन सी मिलों पर प्रभाव पड़ा है तथा मध्य प्रदेश में प्रत्येक मिल में कितना गन्ना कम पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डब्ल्यू०, पी० इंजन

*५९६. **श्री कछवाय :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से पहला डब्ल्यू० पी० इंजन कब तक तैयार होकर बाहर आयेगा ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने इंजनों का निर्माण होने का अनुमान है ; और

(ग) प्रत्येक इंजन की क्या लागत होगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) चित्तरंजन में जो पहला डब्ल्यू० पी० रेल इंजन बनाया गया, उसे फरवरी, १९६३ में चलाकर सफल परीक्षण किया गया है। उसी महीने में दो और डब्ल्यू० पी० इंजन बनाये गये हैं। आशा है कि ये रेल इंजन जल्द काम में लाये जायेंगे।

(ख) आशा है कि १९६३–६४ में चित्तरंजन कारखाने में लगभग ७५ डब्ल्यू० पी० रेल इंजन बनाये जायेंगे।

(ग) चित्तरंजन में एक डब्ल्यू० पी० रेल इंजन के निर्माण पर लगभग ४.३० लाख की लागत का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना पैरने का मौसम

†*५९७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में २१ चीनी के कारखाने अब तक बन्द हो चुके हैं तथा शेष सात द्वारा मार्च में गन्ने की पिराई बन्द किये जाने की सम्भावना है और इस प्रकार औसत पिराई मौसम १४४ दिन से घट कर ९० दिन का रह जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) उत्तर प्रदेश में काम कर रहे ७२ कारखानों में से ५० कारखाने २१ मार्च, १९६३ तक बन्द हो गये थे। पिराई-फसल की अवधि सभी कारखानों के बन्द होने पर मालूम होगी।

(ख) कारखाने गन्ने का संभरण कम होने के कारण बन्द हो गये।

मुगलसराय यार्ड

†*५९८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय में यंत्रीकृत मार्शलिंग यार्ड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितना व्यय हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसकी वैगन क्षमता कितनी है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) ३० लाख रु० की लागत पर ३१-८-६२ को ।

(ग) मुख्य बातें निम्न हैं :—

(१) छिद्रित पट्टी पर मार्ग निर्माण ।

(२) पहिले से बनाये गये मार्गों के अनुसार प्वाइन्टों का स्वचालित निर्धारण ।

(३) मनुष्य द्वारा संचालित चार इलैक्ट्रो-न्यूमेटिक रिटार्डर, लाइनों के प्रत्येक ग्रुप के लिए एक, गति तोड़ने के लिए, जो वैगन के भार पर निर्भर होती है, संबंधित लाइन कहां तक घिरी है, आदि ।

(४) हम्प के बिन और यार्ड में अनेक प्वाइन्टों के बीच लाउडस्पीकरों तथा अन्तर-संचार सुविधायें ।

प्रतिदिन ४,००० वैगन निकालने की क्षमता ।

दूध के कार्ड

*५९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्थापित दूध के डिपो से दूध लेने के लिये हर मास १० तारीख तक नये कार्ड बनवाये जा सकते थे ;

(ख) यदि हां, तो इस महीने में यह तारीख १० मार्च से ८ मार्च क्यों कर दी गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ डिपो पर ८ मार्च को भी कार्ड नहीं बनाये जा सके क्योंकि वहां पर कार्डों की किताब नहीं थी ; और

(घ) डिपो में कार्ड उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना से केन्द्रीय कार्यालय से कार्ड बनाने पर ०.५० नये पैसे अतिरिक्त क्यों लिये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) साधारणतया दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न दूध के डिपो से दूध बेचने के लिये अग्रिम कार्ड प्रत्येक महीने की ३ से १० तारीख तक बनाये जाते हैं और इन कार्डों पर उस महीने की १३ तारीख से अगले महीने की १२ तारीख तक दूध सप्लाई किया जाता है ।

(ख) इस वर्ष ९ तथा १० मार्च को होली का त्यौहार होने के कारण अग्रिम दूध के कार्डों के नवीकरण जारी करने की तारीखें बदल कर २ से ८ मार्च, १९६३ कर दी गई थीं । ऐसा जनता की सुविधा के लिये किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उपरोक्त (ग) के होते हुए प्रश्न ही नहीं होता। फीस उन मामलों में ली जाती है जिनमें कि उपभोक्ता डिपो द्वारा निश्चित तारीखों के बाद केन्द्रीय कार्यालय से कार्ड प्राप्त करते है। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कार्ड जारी किये जाने से जो अतिरिक्त खर्च पड़ता है उसे पूरा करने के लिये ऐसा किया जाता है।

चीनी का उत्पादन

†*६००. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कितना बढ़ाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) प्रश्न विचाराधीन है।

जहाज माल भाड़ा दरें

†*६०१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प० कुन्हन् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सात स्टीमशिप कम्पनियों के सम्मेलन में अमरीकी एटलांटिक तथा मैक्सिको की खाड़ी के बन्दरगाहों से भारत तथा अन्य देशों के लिये जहाज माल भाड़े के मूल दरों में १० प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टीमशिप कम्पनियों ने भी उसी के अनुसार भाड़ा दरें बढ़ाने की घोषणा कर दी है अथवा करने के बारे में सोच रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारत, पाकिस्तान, श्री लंका और बर्मा की बाहम भार कन्फ्रेंस ने, जो अमरीका, उत्तर एटलांटिक और खाड़ी बन्दरगाहों से भारत के साथ होने वाले व्यापार को नियंत्रित करती है, हाल में मूल दरों में १० प्रतिशत वद्धि की घोषणा की है।

कान्फ्रेंस में आजकल एक भारतीय और सात विदेशी नौवहन कम्पनियां हैं।

(ख) सामान्य कान्फ्रेंस प्रथा के अनुसार सभी सदस्य कम्पनियों को भाड़े की एकसी प्रशुल्क दरें स्वीकार करनी पड़ती है।

पलाना कोयला खान के लिए वैगन

†११२०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के जोधपुर डिविजन में सम्बन्धित प्राधिकारियों को पलाना (राजस्थान) कोयला खान को समय पर वैगन देने में कठिनाई हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान के मामले में रेलवे और प्रबन्धक के बीच कोई विवाद है ; और

(ग) आजकल मामला किस स्तर पर है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†**११२१. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में समुद्र में मछली पकड़ने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के बारे में उड़ीसा सरकार से केन्द्र को कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) योजना के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म थामस)**: (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने समुद्र तट पर और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्रों के विकास के लिये भारतीय खम्बाम अधिनियम के अन्तर्गत एक राज्य मत्स्यपालन विकास निगम बनाया है। निगम ने भारत सरकार से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मांगी है । इस प्रार्थना पर सरकार विचार कर सके, इसलिये उड़ीसा सरकार से योजना का पूर्ण ब्यौरा देने को कहा गया है। ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इस के प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पर आगे विचार किया जायेगा ।

रेलों में नैमित्तिक कर्मचारी

†**११२२. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के निश्चित अनुदेशों के होते हुए भी रेलों में भी काम पर रखे गये आकस्मिक मजदूरों को भी जो छः मास से भी अधिक अवधि के निरन्तर कार्य के लिये रखे जाते हैं, नियमित समय पर काम से हटाया जा रहा है ताकि उन्हें अस्थायी कर्मचारियों का स्थान न मिल सके, जिसके लिये वे अधिकारी हैं क्योंकि छः मास से अधिक का निरन्तर कार्य कर चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या सरकार द्वारा की जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शेर प्रजनन

†**११२३. श्री प्र० चं० देवभंज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के वनों (गुजरात में गिर वन छोड़कर) में शेर प्रजनन के लिये कोई कार्यवाही कर रही है : और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) गुजरात के गिर-वन से लाकर एक शेर और दो शेरनियां उत्तर प्रदेश की चन्द्रप्रभा 'सैंक्चुअरी' में, मूलतः इन शेरों के लिये इसका 'घर' बनाने के उद्देश्य से, रखे गये। वे अभी तक अन्य किसी राज्य में नहीं रखे गये हैं।

(ख) अक्टूबर, १९६२ में प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार चन्द्रप्रभा 'सैंक्चुअरी' में रखे गये शेर पनप रहे हैं और उन के बच्चों सहित उनकी संख्या छः बताई जाती है।

मोरों का परिरक्षण

†**११२४. श्री प्र० चं० देव भंज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने के बाद उस के परिरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: ३१-१-६३ को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने के बाद उस के परिरक्षण के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई हैं। अक्टूबर, १९५८ में भारतीय वनजीव बोर्ड की सिफारिशों पर अधिकतर राज्यों ने, जहां यह पक्षी मिलता है, इसे शिकार तथा मारे जाने के विरुद्ध पूर्णतया परिरक्षित घोषित कर दिया है।

हरी और गोबर की खाद

११२५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये केवल रासायनिक खादों के प्रयोग पर ही ज़ोर दिया जाता है और हरी खाद तथा गोबर की खाद (कम्पोस्ट) पर नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हरी खाद और गोबर की खाद का प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ऐसा कहना ठीक नहीं है कि केवल रासायनिक खादों के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। सरकार यह जानती है कि इससे अधिकतम लाभ उठाने के लिये रासायनिक तथा कार्बनिक खादों का साथ साथ ही प्रयोग होना चाहिये और यह विशेष रूप से इसलिये भी आवश्यक है कि अयनीय जलवायु के कारण भारतीय मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी है। अतः सरकार कार्बनिक खादों को नष्ट होने से बचाने के लिये तथा उसके पूर्ण उपयोग के लिये सभी सम्भव प्रयत्न करती रही है। इसलिये (१) ग्रामीण कम्पोस्ट (गोबर की खाद) उत्पादन करने—जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मल खाद तैयार करना भी शामिल है (२) शहरी कम्पोस्ट उत्पादन और (३) हरी खाद के तौर-

†मूल अंग्रेज़ी में

तरीकों में तेजी लाने की विभिन्न योजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है और सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में उनको क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) राज्यों के कृषि विभागों का विस्तार स्टाफ सामान्य रूप से और कम्पोस्ट इन्सपेक्टर विशेष रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त फार्म नेताओं के गहरे सहयोग से हरी खाद तथा कम्पोस्ट के प्रयोग का प्रचार करते हैं। इन कार्यकर्त्ताओं को अपेक्षित तकनीकी सहायता देने के लिये, राज्यों के कृषि विभागों तथा केन्द्र के विस्तार निदेशालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, द्वारा परिचय पत्र, पुस्तिकायें, पोस्टर और पत्रिकायें आदि प्रकाशित किये जाते हैं। कम्पोस्ट बनाने तथा हरी खाद देने के विभिन्न पहलुओं पर रेडियो भाषण तथा चलचित्रों का भी आयोजन किया जाता है। अधिकतर राज्यों/संघ क्षेत्रों में विशेष अभियानों का आयोजन किया जाता है। राज्यों/संघ क्षेत्रों में कम्पोस्ट इन्स्पेक्टर किसानों को कम्पोस्ट तैयार करने की तकनीकों तथा हरी खाद देने के कार्य में तेजी लाने की दिशा में व्यावहारिक प्रक्षिण देते हैं। राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अच्छा काम करने वाली स्थानीय निकायों को पुरस्कार तथा शील्ड देती है ।

कोर्टल्लम के लिए रेलवे रियायत

†**११२६. श्री म० प० स्वामी** : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मद्रास सरकार का यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है कि पहाड़ी स्थानों की भान्ति कोर्टल्लम (तेनकासी रेलवे स्टेशन के पास स्वास्थ्यप्रद तथा पर्यटक केन्द्र) के लिए सामयिक रियायती वापिसी टिकट जारी करने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

(ख) रियायती वापिसी टिकट केवल कुछ पहाड़ी स्थानों के लिए जारी किये गये हैं और ऐसे रियायती वापिसी टिकट अन्य स्थानों के लिए, जो स्वास्थ्यप्रद तथा पर्यटक आदि स्थान हों, जारी नहीं किये जाते ।

भामा (मध्य प्रदेश) में डाक घर

†**११२७. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर की तहसील गदरवाड़ा में भामा का शाखा डाक घर बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार डाक घर बन्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन और यथा स्थिति बनाये रखने की प्रार्थना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). दो अयावेदन मिले हैं, एक भामा गांव वासियों का और दूसरा स्वयं माननीय सदस्य का। गांववासियों को सूचित कर दिया गया है कि डाक घर बन्द नहीं होगा। फिर भी, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे डाकघर का पूर्ण प्रयोग करें ताकि इसे स्थायी आधार पर बनाये रखने के लिए इसकी आम आय बढ़ जाये।

सम्बलपुर टीटागढ़ रेलवे लाइन

†११२८. **श्री महानन्द :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बोलनगीर हो कर सम्बलपुर से टीटागढ़ तक बन रही रेलवे लाइन के लिए सरकार ने कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की है ;

(ख) कितने कृषकों को उनकी भूमि के लिए प्रतिकर दिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ को सरकार ने अभी प्रतिकर नहीं दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ४४५० एकड़।

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कुल देय ३०.५ लाख रु० के प्रतिकर में से राज्य सरकार ने अभी तक केवल २५ लाख रु० मांगे हैं जो उनके विवेक पर रख दिये गये हैं और जिसमें से २३.५ लाख रु० उन्हें दिये जा चुके हैं। शेषराशि राज्य सरकार के मांगने पर उनके विवेक पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में पटसन का विकास

†११२९. **श्री उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में पटसन के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) उड़ीसा में उस काल में पटसन का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) उसी काल में राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता में से कितना धन व्यय हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ग). पटसन के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को विशेषरूप से कोई अनुदान नहीं दिया गया। संभव है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य विकास योजनाओं के लिए थोक विकास अनुदानों में से पटसन के विकास पर व्यय किया हो। इन राशियों संबंधी जानकारी मांगी गई है और राज्य से प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) २.९३ लाख गांठें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन

†११३०. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाने के बारे में पिछले आठ महीनों में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो १६४ पंचायत समितियों में से कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाए गए हैं, जिनमें अगस्त १९६२ तक टेलीफोन न थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). और कोई प्रस्ताव नहीं आया है। नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहिले उत्तर में १६ पंचायत समितियों में से इस बीच टेलीफोन लग गये हैं ।

रायगढ़ में रेलवे बस्ती

†११३१. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ (उड़ीसा) में रेलवे बस्तियों में बिजली लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : सड़कों पर बिजली लगा दी गई है । क्वार्टरों में तार लगाने के लिए ठेका दे दिया गया है और आशा है कि कार्य अगस्त, १९६३ में पूरा हो जायेगा ।

क्रॉसिंग स्टेशन

†११३२. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय अवधि में (१) हावड़ा–पुरी, (२) पुरी–मद्रास तथा (३) विशाखापटनम–रायपुर ब्राडगेज लाइनों पर कितने नये क्रासिंग स्टेशन बनाने का विचार है तथा कितने ऐसे स्टेशन पूरे करने का विचार है ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक नये स्टेशन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

सैक्शन	क्रासिंग स्टेशनों का ब्योरा	आवंटित राशि (लागत लाख रुपयों में)	तीसरी योजना अवधि में आरंभ करने तथा पूर्ण किये जाने का विचार
(१) **हावड़ा-पुरी सैक्शन** (दक्षिण पूर्व रेलवे)	पंचकुरा तथा हौड़ के बीच क्रासिंग स्टेशन	५.७५	एक
२. **पुरी–वाल्टेयर सैक्शन** (दक्षिण पूर्व रेलवे)	तापांग और भुसन्दपुर के बीच क्रासिंग स्टेशन	१३.०	एक
३. **वाल्टेयर** (दक्षिण रेलवे) **मद्रास सैक्शन**	दोरावारीचातरम और नयूदूपेत के बीच क्रासिंग स्टेशन	३.२१	तीन
	नयू दूपेत और पेड्डापेरिया के बीच क्रासिंग स्टेशन	४.७९	
	दूवाड़ा और गोपालपटनम के बीच क्रासिंग स्टेशन	३.७७	
(३) **विशाखापटनम्-रायपुर सैक्शन** (दक्षिण पूर्व रेलवे)	रायवाड़ा और जेमादीपेत के बीच क्रासिंग स्टेशन	६.०३	दो
	जेमादीपेत तथा गुमाडा के बीच क्रासिंग स्टेशन	५.५०	

भुवनेश्वर में डाक व तार क्वार्टर

†११३३. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार घर की इमारतों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये स्थान भुवनेश्वर १ (उड़ीसा) में अधिग्रहण कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इमारतों का निर्माण आरंभ किया जा चुका है और कब तक कार्य पूर्ण होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, सी० पी० डब्ल्यू० डी० से प्राक्कलन आ चुके हैं और विचाराधीन हैं । मंजूरी मिलने के पश्चात् काम आरंभ किया जायगा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

विकास खण्डों के बजट

†११३४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खण्डों के वार्षिक आयव्यय के आंकड़े बनाते समय और योजनाओं का सूत्रपात करते समय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए धन राशियां निश्चित करने की छूट ब्लाक समितियों को कहां तक प्राप्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विकास अधिकारीगण और नियोजन अधिकारीगण स्थानीय कार्यों को व्यय की मदों में सम्मिलित नहीं करने देते हैं जिसके परिणामस्वरूप कोई भी स्थानीय कार्य जनता की इच्छाओं के अनुकूल नहीं हो पाते ;

(ग) क्या इस दिशा में सरकार विकास समितियों को विस्तृत अधिकार देने का विचार रखती है ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित मदों में हेर फेर कर सकें ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) जिन राज्यों में पंचायती राज लागू किया गया है वहां पर खंड विकास समितियों के स्थान पर जो पंचायती राज संस्थाएं गठित की गई हैं, वे लागू नियमों के अधीन रहते हुए अपना बजट बनाने और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने में सक्षम हैं । दूसरे राज्यों में खंड विकास समितियां बजट पर विचार करती हैं और वे ही उसका अनुमोदन करती हैं । वे स्कीमेटिक बजट के भीतर रह कर स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल बैठ-बिठाव करने के लिए सिफारिश कर सकती हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) व (घ). जैसा कि ऊपर कहा गया है यह उन राज्यों में आवश्यक नहीं होगा जहां पंचायती राज लागू किया जा रहा है । शेष राज्यों में जब पंचायती राज संस्थाएं गठित कर दी जाएंगी तब उन्हें विस्तृत अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जायेंगे ।

हावड़ा से बम्बई तक जनता एक्सप्रेस

†११३५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से बम्बई तक एक जनता ऐक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब जारी की जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). क्योंकि बहुत से काम या तो चल रहे हैं या आरम्भ किये जाने वाले हैं, जिन में इगतपुरी-भुसावल तथा टाटानगर-खड़गपुर-हावड़ा सैक्शनों पर लाइन क्षमता बढाई जाये निकट भविष्य में बम्बई और हावड़ा

†मूल अंग्रेज़ी में

के बीच बरास्ता नागपुर एक जनता ऐक्सप्रेस गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है। तथापि जब अत्यावश्यक माल यातायात के वहन की दृष्टि से इस मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिये स्थिति अच्छी होगी, इस मामले पर विचार किया जायेगा।

भारतीय नौवहन समवाय

†*११३६. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नौवहन समवायों के नाम क्या हैं, जिनकी पंजी में विदेशियों ने अंश ले रखे हैं;

(ख) विभिन्न समवायों में विदेशियों को कितने प्रतिशत अंश दिये गये हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की भागिता के लिये कोई विशेष शर्तें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). जिन भारतीय नौवहन समवायों की पूंजी में विदेशियों के भाग हैं तथा उन भागों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

क्रमांक	समवाय का नाम	विदेशी भागिता की प्रतिशतता
१	सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी सीमित . .	०.६९ प्रतिशत
२	इंडिया स्टीम शिप कम्पनी सीमित . . .	३.१७ प्रतिशत
३	भारत लाइन सीमित	६.६७ प्रतिशत
४	जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्राइवेट) सीमित . .	२४.८ प्रतिशत
५	मुगल लाइन सीमित	१९.३१ प्रतिशत
६	मलाबार स्टीमशिप कम्पनी सीमित . . .	०.००९ प्रतिशत
७	गिल अमीन एंड कम्पनी	१३.५७७ प्रतिशत
८	साउथ पूर्व एशिया शिपिंग कम्पनी . . .	२५ प्रतिशत

(ग) जी नहीं, भारतीय नौवहन में अधिकतम विदेशी भागिता की मात्रा इस समय व्यापार नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा २१ के अन्तर्गत २५ प्रतिशत तक सीमित है।

†मूल अंग्रेजी में

अल्पकालीन खाद्य फसलें और सब्जियां

†११३७. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त क्षेत्रों में अल्पकालीन खाद्य फसलों और सब्जियों को उगाने की योजना को कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये किसानों को ऋण या अर्थ सहायता के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) सब्जियां उगाने की योजना आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों में कार्यान्वित की गई है। सभी राज्यों को ढंग से अल्प अवधि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों को संगठित करने के लिये भी मंत्रणा दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में आन्दोलन शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग). ऋणों तथा अर्थ सहायता के द्वारा वित्तीय सहायता, सब्जियां उगाने के लिये आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमान्त राज्यों में इस प्रकार दी गई है :

राज्य	अर्थ सहायता	ऋण
आसाम . . .	३०,८०० रुपये	४,००,००० रुपये
पश्चिम बंगाल] . .	१५,००० रुपये	४,००,००० रुपये
बिहार . . .	,,	३,५०,००० रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

†११३८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में नवीन रेलवे लाइनें बिछाने की अपनी प्रार्थना को दुहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) मामले का परीक्षण किया गया था किन्तु राज्य द्वारा प्रस्तावित किसी नई रेलवे लाइनों को रेलवे की तीसरी योजना में शामिल करना सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री भाड़े

†११३९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ और ८ जनवरी, १९६३ को नई दिल्ली में हुई दो दिन की बैठक में भारत और पाकिस्तान के परिवहन तथा नौवहन कर्मचारियों के बीच, समुद्री भाड़े में वृद्धि सम्बन्धी प्रश्नों की चर्चा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) सूचना बताना लोकहित में नहीं है ।

द्रुत मालगाड़ियां

†**११४०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल यातायात के वहन सम्बन्धी विलम्ब को घटाने केलिये द्रुत मालगाड़ियां चला कर रेलों में हाल में नवीन तरीका अपनाया गया है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे ने गुजरात और सौराष्ट्र को कोयला ले जाने के लिये कुछ तेज़ चलने वाली गाड़ियां आरम्भ कर दी हैं;

(ग) क्या डीजल से चलने वाले इंजन वर्तमान माल गाड़ी इंजनों का स्थान ले रहे हैं;

(घ) क्या इन नवीन तरीकों का अनुभव इस अपेक्षा को पूरा करता है कि बढ़े हुए यातायात को अच्छे परिमाप में किया जा सकेगा; और

(ङ) इस तरीके का विस्तार तीसरी योजना अवधि में कहां तक हो सकेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) द्रुत माल गाड़ियां माल यातायात के वहन को तेज़ करने की दृष्टि से रेलवे में धीरे धीरे जारी किया गया है ।

(ख) केवल मात्र गुजरात और सौराष्ट्र को कोयला ले जाने के लिये ही कोई द्रुत माल गाड़ियां नहीं । तथापि वर्तमान द्रुत गतमाल गाड़ियां गुजरात और सौराष्ट्र को कोयला ले जाती हैं ।

(ग) जी हां, जहां इसकी आवश्वकता होती है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) संचालन अवस्थाओं तथा यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार इस तरीके का विस्तार रेलों में किया जा रहा हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ग्राम पंचायतें

†११४१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्रामीण क्षत्रों में कितनी ग्राम पंचायतें चल रही हैं ;

(ख) खण्ड विकास अफसरों के साथ कितने खण्ड समुचित रुप से संगठित हैं और उसके साथ कितने विस्तार अफसर हैं;

(ग) कितनी पंचायत समितियां यथोचित बनी हुई है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों के पारित पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कितनी जिला परिषदें स्थापित हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) २०४५२६ ।

(ख) खण्ड विकास अफसरों वाले खण्डों की संख्या . . ४४८३

विस्तार अफसर कृषि वाले खण्डों की संख्या . . . ४३१५

विस्तार अफसर (पशुपालन) वाले खण्डों की संख्या . ३३४४

विस्तार अफसर (सहकार) वाले खण्डों की संख्या . ३६२९

विस्तार अफसर (ग्रामोद्योग) वाले खण्डों की संख्या . . २२६३८

विस्तार अफसर समाज शिक्षा संयोजक पुरुष/विस्तार अफसर (पंचायतें) . ४४८४

विस्तार अफसर मुख्य सेविकाएं २१७७

विस्तार अफसर ओवरसियर . ४३९९

(ग) २९५७

(घ) २१० ।

पौधा प्रजनन सम्बन्धी अनुसन्धान

†११४२. **श्रीमती सावित्री निगम : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में कौर्न फ्रूट वैजीटेबल के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था हाल में किये गये क्रान्तिकारी कृषि पौधा प्रजनन सम्बन्धी खोज कार्य का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** पिछले दो वर्षों में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ने कौर्न, सब्जियों-फलों, सजाने वाले पौधों और औषधियों वाले पौधों समेत विविध फसलों के कुल मिला कर ५५० पौधे नेपाल से तथा ४५० सिक्किम से इकट्ठे करके उनके प्रजनन स्टाक के संग्रह के लिये नेपाल और सिक्किम के भागों में पौधा खोज कार्य किया था। इनका अनुमान दिल्ली में तथा संस्था के उपकेन्द्रों में किया जा रहा है। कली समेत जो और दाल की फसलों के बहुत से स्टाक उत्साहवर्धक दिखाई देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिये टेलीफोन

†११४३. {श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवीन ४००० लाइन स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को चलाने के बाद भी अब नई लाइनों की मांग बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में नई लाइनों की मांग का अनुमानतः अनुमान क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) ३५,००० प्रार्थनापत्र इस समय प्रतीक्षा सूची पर हैं ।

चावल का भाव

†११४४. {श्री स० चं० सामन्त
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विविध प्रखण्डों और किस्मों के लिये चावल के निम्नतम भाव १४.५० रुपये और १८.५० रुपये मन के बीच नियत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी प्रखण्ड के लिये क्या भाव निश्चित किये गये हैं ;

(ग) क्या निम्नतम मूल्य समादर मूल्य के रुप में भी नियत किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा ने पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम चावल बोया है ; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वी खण्डों को उड़ीसा द्वारा चावल का सामान्य सम्भरण कैसे पूरा किया जाएगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). देश में चावल के प्रचलित दामों के सम्बन्ध में चावल का कोई निम्नतम मूल्य नियत करना आवश्यक नहीं समझा गया । सरकार इस काम के लिये नियत दामों पर बहुत से राज्यों में चावल का समाहार कर रही है । इस समाहार से उन राज्यों में चावल के दामों को बल प्राप्त होगा जिन राज्यों में सरकारी समारोह कार्य इस समय नहीं चल रहा, राज्य सरकारों को काफी औसत किस्म के चावलों की आय सफेद किस्म को उन क्षेत्रों में जहां चावल के दाम उन स्तरों से नीचे गिरने लगें, १९५८–५९ मौसम के लिये नियत दामों पर खरीदने के लिये कहा गया है । समाहार मूल्य विभिन्न प्रकार के चावल के लिये प्रति क्विंटल ३४.८३ रुपये और ७५.६९ रुपये के बीच है । पूर्वी प्रखण्ड में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आसाम के राज्यों में, विविध किस्मों के चावलों के लिये ये दाम ४२.८७ रुपये और ६९.०४ रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उड़ीसा में इस वर्ष चावल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार उत्पादन पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा कम होने की सम्भावना है।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार को चालू वर्ष में, उड़ीसा से व्यापार खाते में पश्चिम बंगाल को कितना चावल और धान भेजा जा चुका है तथा पारम्परागत सीमा व्यापार के सत्र में नेपाल के सीमा-वर्ती क्षेत्रों से जो चावल आता है, उसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्टाक से पर्याप्त मात्रा में चावल देने का आश्वासन दिया गया है। गेहूं के वितरण में भी उदारता की गई है और भारत सरकार केन्द्रीय स्टाक से सम्भरण करेगी जितनी उस राज्य में वितरण करने के लिये जरुरत होगी।

नारियल के बागान

†११४५. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अरब सागर में लकदीव और मिनिकाय द्वीपों में नारियल बागान का कब्जा दे दें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) केरल सरकार की ओर से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई। तारादीव और मिनिकाय द्वीपों के नारियल बागान उन द्वीपों में रहने वाले लोगों के हैं।

भारतीय जहाजों के लिये रडार

†११४६. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जहाजों में राडर लगाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** भारतीय जहाजों पर रडार उपकरण का होना व्यापार विधियों के अधीन अनिवार्यत: अपेक्षित नहीं है। किन्तु समुद्र में लोगों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से जहाजों के मालिकों ने अपने बहुत से जहाजों में राडर उपकरण लगा रखे हैं। भारतीय सरकार इस बात की ओर ध्यान दे रही है कि जिस किसी नये जहाज के लिये आर्डर दिया जाए, उसमें कहां तक सम्भव हो सके, यह उपकरण लगाया जाना चाहिये।

जालन्धर पठानकोट राजपथ

†११४७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जालन्धर और पठानकोट के बीच के राजपथ को भारी यातायात के कारण चौड़ा किया जा रहा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** जी हां।

रेलवे सैलून

†११४८. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के विभिन्न खण्डों पर द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध सैलूनों की संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि बड़ोदा खण्ड में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) क्या आपात काल में मितव्ययता के रुप में सरकार इस सुविधा को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न खण्डों के प्रथम तथा द्वितीय दोंनों ही श्रेणियों के कर्मचारियों के उपयोग के लिए बड़ी लाइनों पर २७ तथा छोटी लाइनों पर ३३ चार पहियों वाली इंसपैक्शन कैरियैजस हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

कपास के फार्म

†११४९. **श्री यशपालसिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिनौलों की किस्मों में सुधार करने के लिये सरकारका कपास के फार्म चलाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ;

(ग) प्रयोग के लिए कौन-कौन से राज्य चुने गए हैं ; और

(घ) इस कार्य में कितना धन व्यय हो जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपराज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कपास उगाने वाले सभी मुख्य मुख्य राज्यों ने कपास के सुधार के लिए फार्म स्थापित कर दिये हैं । ऐसे फार्म स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हुबली तक रेलवे की बड़ी लाइन

†११५१. **श्री सं० ब० पाटिल :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुंटाकल तथा हौसपट और पूना तथा मिराज के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने बड़ी रेलवे लाइन की हौसपेट से हुबली तक तथा मिराज से हुबली तक बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का तृतीय योजना काल में ही बड़ी लाइन को बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अनुमोदित प्रस्ताव यह है कि हौसपेट तथा गुंटाकल के बीच विद्यमान ७१ मील लम्बी छोटी लाइन के समान्तर एक अलग बड़ी लाइन डाली जाय और पूना तथा मिराज के बीच (१६३ मील लम्बी) विद्यमान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाय ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). क्योंकि तृतीय योजना काल में हौसपेट–हुबली तथा हुबली-मिराज खण्डों पर जितना यातायात होने का अनुमान लगाया है वह छोटी लाइन के खण्डों की क्षमता से अधिक नहीं है ; अतः इन खंडों को बड़ी लाइन के खण्डों के रुप में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय नौवहन समवाय में विनियोजन

†११५२. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में न रहने वाले एक भारतीय नागरिक द्वारा भारतीय नौवहन समवाय में लगाया गया धन भारतीय आय-कर से मुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस छूट के लिए भारत में न रहने वाले भारतीय को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह अपने लाभांश को उस देश को नहीं भेजेगा जहां से प्रश्नाधीन धन विनियोजन के लिए आया है ;

(ग) क्या इस प्रकार विनियोजित किये गये धन को एक भारतीय समवाय को रुपयों में किये गये भुगतान के रूप में समझा जाता है ; और

(घ) क्या ऐसी पूंजी को, यदि वह एक भारतीय नौवहन समवाय में विनियोजित की गई हो, भारतीय पूंजी समझा जाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक भारतीय नौवहन समवाय में किया गया कोई भी विनियोजन आय कर से मुक्त होता है परन्तु उससे होने वाली आय पर कर लगावा जायगा ।

(ख) सामान्यतः भारत में न रहने वाले एक भारतीय नागरिक को किसी भारतीय नौवहन समवाय में अंशों (शेयर्स) में लगाये गये धन पर समवाय द्वारा घोषित लाभांश को,

---

†मूल अंग्रेजी में

करों को चुकाने के पश्चात्, प्रत्यावर्तन करने का अधिकार होता है परन्तु स्वेच्छा से वह अपने इस अधिकार को छोड़ सकता है जिस अवस्था में कि घोषित किये गये लाभांश प्रत्यावर्तित नहीं किये जायेंगे ।

(ग) और (घ). जी, हां ।

लावारिस कुत्ते

†११५३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि पशु कल्याण बोर्ड ने इस वर्ष फ़रवरी के अन्तिम सप्ताह में किसी समय हुई अपनी वार्षिक बैठक में इस देश के लावारिस कुत्तों का पीड़ा रहित विनाश करने का का संकल्प किया था ;

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या उपाय सोचे गए हैं ; और

(ग) क्या राज्यों में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या के सम्बन्ध में किसी अधिकृत पशुगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि कुक्कुर रक्षण शालायें[१] स्थापित करने के लिये तथा जितने आवारा कुत्तों के लिये सम्भव हो सके उपयुक्त घरों के ढूंढने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें जहां विनाश करना ही पड़े वहां मानुषिक व्यवस्था होनी चाहिये ।

(ख) उपायों में से एक यह है कि कुत्ते की गर्दन के चारों और लिपटे हुए धातु के एक पट्टे में होकर उसे बिजली का झटका दिया जाता हैं ;

(ग) राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के आवारा कुत्तों की संख्या के सम्बन्ध में किसी पशुगणना के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

बीकानेर शहर में ऊपरी पुल

११५४. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलव के बीकानेर डिवीज़न में बीकानेर शहर में ऊपरी पुल बनाने का काम कब शुरू किये जाने की संभावना है ; और

(ख) वह पुल कब तक यातायात के लिये तैयार हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) राज्य सरकार ने खास पुल की चौड़ाई के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और न पुल के नक्शों की स्वीकृति दी है । इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि काम कब तक शुरु किया जासकेगा ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१]Rescue Kennels.

ट्राली चलाने वालों के लिए बरसाती

११५५. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवें** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलव के बीकानेर और जोधपुर में ट्रोलीमेनों को वर्षा ऋतु में बरसाती नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). उत्तर रेलवे के ट्राली वालों को बरसाती कोट नहीं दिये जाते, लेकिन बरसाती इलाकों में ट्राली वालों को वाटरप्रूफ़ कैप और हुड दिये जाते हैं। उत्तर रेलवे के वर्दी विनियमों के अधीन बीकानेर के दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन को छोड़कर जोधपुर और बीकानेर डिवीज़नों को बरसाती इलाका घोषित नहीं किया गया हैं ।

बीकानेर डिवीजन में रेलवे क्वार्टर

११५६. { **श्री प० ला० बारूपाल**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीज़न में रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टरों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कब तक दूर हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). इस समय बीकानेर डिवीज़न में लगभग ५४ प्रतिशत कर्मचारियों को रहने के लिये क्वार्टर दिये गए है । दूसरे डिवीज़नों के मुक़ाबले यह स्थिति कहीं अच्छी है । इस काम के लिये उपलब्ध सीमित साधनों और रकम के अनुसार हर साल और क्वार्टर बनाये जा रहे है ।

बीकानेर में टेलीफोन

११५७. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में डायल सिस्टम टेलीफोन कब तक लग जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): बीकानेर में स्वचल डायल टेलीफोन प्रणाली चालू पंचवर्षीय योजना के दौराना लगाना संभव नहीं हो सकेगा ।

उसे आगामी योजना अवधि में लगाना संभव होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

पंजाब में बागवानी

†११५८. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में बाग़बानी के लिए पंजाब सरकार को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कितना धन दिया गया था ; और

(ख) उनके द्वारा कितने धन का उपयोग किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९६२-६३ में बाग़बानी के विकास के लिए पंजाब सरकार को ऋण तथा अनुदानों के रूप में निम्नलिखित धन दिया गया था :—

ऋण	. . . .	९,४०,००० रुपये
अनुदान	. .	३,०५,०००रुपये
योग	. .	१२,४५,०००रुपये

(ख) १९६२-६३ में ही १२ लाख ४५ हज़ार रुपये के समस्त धन का उपयोग कर लिया गया है ।

आसाम में सहकारिता आन्दोलन

†११५९. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य को वहां सहकारिता आन्दोलन में तेज़ी लाने के लिए ऋण अथवा सहायता के रूप में कोई विशेष सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख) जी, हां। सहकारी संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिये आसाम सरकार को ४ (चार) रुपये का एक अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। आसाम सरकार ने अब इस के अतिरिक्त नये प्रस्ताव बनाये हैं जो कि विचाराधीन हैं ।

रेलों में दिये जाने के लिए चाय

†११६०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में दिये जाने के लिये "मैजिक लीफ टी" के नाम से पुकारे जाने वाली पत्ती वाली चाय की एक किस्म स्वीकार कर ली गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निविदाये आमंत्रित की गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां। यह प्रयोगात्मक आधार पर स्वीकार की गई थीं।

(ख) सीमित निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांडु-अमिनगांव समुद्री नौघाट

†११६१. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडू में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल के पूरा हो जाने के पश्चात उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के पांडू, अमिनगांव का समुद्री नौघाट संगठन अब किस स्थान पर कार्य में लगा हुआ है ;

(ख) क्या उनकी सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पशुओं की मृत्यु

११६२ **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय दैनिक और प्रतिवर्ष कितने पशु मरते हैं और

(ख) उनमें गौ, भैंस, बकरी, सूअर आदि की संख्या अलग अलग कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). पशुओं की विभिन्न जातियों की वार्षिक मृत्यु के सम्बन्ध में कोई नियमित आंकड़े इकट्ठे नहीं किये

---

†मूल अंग्रेजी में

जाते। फिर भी १९६१ में हुई पशुधन गणना के आधार पर प्राकृतिक कारणों से वर्ष भर में मरने वाले पशुओं के आंकड़ों का अस्थायी अनुमान नीचे दिया गया है :—

गाय	१६६ लाख
भैंस	५२ लाख
बकरी	५९ लाख
भेड़	३५ लाख

सुअरों के विषय में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कृष्य भूमि का अर्जन

†११६३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ ज़िला के ग़ाज़ियाबाद तहसील के किसानों का एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल ही में कृषि मंत्री से मिला था और उत्तर प्रदेश सरकार को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उन लोगों की कृष्य भूमि का अर्जन करने से रोकने में उनकी सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों के उस अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकर की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों को यह सलाह दी गई थी कि यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे उन्हें लिखित रूप में दें।

पटना स्टेशन के पास दुर्घटना

११६४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ मार्च, १९६३ को पटना स्टेशन के निकट एन० सी० सी० राइफल्स का एक हवलदार माल गाड़ी से कुचल कर मर गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ; और

(ग) जांच से क्या पता चला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० ˜० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग), चूंकि यह अनधिकृत रूप से लाइन पार करने का मामला था, इसलिये तुरन्त रेलवे पुलिस को इसकी जांच करने के लिये कहा गया पुलिस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औंड़िहार जंकशन पर ऊपरी पुल

†११६५. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के औंडिहार जंकशन पर केवल आधे भाग के लिये ही ऊपरी पुल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे का शेष आधे भाग को कब पूरा करने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). औंडिहार जंकशन का विद्यमान पैदल पुल आइलैंड प्लेटफार्म को, जिस पर स्टेशन की इमारत खड़ी है, यार्ड के दक्षिण में उप-सड़क से मिलता है। स्टेशन के भवन और प्लेटफार्म से उस पुल के द्वारा उप सड़क तक पहुंचा जा सकता है। पुल का उत्तर की ओर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिये यह अपेक्षित नहीं है।

प्रशिक्षण वृत्तिका[1]

†११६६. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वत्तिका का अधिकृत और पूर्व-अधिकृत दरों में कोई अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो ए०आई०ओ०डब्ल्यू० तथा ए०पी०डब्ल्यू० आई० को अधिकृत दर की वृत्तिका क्यों दी जाती है जब कि यातायात शिक्षुओं[2] को उसी प्रकार के प्रशिक्षण के लिये अनअधिकृत दर की वृत्तिका मिली है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) अधिकृत वेतन-क्रमों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप, यातायात शिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिकाओं के दरों के शोधन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजपथ (उड़ीसा)

†११६७. **श्री गो० महन्ती:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान ग्रांड ट्रंक रोड के साथ साथ पुरानी मार्ग-रेखा को छोड़कर, उड़ीसा के मुद्रक नगर में राष्ट्रीय राजपथ की मार्ग-रेखा को बनाने में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो नये मार्ग-रेखा निर्धारण के क्या लाभ हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) भीड़-भाड़ से बचने के लिये नई मार्ग-रेखा मुद्रक नगर से बाहर बाहर बनाई जायेगी और इसमें कम बने बनाये क्षेत्र का अर्जन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश तेल उद्योग के लिए माल-डिब्बे

†११६८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक तेल का लाने ले जाने का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश के तेल उद्योग को माल-डिब्बों का आवंटन करने में कम से कम पूर्ववर्तिता दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Stipend

[2] Traffic apprentices.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पूर्ववर्तिता को अधिक करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि जहां तक तेल को लाने ले जाने का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश के तेल उद्योग को माल-डिब्बों का आवंटन करने में सबसे कम पूर्ववर्तिता बरती गई है । उत्तर प्रदेश के तेल उद्योग से होने वाले यातायात को वहीं पूर्ववर्तिता दी जाती है जो कि अन्य राज्यों से होने वाले तेल यातायात को दी जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

'ज़ायद' फ़सलें

†११६९. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल के दौरान 'ज़ायद' फसलें (अतिरिक्त ग्रीष्म कालीन फसलें) उगाने पर सरकार ने बहुत जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष 'ज़ायद, फसल योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा ; और

(ग) इससे कितनी अधिक उपज होने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी हां। अल्प-कालीन फसलों द्वारा अधिक उत्पादन करने के महत्व को राज्य सरकारों को बल देकर समझाया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वह इतने अधिक क्षेत्र में यह फसलें उगायें जितना कि व्यवहार्य हो सके।

(ख) और (ग). एक साधारण ही आग्रह किया गया था और एकड़ों में क्षेत्र अथवा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। इसलिये पूर्वाशित अतिरिक्त एकड़ क्षेत्र तथा इन अल्प-कालीन फसलों की उपज के अनुमान बताना सम्भव नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†११७०. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के विभागों में १९६२-६३ के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके आरक्षण के अनुसार कोटा को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग), जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यवतमाल-मर्तजापुर रेलवे

११७१. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल-मूर्तजापुर छोटी लाइन रेलवे है ;

(ख) क्या इस रेलवे को भारत सरकार चलाती है या कोई ब्रिटिश कम्पनी चलाती है ; और

(ग) यदि इसे ब्रिटिश कम्पनी चलाती है, तो उसका करार कब समाप्त होने वाला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग), यवतमाल-एलिचपुर रेलवे छोटी लाइन की रेलवे है और इसकी लम्बाई ११७.८१ मील है। मूर्तजापुर इस इस लाइन का मध्यवर्ती स्टेशन है। 'सेन्ट्रल प्राविन्सेज रेलवे कम्पनी' नाम की एक भारतीय कम्पनी इस रेलवे की मालिक है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है। मेसर्स किल्लिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई इस रेलवे के मैनेजिंग एजेन्ट हैं। मध्य रेलवे के माध्यम से केन्द्रीय सरकार इस रेलवे का संचालन और अनुरक्षण करती है। इस कम्पनी के साथ जो करार हुआ है उसके अधीन केन्द्रीय सरकार को यह विकल्प है कि यदिवह चाहे तो हर दस साल के बाद १२ महीने का नोटिस देकर इस रेलवे को खरीद सकती है। करार निर्धारित करने का अगला विकल्प ३१-७-१९६७ को पड़ेगा।

सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास

११७२. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ;

(ग) इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितना धन व्यय किया जायेगा ; और

(घ) यह कौन-कौन से क्षेत्रों में लागू होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। कृषि विकास के लिये सम्बन्धित राज्यों और प्रशासनों ने अपनी योजनाओं में आवश्यक योजनायें सम्मिलित की हैं। जबकि कुछ राज्यों ने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनी विकास योजनाओं के विषय में अलग से संकेत किया है, अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०३३/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय पक्षी

११७३. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का निर्णय किस आधार पर किया गया है ;

(ख) उस निश्चय पर पहुंचने के लिये किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य किन पक्षियों पर विचार किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का निर्णय इन आधारों पर किया गया :—

१. हमारी संस्कृति, पौराणिक कथाओं और जन साधारण से इसका लम्बे समय से सम्बन्ध रहा है।

२. जन साधारण में इसकी लोकप्रियता।

३. उसका गौरव तथा आकर्षक रूपरंग ; और

४. देश के लगभग सभी भागों में उसका पया जाना।

(ख) यह प्रश्न पहले भारतीय वन्य प्राणी मण्डल के पास भेजा गया था। मण्डल ने यह सम्मान देने के लिए बहुत से पक्षियों के विषय में सोच-विचार किया और मोर को ही इस सम्मान के लिए उपयुक्त समझा। किन्तु इस प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अन्तिम निर्णय करने से पहले इस सम्बन्ध में राज्यों और जनता के विचार भी जानने चाहे। राज्यों से और प्रेस में प्रकाशित जनता के विचारों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मोर (पेव क्रिसटेटस) को ही इस सम्मान के लिए उपयुक्त समझा गया है।

(ग) यह सम्मान देने के लिए जिन अन्य महत्वपूर्ण पक्षियों पर विचार किया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ;
(२) दी सारस क्रेन ;
(३) दी ब्लैक विल ;
(४) दी फेयरी ब्लू ;
(५) दी शमे ;
(६) दी गरुड़ (ब्रह्मणी काइट) ; और
(७) स्वैन (हंस)

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सड़क के पुल

११७४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सड़क के तीन पुलों में से प्रत्येक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उनके कब तक यातायात के लिये खुल जाने की आशा की जाती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर तीन पुलों के बारे में जो वर्तमान स्थिति है वह नीचे दी जाती है :—

जीराबाद पर यमुना पुल :

पुल का निर्माण जनवरी १९६२ में शुरू कर दिया गया था । मुख्य पुल और उसके पहुंच के मार्गों के निर्माण में प्रगति हो रही है और अप्रैल १९६३ के अन्त तक उसके पूरे हो जाने की संभावना है । मई १९६३ में पुल यातायात के लिए खोल दिया जायगा ।

वर्तमान रेलवे पुल के निकट नदी के बहाव की ओर नावों का पुल :

इस नाव पुल योजना में खुश्क मौसम की धारा में एक ३०० फीट लेम्बे नावों के पुल की, लाल किले की ओर से बेला रोड़ पर और सहादरा की ओर से गांधी नगर मार्ग पर पुल को मिलाने वाली लगभग ४७०० फीट लम्बी अस्थायी पहुंच सड़कों की तथा लाल किले की ओर पहुंच सड़क पर लगभग १५० फीट लंबे बल्ली के पुल के निर्माण की व्यवस्था है । यह नाव का पुल बनकर पूरा हो गया है और यातायात के लिए ३१ जनवरी १९६३ को खोल दिया गया था । इसके प्रतिवर्ष नवबंर और जून के महीनों में इस्तेमाल किए जाने का विचार है।

हुमायूं के मकबरे के पास यमुना पर पुल :

फरवरी १९६१ में यह कार्य ५४,६२,२०० रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था। मई १९६१ में इसके लिये ठेका दिया गया था और गाइड बांध पर जनवरी १९६२ में वास्तविक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था । यह काम केन्द्रीय जल-निर्माण विभाग की एजेन्सी द्वारा किया गया है।

नदी के दायें गाइड बंध का काम पूरा हो चुका है और बांये तट पर गाइड बंध का काम अभी शुरू होना बाकी है। ठेका लेने वाली फर्म सेपुल के खाके (डिज़ाइन) की जांच की जा चुकी है। पुल के लिये चुने गये स्थान पर नदी के जलमार्ग के बहाव में परिवर्तन होने के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं जिसके कारण ठेकेदार ने कुछ और मांगें पेश की हैं। उसने अभी तक इकरारनामे पर दस्तख्त नहीं किये हैं और इसलिए

†मूल अंग्रेजी में

इस समय यह बताना संभव नहीं है कि काम कब तक पूरा हो जायेगा। यह काम शुरू होने के बाद २ ½ या ३ वर्ष में पूरा हो सकेगा ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विद्यार्थियों को रियायत

†११७५. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **परिवहन तथा संचरा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने विद्यार्थियों को ५० प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) १५ मार्च, १९६३ से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने देश के अन्दर की सेवाओं पर लिये जाने वाले एक ओर के अथवा वापिसी किराये पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायत को २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया है ।

परिवहन सहकारी समितियां

†११७६. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक परिवहन सहकार समितियों को स्टेज केटरर्ज़ परमिट देने के नियमों में छूट देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में भूतपूर्व सैनिक परिवहन समितियां कितनी हैं तथा गत पांच वर्षों में उन्हों ने कितने आवेदनपत्र दिए हैं तथा उक्त अवधि में उन को कितने लाइसेंस दिए गए हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री श्री राज बहादुर**): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के लिए डाक तथा तार सर्किल

†११७७. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए डाक तथा तार का अलग सर्किल बनाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां तो मामला किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) भोपाल में कार्यालय तथा मकानों के लिए जमीन का अर्जन कर लिया गया है ?

हर्रा पर निर्यात कर

११७८. श्री लखमू भवानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हर्रा को कृषि उत्पादन मान कर उस पर निर्यात कर लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश शासन ने केवल इस को वन्य उपज समझ कर ही रायल्टी लगाई है ;

(ग) राज्य और केन्द्रीय सरकारों में इस सम्बन्ध में जो मतभेद है क्या उस मामले में भी कोई निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभाग सिंह) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए फाकर फ्रेंडशिप विमान

†**११७९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मंगाये गये दस फाकर फ्रेंडशिप विमानों में से शेष दो विमान आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख) मंगाये गये फाकर फ्रेण्डशिप विमानों में से शेष दो विमानों में से एक ८ मार्च, १९६३ को इंडियन एयरलाइन्स को मिल गया है तथा आशा है कि दूसरा १८ मार्च के आसपास मिल जायेगा ?

'कोवालाम' का महल

†**११८०. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम से सात मील दूर 'कोवालाम' के महल को सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए खरीद रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल के लिए दूध संभरण योजना

†११८१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इम्फाल के लिए एक दूध संभरण योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए कितनी रक़म निर्धारित की गई है ; और

(ग) इस को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) २ लाख रुपये ।

(ग) इम्फाल को दूध के संभरण के लिए मनीपुर प्रशासन से एक प्रस्ताव मिला है तथा कृषि विभाग ने टैक्नीकल स्वीकृति दे दी है । योजना को लागू करने के लिए और ब्यौरे निकालने के लिए प्रशासन की सहायता करने के लिए विभाग का एक टैक्नीकल अधिकारी इम्फाल जायेगा ।

नीनडाकारा पुल

†११८२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर नीनडाकारा पुल का नकशा तथा अनुमान प्रस्तुत कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू करने का तथा पूरा करने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से नकशा तथा अनुमान अब तक नहीं मिले हैं । आशा है कि काम शुरू हो जाने पर लगभग तीन महीनों में पूरा हो जायेगा ।

उत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार के मामले

११८३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९६३ को उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ख) किस प्रकार के मामले लम्बित हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). १-२-१९६३ को उत्तर रेलवे पर निम्न प्रकार के २०६ मामले लम्बित हैं :—

(१) आय के जाने पहचाने साधनों के अतिरिक्त अधिक धन का इकट्ठा हो जाना ।

(२) रिश्वत की स्वीकृति

(३) धोखाधड़ी

(४) सरकारी धन का दुरुपयोग

†मूल अंग्रेजी में

(५) झूठे रिकार्ड बनाना

(६) पासों तथा पी० टी० ओ० का दुरुपयोग

(७) रेलवे सामग्री तथा श्रम का दुरुपयोग

(८) नमूने से खराब सामग्री की स्वीकृति

(९) ठेकेदारों को अत्यधिक भुगतान ।

पंजाब में मत्स्य पालन का विकास

†११८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य को कितना धन दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में सउपमंत्री (श्री ग्र० म० थामस)** : १९६२-६३ में पंजाब राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए १० लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

कीटाणु नाशक औषधियां

११८५. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) खेतों की फसलों की सुरक्षा और तदनुसार उत्पादन वृद्धि की दिशा में पेड़ पौधों पर जो कीटाणु या रोग नाशक औषधियों का छिड़काव किया जाता है, उस का मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या इस पर कोई विधिवत् परीक्षण भारत में हो रहे हैं ; और

(ग) परीक्षण किस सीमा तक हुए हैं तथा अब तक किस अवस्था में हैं और उन से अब तक क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इन कीटाणु या रोग नाशक औषधियों का मनुष्य या पशुओं के स्वास्थ्य पर अभी तक किसी हानिकारक प्रभाव के पड़ने का पता नहीं चला है ।

(ख) जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में परीक्षण जारी हैं ।

(ग) सब्जियों तथा चारे की फसलों के विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो परिणाम निकले हैं उन से यह पता चलता है कि कीटाणु या रोग नाशक औषधियों का प्रभाव उन के प्रयोग करने के ७ से १५ दिन के पश्चात् सहनशीलता स्तर से नीचे गिर जाता है। संस्थान में पशुओं के वास्तविक पोषण द्वारा इन परिणामों की पुष्टि की जा रही है। यह कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आनन्दनगर स्टेशन के निकट दुर्घटना

†११८८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्दनगर स्टेशन के निकट १३ मार्च, १९६३ को २०० डाउन नौतनवा गोरखपुर यात्री गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो रेल की पटरी से उतर जाने पर धन जन की कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां। आनन्द नगर स्टेशन में गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जांच हो रही है।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†११८९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध संभरण योजना जिसको बिना हानि-बिना लाभ के आधार पर बनाया गया था, में तीन से चार लाख रुपयों का लाभ दिखाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गड़बड़ी के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) दिल्ली दुग्ध योजना को बिना लाभ–बिना हानि के चलाने का विचार था। यद्यपि इस समय निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि १९६२–६३ में क्या लाभ होगा परन्तु यह आशा है कि हानि नहीं होगी।

(ख) ज्यूं ज्यूं दूध की मात्रा बढ़ेगी त्यूं त्यूं ऊपरी काम आदि में कमी होगी और इस प्रकार हानि के स्थान पर कुछ लाभ होने लगेगा। सामान्यतः ऐसी धारणा है कि दिल्ली दुग्ध योजना दक्षता से काम कर रही है, इसलिए इसमें गड़बड़ी नहीं समझी जानी चाहिये।

रेलवे दुर्घटना को रोकना

†११९०. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल में ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे में एक नया विभाग खोला है अथवा इस काम के लिये अपने कर्मचारियों में से नये अधिकारी नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कितना व्यय किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग) रेलवे दुर्घटना समिति (१९६२) की सिफारिश पर सभी रेलों पर सुरक्षा संगठनों की स्थापना कर दी गई है। ये संगठन प्रशासनिक पद वाले अधिकारियों के अधीन रखे गये हैं तथा इनकी डिवीजन जिले के सहायक अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी सहायता करेंगे। नान गजेटड पदों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

सुरक्षा संगठनों में निम्नलिखित गजेटड पद हैं :

पदों की संख्या

रेलवे	प्रशासनिक ग्रेड	वरिष्ठ स्केल	कनिष्ठ स्केल	जोड़
मध्य . . .	१	४	२	७
पूर्व . . .	१	४	१	६
उत्तर . .	१	४	३	८
दक्षिण . .	१	२	५	८
दक्षिण पूर्व . .	१	१	४	६
पश्चिम . .	१	५	२	८
पूर्वोत्तर . .	१	४	—	५
पूर्वोत्तर सीमा . .	१	२	—	३

उच्च पदों में से ८ प्रशासनिक, ६ वरिष्ठ तथा ७ कनिष्ट पद नये पद हैं। इन पर३,४७,६६८ रुपये का वार्षिक व्यय होने की संभावना हैं।

रेलवे क्वार्टर

†११९१. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में प्रचलित नानगजटेड रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं के लिये संरक्षण भार कीं विभाग से पूरा करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग) १९५५ से पहले क्वार्टरों के अन्दर की गई संरक्षण सेवाओं के लिये नानगजेटड कर्मचारियों से लिया जाने वाला भार समान नहीं था। १९५५ में इसको एक समान किया गया और सामान्य नियम बनाया गया कि क्वार्टर में की गई मरम्मत के लिये किरायेदार धन दे। अन्दर का संरक्षण व्यक्तिगत होता है तथा सामूदायिक नहीं होता है। इसलिये इसकी जिम्मेदारी क्वार्टर में रहने वाले पर होती है। केन्द्रीय सरकार में अन्य विभाग (जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) भी ऐसा ही कर रहे हैं। सच यह है कि रेलवे उससे अधिक खर्च करती है। जो उसको कर्मचारियों से मिलता है। इससे अतिरिक्त कर्मचारियों को सामान्य संरक्षण के लिये भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसलिये १९५५ की प्रक्रिया को बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

यह भी बताया जा सकता है कि १९५५ से पहले कुछ रेलों पर कर्मचारियों से सामान्य संरक्षण सेवाओं के लिये भी धन लिया जाता था और इन रेलों (दक्षिण तथा पश्चिम) के कर्मचारियों को कुछ सहायता मिली जबकि कुछ अन्य रेलों (पूर्वोत्तर, पूर्वोत्त र सीमा) पर जिनसे पहले कुछ नहीं लिया जाता था, अब थोड़ा सा धन लिया जाता है। कुछ अन्य रेलों जैसे दक्षिण पूर्व रेलवे पर मकान के अन्दर की मरम्मत के लिये धन लिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

लोहे के ढले हुये स्लीपर

†११९२. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और भद्रावती के सार्थों से १९६३–६४ में दक्षिण रेलवे के लिये लोहे के ढले हुये स्लीपर खरीदे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका परिवहन किस प्रकार होगा ; और

(ग) परिवहन में हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६३–६४ में सभी रेलों के लिये ढले हुये लोहे के स्लीपरों की प्लेटें मंगाने के लिये फरवरीतथा १९६३ में टेंडर मंगाये गये हैं। टेंडर २५–३–१९६३ को खोले जायेंगे तथा इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि दक्षिण रेलवे पर संभरण करने के लिये किस फार्म को आर्डर दिये जायेंगे ।

(ख) रेल द्वारा ;

(ग) संभरणकर्त्ताओं को आदेश दिये गये हैं कि परिवहन में नुकसान तथा टूट फूट रोकने के लिये वैगनों में स्लीपरों का पैकिंग कड़ा बनाया जाये ।

रेलवे द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

†११९३. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने १९६२–६३ में स्लीपरों तथा कोयले के लिये मद्रास पत्तन न्यास को विलम्ब शुल्क दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) क्रेन सुविधायें अपर्याप्त होने के कारण व तथा ठेकेदार द्वारा काम में सुस्ती दिखाने पर विलम्ब शुल्क दिया गया था । १९६२–६३ में मद्रास पत्तन न्यास को दिये गये ४४,९९२ रुपये ८४ नये पैसे के विलम्ब शुल्क में से आशा है कि पत्तन अधिकारी ३१,६३३ रुपये वापस दे देंगे तथा ७५३ रुपये ८४ न० पै० ठेकेदार के बिल में से पहले ही वसूल कर लिये गये हैं।

रेलवे को नुकसान

†११९४. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में रेलवे को चोरी, बाढ़,झंझावात, अधिक भुगतान, कमी, तोड़ फोड़, दुर्घटना तथा इंजन और डिब्बों का समय से पहले नाकारा घोषित करने से कितनी हानि हुई ; और

(ख) यदि कोई वृद्धि हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

	लाख रुपये
१९६१–६२	९६
१९६२–६३ (नवम्बर, १९६२ तक अनुमानतः) . .	२७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नवम्बर, १९६२ तक, १९६२–६३ के आंकड़े अनुमानतः हैं तथा पूरे वर्ष के आकड़े सितम्बर, १९६३ के वर्ष के लेखे अन्तिम रूप से बन्द हो जाने पर मिल सकेंगे। इसलिये इस समय १९६२–६३ से १९६१–६२ के आंकड़ों की तुलना इस समय करना संभव नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम और राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं (१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/५६/६२–पी० आर० (टी०)।

(ख) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१०२/६०–६२/परिवहन।

(ग) दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/२६/६२–पी० आर० (टी०)।

(घ) दिनांक ७ फरवरी, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(७६)/६०–६२/ परिवहन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०२९/६३।]

(२) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५१३ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १००२/६३।]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १००१/६३।]

असम को बड़ी लाइन से मिलाने के लिये सर्वेक्षण के बारे में अधिसूचना

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: मैं असम को बड़ी लाइन से मिलाने के लिये सवक्षण के बारे में दिनांक २५ मार्च, १९६३ की रेलवे मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ६२/डब्लू ४/सी एन एन/ एन एफ/ १७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०३०/६३।]

---

†मूल अंग्रेजी में।

अनुदानों की मांगें (जारी)

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	२४,९४,०००
६९	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . . .	१,०९,२०,०००
७०	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	५,०१,७१,०००
१३३	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	९,४२,९३,०००
१३४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	१६,६६,९८,०००

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

†**डा० सारादीश राय** (कटवा) : देश का कृषि और औद्योगिक विकास सिंचाई और विद्युत् के कार्यक्रम पर निर्भर करता है, परन्तु सिंचाई और विद्युत् संबंधी योजना के लक्ष्य आवश्यकता से बहुत कम हैं ।

गत १२ वर्षों में १५२.८ लाख एकड़ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई और उसके केवल दो तिहाई भाग का ही उपयोग किया गया है । इस के लिये योजना ठीक प्रकार से तैयार न करना, कार्यान्वित में अकुशलता, आदि बातें हैं जिन का कारण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका । बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सिंचाई क्षमता सम्बन्धी प्राक्कलन ठीक नहीं हैं । और कुछ नहरों के सम्बन्ध भी ऐसे हैं कि पानी खेतों में से नहीं गुज़र सकता, क्योंकि खेत ऊंचाई पर स्थित हैं । इसके साथ ही साथ, नहरों का पानी कृषक के लिये मितव्ययी नहीं है । नहरी पानी पर कर बहुत अधिक है कृषक सिंचाई क्षमताओं का उपयोग कर सके इस के लिये यह आवश्यक है कि पानी पर कर को घटाया जाय ।

इस मंत्रालय के गत वर्ष के प्रतिवेदन में गहा गया था कि रिहन्द बांध से संग्रहीत जल से बिहार में १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, परन्तु वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन में इस सुविधा के उपयोग में लाने संबंधी वर्णन नहीं है, हालांकि बांध पूरा हो चुका है ।

जल-वितरण सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण कुछ परियोजनाओं की मंजूरी और कार्यान्विति रुक जाती है । सरकार को चाहिये कि ऐसे विवादों का समाधान शीघ्र से शीघ्र करे ।

राज्यों द्वारा जल संसाधनों का उपयोग करने सम्बन्धी जो योजनाऐं केन्द्र को भेजी जाती हैं उन पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिये ।

विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान ठीक प्रकार नहीं लगाया जाता जिस के फलस्वरूप मांग सम्भरण से अधिक रहती है । तापमान की अपेक्षा पन बिजली जनन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । कोनार बांध का प्रयोग पन बिजली जनन के लिये करना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

देश में कठिनाईका सामना करने के लिये बिजली का सामान और जनित्रों का निर्माण करना आवश्यक है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सब राज्यों में एक सा नहीं है। पश्चिम बंगाल इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ५०० गहरे बिजली के कुओं की मंजूरी है जिन में से २४० खोदे गये हैं, परन्तु इन में से १२५ में ग्राम विद्युत् शक्ति के अभाव में अधिक कार्य नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती विद्युत् उपलब्ध करना आवश्यक है। इस के बगैर सिंचाई क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सकेगा।

दामोदर घाटी निगम में बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य की अवहेलना की गई है। सिंचाई कार्य संतोषजनक नहीं है। नहरों संबंधी स्थिति अच्छी नहीं है। भूमि संरक्षण और वर्गीकरण के क्षेत्रों में बहुत कम विकास हुआ है।

दामोदर घाटी निगम में अभी तक चार बांध ही तैयार हो पाये हैं। कहा जाता है कि मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने में ढील की जा रही है। इस के फलस्वरूप संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी के कारण नौपरिवहन नहर चालू नहीं हो सकी है। इस लिये मेरा सुझाव है कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय। शेष चार बांध बनाने से पन-बिजली भी तैयार हो सकती है।

दामोदर घाटी निगम ने नौपरिवहन नहर के लिये ४·७३ करोड़ रुपया खर्च किया है। मंत्रालय ने आशा प्रकट की थी कि नहर को जुलाई, १९६२ में चालू कर दिया जायगा। नहर का पूरा होना तो एक तरफ रहा अभी पानी की ही कमी है। इस लिये इस मंत्रालय का उत्तरदायित्व है कि वह त्रुटियां दूर करे ताकि नहर का नौपरिवहन के लिये उपयोग किया जा सके।

दामोदर घाटी निगम के विभिन्न पहलुओं में काम लक्ष्य से कम हुआ है, योजना रहित खर्च किया गया है और धन का दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार हुआ है। दुर्गापुर और बोकारो में सर्वश्री मान ने तापीय विद्युत केन्द्र का निर्माण किया था जिसे चालू करने में विलम्ब के कारण प्रतिदिन १ लाख रुपये से अधिक की हानि हो रही है।

स्पन पाइप कारखाना चालू होने के बाद भी बन्द पड़ा है क्यों कि उस स्थान के कुछ अन्य लोगों का वैसा ही कारखाना वहां चल रहा है।

मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने भी कहा है कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करना चाहिये या उसे निरसित कर देना चाहिये। किन्तु मेरा निवेदन है कि इन सभी आरोपों की जांच के लिये एक जांच आयोग स्थापित करना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि फरक्का बांध की मंजूरी दे दी गई है, किन्तु जिस गति पर यह काम किया जा रहा है उसके अनुसार यह निर्धारित आठ वर्ष में पूरा नहीं होगा।

अजाम नदी पश्चिमी बंगाल में बहुत उत्पात करती है अतः उस पर बांध बनाने की परियोजना को कार्यान्वित करना चाहिये और इसके बनने पर इसे औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना चाहिये।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : सिंचाई और विद्युत् देश के औद्योगिक और कृषि संबंधी विकास का आधार है। हमें आशा थी कि हम कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर हो जायेंगे किन्तु केवल सुधरे बीज और उर्वरकों से यह काम सिद्ध नहीं हो सकता। अतः यह अत्यावश्यक है कि सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये।

इसी प्रकार विद्युत् के बगैर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। उद्योगों का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब गांवों में भी बिजली पहुंचाई जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शं० ना० चतुर्वेदी]

अभी तक हम कुल जलपूर्ति क्षमता का २७ प्रतिशत उपयोग में ला सके हैं। सरकारी प्रतिवेदनों में कहा गया है कि कृषकों में इसके प्रति उपेक्षा भाव है, किन्तु सच यह है कि सिंचाई के लिये जल पाने में कृषकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में १०० नल कूप में से ५४ बनने के बाद दो तीन साल तक बिजली का संभरण नहीं किया गया और अब आठ साल बाद भी केवल १८ से २० घंटे तक प्रति दिन बिजली दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ५७४ नल कूपों में केवल २०० चालू हैं। इस प्रकार हम केवल कागज पर जल क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।

इसी प्रकार देश भर में ४१७ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है जिसका केवल १० प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत और तापीय विद्युत द्वारा बिजली के उत्पादन में १.३ के हिसाब से खर्च आता है अतः जल विद्युत के विभाग पर अधिक बल देना चाहिये और इन परियोजनाओं में विलम्ब नहीं करना चाहिये। इन में बिलम्ब का कारण यह है कि विभिन्न स्तरों पर काम होता है जिस कारण किसी को उत्तर दायी नहीं बनाया जा सकता। मैं इस दिशा में किये गये प्रयत्नों की सराहना करता हूं।

लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ने प्रशासनिक लेखा परीक्षा पद्धति पर बल दिया है दामोदर घाटी निगम और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के सम्बन्ध में खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि उनके परिणाम संतोषजनक नहीं। बिजली की कमी के कारण भी उत्पादन के कार्यक्रम में बहुत बाधा उपस्थित होती है और उद्योगों को हानि उठानी पड़ती है। अतः मंत्रालय को बिजली के निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों में सुधार करना चाहिये।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
६८	३	श्री विश्राम प्रसाद	. दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठित करने की आवश्यकता। सिंचाई विद्युत परियोजनाओं की असफलता आदि।	१००
६९	५	श्री विश्राम प्रसाद	. नर्मदा घाटी के विकास के लिये प्राधिकार स्थापित करने की आवश्यकता आदि।	१००
६८	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. कृष्णा गोदावरी आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा संसद को सूचित किये बिना निर्णय करने का औचित्य।	१००
१३३	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. श्री शैलम और नागार्जुन परियोजना के लिये विधि की नामंजूरी।	राशि घटा कर १ रु० कर दिया गया।
१३३	१०	श्री शिव मूर्ति स्वामी	. नागार्जुन सागर परियोजना .	१००

†श्री रंगा (चित्तूर) : खाद्य और कृषि तथा संचार मंत्रालयों और इस मंत्रालय का लोगों के नित्य प्रति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषत: इस मंत्रालय ने किसानों की बाढ़ों आदि से सुरक्षा के लिये बहुत काम किया है। किन्तु मंत्रालय बधाई का पात्र नहीं क्योंकि गत १५ वर्षों में काफी धन खर्च करने पर जो सिंचाई क्षमता पैदा की गई उसका २७.६ प्रतिक्षत किसी काम नहीं आता अत: राष्ट्र को अत्यधिक हानि ही रही है।

बाढ़ नियंत्रण के प्रश्न को लीजिये। इन योजनाओं में भी सरकार असफल रही है। गत वर्ष में बाढ़ों आदि के कारण किसानों को ९० करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।

सरकार ने एक राष्ट्रीय विपत्ति बीमा संगठित किया है किन्तु यह अभी स्वेच्छा पर निर्भर करता है और राज्य सरकारों के लिये विकल्प है कि वे चाहें तो इस में अंशदान दें अन्यथा नहीं। इस बीमे को अनिवार्य बना देना चाहिये और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को इसमें ५०-५० प्रतिशत अंशदान देना चाहिये। भारत सरकार को राष्ट्र संघ के संबंधित संगठन से भी सहायता प्राप्त करनी चाहिये।

फसल बीमा आरम्भ करने की बात चीत हो रही थी। इस बीमे को विपत्ति बीमा आरम्भ करने के बाद शुरू करना चाहिये।

सिंचाई के कार्य में सरकारी वित्त से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है किन्तु इसमें किसानों का भी बहुत अंशदान है।

देश भर में बिजली के तारों को एक दूसरे से मिलाने की बात हो रही है। मेरा मत है कि चीन के आक्रमण की इस स्थिति में बिजली के क्षेत्रीय तार होने चाहियें और राज्यों में परस्पर सहयोग होना चाहिये। आंध्र के कुछ गांवों में से मैसूर के तार गुजरते हैं किन्तु उन गांवों को इनका लाभ नहीं दिया जाता। ऐसे सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिये। चित्तूर जिले की सिंचाई सम्बन्धी सहायता केवल बिजली के संभरण द्वारा की जा सकती है।

बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं जिससे किसानों को बहुत हानि होगी जब कि डीज़ल तेल पर आयात शुल्क भी बढा दिया गया है। सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

सरकार को सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता देने के बारे में विचार करना चाहिये। चित्तूर जिले की वहुधा परियोजना छोड़ दी गई है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर पुन: विचार करें।

अंतर्राज्यिक विवादों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह विवाद पहले तो उठना ही नहीं चहिये था और १९५१ में इस का निर्णय कर दिया गया था किन्तु ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों को उस से हानि हुई होगी जिस कारण विवाद अभी तक बना है अन्यथा किसी राज्य को कोई हानि नहीं हुई थी। आयोग ने भी यही मत प्रकट किया है कि इस से किसी राज्य को हानि नहीं होगी। किन्तु राजनीतिज्ञ परस्पर झगड़ रहे हैं।

अन्त में मुझे यह कहना है कि ऐसी सारी सामग्री के अर्जन के लिए प्रयत्न करना चाहिये जो इन योजनाओं के लिए आवश्यक हो।

अभी तक सरकार यह निश्चय नहीं कर सकी कि दामोदर घाटी निगम के पानी का क्या उपयोग किया जायगा। पंजाब में भी हर योजना चालू करते समय किसानों से पूछा जाता है कि नहरों आदि के लिए वे क्या अंशदान देंगे। यह अनुचित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना): सरकार ने पानी के वितरण के सम्बन्ध में जो निर्णय किया है वह पक्षपातपूर्ण है। सिंचाई की गई भूमि की प्रतिशतता पर ध्यान दीजिये। पंजाब में ४०.६३, मद्रास में २८.७७ और आंध्र प्रदेश में २५.६ तथा मैसूर में ७.४९ प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। इस वितरण का कोई युक्तिसंगत आधार होना चाहिये।

सिंचाई पर सरकार द्वारा किये गये खर्च में भी असमानता है। इस दृष्टि से महाराष्ट्र सब से अधिक घाटे में है।

कोयना परियोजना को आरम्भ किये बहुत समय हो गया किन्तु उसमें सिंचाई पर ही बल दिया जा रहा है जब कि पश्चिमी घाट प्रकृति की दृष्टि से बिजली पैदा करने के लिए उपयोगी है। हमारे लिये तापीय यंत्रों से बिजली प्राप्त करना बहुत महंगा होगा क्योंकि ६०० से ८०० मील की दूरी से कोयले का आयात करना पड़ेगा। अन्तर्राज्यिक विवाद का जो निर्णय १९५१ में किया गया था वह बहुत पक्षपातपूर्ण है अतः महाराष्ट्र के लिए अपने हित के वास्ते लड़ना उपयुक्त है।

श्री ओंकार सिंह (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी दशा में देश को सुदृढ़ बनाना, देश को मजबूत बनाना तथा अनाज की पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे देश में ८० परसेंट काश्तकार हैं। इन ८० परसेंट में से तीन परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास तीस एकड़ या तीस एकड़ से अधिक भूमि है। तीन परसेंट ऐसे हैं जिनके पास बीस एकड़ भूमि काश्त की है। ७० परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास पांच एकड़ या उससे भी कम भूमि काश्त की है। ऐसी दशा में उनकी खेती के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वे अगर मुहैया न की गईं, उनको इकट्ठा न किया गया, तो उपज कैसे बढ़ सकती है।

भूमि से उपज बढ़ाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। जब कि हमारे देश में छोटी-छोटी काश्तें अधिक हैं, हम अगर खाली इस बात पर बैठे रहें कि बड़ी-बड़ी योजनाओं से हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी, तो यह सम्भव नहीं है। जहां रहट के कुयें बन सकते हैं, वहां रहट के कुयें बनवाये जाने चाहियें और काश्तकार को आधी सबसिडी और आधी तकावी दी जानी चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो काश्तकार कुयें बना सकता है और कुयें बना कर अपनी काश्त की उपज को बढ़ा सकता है। इस काम को बहुत जल्दी किया जा सकता है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा होते बहुत समय लगता है। इस इमरजेंसी में हम इतने लम्बे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उनके लिए धन भी बहुत ज्यादा चाहिये। मगर छोटी-छोटी जो योजनायें हैं, इन पर धन भी थोड़ा लगता है और समय भी कम और उसके साथ-साथ फायदा भी बहुत अधिक और जल्द हो सकता है।

इसके अलावा एक यह चीज़ भी है कि छोटी छोटी योजनाओं से हम को सौ परसेंट लाभ होगा और नुक्सान का कोई अंदेशा नहीं है। हम ने देखा है कि भाखड़ा बांध में पिछले सालों में करोड़ों रुपये की हम को हानि उठानी पड़ी है। मैं समझता हूं कि अब भी अगर हम इस ओर ध्यान दें कि जहां कहीं भी कुयें बन सकते हैं, वहां कुयें बनाये जायें और उसके लिए सब सिडी और तकावी दी जाये, तो इससे ज्यादा से ज्यादा गरीब काश्तकारों को लाभ हो सकेगा और हमारी अनाज की उपज भी बढ़ सकेगी।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि रिहन्द बांध का उद्घाटन जनवरी में हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने किया है। उसको अभी सिर्फ तीन महीने हुए हैं लेकिन उस पावर हाउस के पांच टर्बाइन्स में से तीन टर्बाइन्स गड़बड़ पड़े हैं, जब कि उस पर १२ करोड़ २५ लाख रु० खर्च हुए। इस तरफ

†मूल अंग्रेजी में

हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये । हमारी बड़ी योजनायें जो हैं उन से लाभ तो हम को हो सकेगा, लेकिन उस के लिये समय चाहिये और बहुत धन चाहिये, पर जब उन से नुक्सान होता है तो वह बहुत बड़ा होता है । इस लिये हमें इस इमर्जेन्सी के वक्त में अपनी योजनाओं को ज्यादा उपयोगी बनाना चाहिये । तभी उस से हम को फौरी फायदा हो सकेगा और हमारे अनाज की उपज बढ़ सकेगी ।

इसके साथ ही साथ एक और बड़े तमाशे की बात है । रिहन्द बांध पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किया । हमारे मध्य प्रदेश की जो भूमि उस में आई उस भूमि का उस ने मुआवजा भी ले लिया । फिर पंचायत हुई, बार-बार पंचायतों के अन्दर मसला तय हुआ । साथ ही यह भी तय हो गया कि जो बिजली पैदा होगी उसका दस भी सदी हम मध्य प्रदेश को देंगे । लेकिन फिर भी आज मध्य प्रदेश अड़ंगे लगा रहा है । मेरे समझ में यह बात नहीं आती कि आज इमर्जेन्सी के समय में जब हम अपने घर के मसलों को नहीं तय कर पा रहे हैं तो फिर बाहर वालों से अपने मसले कैसे तय कर सकेंगे । आज इस देश में एक ही पार्टी बरसरे एख्तदार है सब जगह पर, दो पार्टियां नहीं हैं, लेकिन उसके अन्दर के मसले भी तय नहीं हो रहे हैं, मगर दूसरों को बतलाया जा रहा है कि इमर्जेन्सी के वक्त में हमें अपने झगड़े तय कर लेने चाहियें । बड़ी शर्म की बात है । सवाल उठता है कि इस में सेंटर क्या करे । सेंटर का यह काम है कि वह इन झगड़ों को खत्म करे । आज-जहां जहां पर दो प्रदेशों में झगड़े चल रहे हैं, उस से देश को बड़ी हानि हो रही है और विकास के कामों में रुकावट पड़ रही है । इस रुकावट को दूर करने के लिये सेंटर की जिम्मेदारी है और उसे उन को दूर करना चाहिये । और कौन ध्यान देगा अगर सेंटर यहां बैठा रहेगा ? इसके अलावा सेंटर का काम ही क्या रह जायेगा ? मैं समझता हूं कि इस मसले की तरफ फौरन ध्यान दिया जाना चाहिये और इस मसले को तय किया जाना चाहिये ।

बिजनौर जिले में राम गंगा पर काला घाट पर एक डैम बन रहा है जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से बनाया जा रहा है । मुद्दतें हो गईं, वह शैतान की आंत की तरह से हो गया है । अभी तक उस की समाप्ति नहीं हो पाई । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि अगर हमारी योजनाओं के बनते बनते ही सारा समय निकल जायेगा तो देश को कैसे लाभ होगा । इन योजनाओं को पूरा करने के लिये जल्दी कदम उठाये जाने चाहियें ।

हमारे उत्तर प्रदेश में जो बदायूं जिला है, जो कि मेरी कांस्टिटुएन्सी है, वह एक तरफ बड़ी गंगा से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ राम गंगा से । वहां पर और भी छोटी-छोटी दरियायें हैं इस तरह की जिन में हर साल सैलाब आता है । कोई साल ऐसा नहीं बचता जब सैलाब न आता हो । राम गंगा की धार इतनी तेज़ है, और वह इतनी भूमि काटती है, कि सैकड़ों गांव हर साल बरबाद हो जाते हैं । सरकार के यहां बराबर योजनायें बनती रहती हैं सैलाब को रोकने की, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात हैं, सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल रही है । वह माशे भर, रत्ती पर भी सैलाब को रोकने का प्रबन्ध नहीं कर सकी । यह उसके लिये बड़े शर्म की बात है । आखिर हो क्या रहा है ? क्यों योजनायें बन रही हैं, जिन से लाभ नहीं हो पाता । योजनायें बनाने का उद्देश्य तो यह होता है कि योजनायें बनें और कारामद हों, उससे लोगों को लाभ हो । लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर बाढ़ सम्बन्धी योजनायें ऐसी हैं जिनसे आज तक कोई लाभ नहीं हो पाया । सरकार को इस की तरफ कदम उठाना चाहिये ।

एक और बड़े दुःख की बात है । जहां पर गांव दरिया के किनारे हैं वहां पर ट्यूब वैल सरकार इस लिये नहीं लगाती कि हमारा एंजिन डूब जायेगा, हमारी मशीन डूब जायेगी । अब हम कैसे क?? नहर वहां है नहीं और सरकार कुयें बनाने को प्रोत्साहन नहीं दे रही है । वहां सैलाब से बहुत

[श्री ओंकार सिंह]

बरबादी हो जाती है। दूसरी तरफ जो फसल बोई जाती है सैलाब के बाद उस में उपज लेट होती है क्योंकि वहां पर उसे जल्दी बो नहीं सकते हैं। जब सैलाब आ जाता है तो बोवाई में देर जरूर हो जायेगी। वहां पर उस फसल को पानी देने का कोई साधन भी नहीं है। ऐसी हालत में अगर सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगी तो कौन होगा ? वहां कैसे उपज बढ़ेगी ? इस लिये जो खास तौर से सैलाब वाली एरियाज़ हैं, जहां पर ट्यूब वैल नहीं लग सकता है, वहां के लिये तो मेरा सुझाव सरकार को मान ही लेना चाहिये कि वह वहां पर रहट वाले कुयें बनवाये। वहां पर आधी सब्सिडी और आधी तकावी का उसूल ही लागू करना चाहिये। जहां पर इस तरह के रहट के कुंए बनाये जायेंगे वहां पर किसानों को उसका पूरा फायदा हो सकता है।

जहां तक बिजली का मामला है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने टार्गेट को पूरा करने में बराबर फेल होती जा रही है। वह जो भी अपना टार्गेट बनाती है उसको पूरा नहीं करती। आज के युग में बिजली बड़े उपयोग की चीज है इस लिये सरकार को उसके लिये उचित कदम उठाना चाहिये और देखना चाहिये कि उसके टार्गेट क्यों नहीं पूरे होते। जो बिजली बनती भी है वह शहरों या कस्बों या पूंजीपतियों से ही बाकी नहीं बचती तो गरीब जनता को कैसे मिले जिस के ऊपर यह भार है कि वह देश के लिये गल्ला पैदा करे। अगर वह गल्ला पैदा न करे तो कैसे देश का काम चलेगा ? उन के यहां और जो बातें हैं वह तो हैं ही, लेकिन उनकी झोंपड़ियों में अन्धेरा ही अन्धेरा है, वहां कोई रोशनी नहीं है। बिजली की सारी चमक दमक शहरों और कस्बों में ही रह जाती है, ८० प्रतिशत जनता उस से बिल्कुल महरूम रह जाती है। इस तरफ भी सरकार को कोई इन्साफ का कदम उठाना चाहिये। उस गरीब जनता की तरफ भी वह ध्यान दे और जो बिजली पैदा हो उस में ज्यादा से ज्यादा बिजली वह काश्तकारों और गांवों की गरीब जनता तक पहुंचाये। बिजली तो अलग रही, मुझे क्षमा किया जाय क्योंकि इसका कहना इस अनुदान पर उचित नहीं है, फिर भी कहना पड़ रहा है कि उन को बिजली तो बिजली, मिट्टी का तेल भी मयस्सर नहीं होता है ताकि वे अपने घरों को रोशन कर सकें। अगर शहरों में ही चमक दमक रहती है तो इस से सारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप को उस गरीब जनता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जोकि गांवों में रहती है और कुल आबादी का ८० फी सदी है। सिर्फ २० फी सदी लोगों के उत्थान से, जिस में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, देश का उत्थान नहीं हो सकेगा। सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन उस का ध्यान उधर नहीं जाता। लोगों को बतलाने के लिये तो बहुत बतलाया जाता है कि हम जो भी करते हैं वह काश्तकार के लिये करते हैं, गरीब जनता के लिये करते हैं, लेकिन वास्तव में होता ऐसा नहीं है। सरकार को जहां भी आवश्यकता पड़ती है वहां यह २० फी सदी लोग आंख चुराते हैं। जो ८० फी सदी काश्तकार लोग हैं वही हर मौके पर, चाहे वह भरती का वक्त हो, चाहे चन्दे का वक्त हो और चाहे वोट का वक्त हो, देश के काम आते हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार उनके साथ इन्साफ नहीं कर पा रही है।

†**श्री अ० प्र० जैन**(तुमकुर) : समय के प्रतिबन्ध के कारण मैं मैसूर आंध्र और महाराष्ट्र राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न को ही लूंगा।

हम एक समाजवादी समाज की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके अनुसार असमानता को दूर करना हमारा ध्येय है। प्रतिवेदन में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि सिंचाई सुविधाओं

†मूल अंग्रेजी में

के लिए बंजर भूमि को प्राथमिकता दी जाये। कृष्णा नदी के क्षेत्र में मैसूर राज्य का १८,००० वर्ग मील का ऐसा क्षेत्र है जहां २४ इंज से भी कम वर्षा होती है।

मैसूर राज्य ने कृष्णा-गोदावरी के जल के विषय में जो अभ्यावेदन दिया था उस में यह कहा गया था कि "इस क्षेत्र के एक तिहाई भाग में २४ इंच से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में प्रत्येक चौथे वर्ष अकाल पड़ता है और सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस ३२,००० वर्गमील क्षेत्र का १८,००० वर्गमील क्षेत्र मसूर राज्य में है।"

गुलाटी आयोग ने इस विषय में यह कहा है कि "यहां ३४ ताल्लुक हैं जिनमें १० वर्ष में ७५ प्रतिशत या अधिक वार्षिक भू राजस्व २ बार और ५० से ७५ प्रतिशत ३ बार माफ कर दिया गया था। यहां सामान्य वार्षिक उपज भी कम है। इन में से ३ ताल्लुक आंध्र प्रदेश, ३ मध्यप्रदेश और १९ मैसूर में हैं।"

कभी कभी यह कहा जाता है कि कुछ परियोजनायें तकनीकी कारणों से व्यवहार्य नहीं हैं और कुछ आर्थिक कारणों से। जहां तक पहली बात का प्रश्न है, प्रौद्योगिकी में निरन्तर उन्नति की जा रही है। अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि १५ वर्ष बाद कौन सी परियोजनायें व्यवहार्य होंगी और कौनसी नहीं। जहां तक मितव्ययिता का प्रश्न है यह कहा जाता है कि जहां मितव्ययिता से अनाज उत्पन्न किया जा सकता है वहां इसे उत्पन्न कर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया जाये। किन्तु अभावग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति भी कम होती है। इसे बढ़ाने का एकमात्र उपाय यही है कि उन्हें सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। जिस से वह अधिक उत्पादन कर सकें। इसलिए यह कहना निराधार है कि जिन क्षेत्रों में सुविधायें प्राप्त हैं वही परियोजनायें चालू की जायें।

जल के वितरण के सम्बन्ध में और भी बातों को देखा जाता है, उदाहरणार्थ जनसंख्या को। कृष्णा बेसिन की ४० प्रतिशत जनसंख्या मैसूर में बसी हुई है। मैसूर में कृष्णा क्षेत्र बेसिन के संपूर्ण कृष्ण क्षेत्र का ४७ प्रतिशत है। इनका और तत्सम्बन्धी कुछ अन्य बातों का ध्यान रखते हुए मैसूर कृष्णा नदी के ४७.५ प्रतिशत पानी का अधिकारी है।

माननीय मत्री इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र को ४०० टी० एम० सी० मैसूर को ६०० टी० एम० सी० और आंध्र को ८०० टी० एम० सी० जल दिया जाये। उनके इस निश्चय का आधार ज्ञात नहीं है। अब भी समय है कि माननीय मंत्री भूलों को सुधार लें और इस विषय में पूर्ण न्याय करें।

इस समय पंचाट में १८०० टी० एम० सी० जल का हिसाब लगाया गया है। किन्तु हमें वास्तव में कितना जल उपलब्ध हो सकता है इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इस के सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते हम इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।

ताप्ती नदी के जल को भी गोदावरी की ओर ले जाने का प्रस्ताव है। गोदावरी का अतिरिक्त जल भी, कृष्णा के जल के स्थान पर, नागार्जुन सागर में ले जाने का प्रस्ताव है। कृष्णा के जल का अनुमान लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

पंचाट मनमाने रूप से तैयार किया गया है। मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों को उनका उचित भाग नहीं मिला।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने सिंचाई व बिजली मंत्रालय की ३५ करोड़ ४० लाख ८४ हजार रुपये की बजट मांगें विचाराधीन हैं। इस मंत्रालय

[श्री विश्राम प्रसाद]

द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसको पढ़ने से मैं इस मंत्रालय के कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं हूं। अगर मैं इस मंत्रालय की पिछली प्रगति पर प्रकाश डालूं तो सारी सत्यता का पता हो जायेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपया सिंचाई पर खर्च हुआ तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३७० करोड़ रुपया खर्च हुआ। जहां तक रुपया खर्च करने का प्रश्न है उस में कमी नहीं हुई परन्तु जहां तक उसके लक्ष्य की पूर्ति का सवाल है उसमें हम पीछे रहे हैं। फर्स्ट प्लान का अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य ८.५ मिलियन एकड़ का था मगर पूर्ति केवल ४.७ मिलियन एकड़ की हुई। इसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अगर आप देखें तो पायेंगे कि दूसरी योजना का लक्ष्य पहले १२ मिलियन एकड़ का था जोकि रिवाइज्ड हो कर १०.४ मिलियन एकड़ का रक्खा गया मगर पूर्ति केवल ९.१५ मिलियन एकड़ की ही हुई।

इस रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है कि आज देश के अन्दर ७० मिलियन एकड़ सिंचित क्षेत्र है लेकिन मुझे इस में भी शक है। अगर पहली योजना व दूसरी योजना की प्रगति को जोड़ें तो ४.७+९.१५=१३.८५ मिलियन एकड़ हुआ और जैसाकि बताते हैं कि १९५०-५१ में ५१.५ मिलियन एकड़ सिंचाई क्षेत्र था उस में अगर इस १३.८५ को जोड़ दें तो ६५.३५ मिलियन एकड़ ही हुआ। मैं नहीं समझता कि किस तरह से देश के अन्दर ७० मिलियन एकड़ सिंचित क्षेत्र बढ़ा। कुल जोड़ कर यह ७० मिलियन एकड़ कैसे कहते हैं। अगर १८.५ मिलियन एकड़ जैसा बताते हैं कि १९५०-५१ के मुकाबले में सिंचित क्षेत्र बढ़ा तो १८.५—१३.८५ जो दो पंचवर्षीय योजना से क्षेत्रफल बढ़ा है तो क्या ४.६५ मिलियन एकड़ एक साल यानी १९६२ तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बढ़ा है जोकि बिलकुल ही गलत मालूम होता है।

अगर इस को भी सही मानें कि १८.५ मिलियन एकड़ में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और जैसाकि रेडीशनल फूड प्रोडक्शन एक एकड़ सींचने पर ६ मन पैदावार बढ़ती है इस तरह १८.५×६—१११ मिलियन मन पानी ४ मिलियन टन की पैदावार अधिक हुई होती और हम ने पिछले दो वर्षों में बाहर के देशों से गल्ला मंगाया है वह इस से कहीं कम है यानी ३.४९५ मिलियन टन १९६१ में और ३.६४ मिलियन टन १९६२ में। और जो हमारी सरकार ने इस साल के बजट में २ अरब २७ करोड़ ५७ लाख ३६ हज़ार रुपया बाहर से ग़ल्ला मंगाने के लिए रक्खा है, खर्च न होता तो फ़ौरेन एक्सचेंज की बचत होती जो साढ़े २७५ करोड़ का टैक्स इस देश की ग़रीब जनता पर लगा है उस में भी भारी कमी हुई होती।

अब मैं सदन का ध्यान सिंचाई की व्यवस्था की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। सब से बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हमारे देश की खेती की पैदावार बढ़ाने में सिंचाई की व्यवस्था है। पूरा क्षेत्र-फल (नैट एरिया सोन) ३२३.६ मिलियन एकड़ है और टोटल क्रौप एरिया ३७२.२ मिलियन एकड़ है जिस में कि फसल बोयी जाती है। यानी कुल एरिया का अगर ७० मिलियन एकड़ सिंचित क्षेत्र मान लें तो इस के मानी यह होते हैं कि $\frac{1}{5}$ यानी २० प्रतिशत केवल सिंचित क्षेत्र है। अगर सिर्फ सिंचाई में बड़ोतरी व समुचित व्यवस्था हो जाय तो इस देश का खाद्य संकट हमेशा के लिए हल हो जाय। मैं दुनिया में जहां तक भी घूम सका हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की मिट्टी दुनिया के किसी हिस्से की मिट्ठी से खराब नहीं है। जलवायु यहां की ऐसी है कि साल में तीन फसलें उगाई जा सकती हैं मगर बिचारा किसान पानी के बिना लाचार हो जाता है और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। अगर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो जाय तो इस देश में बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी।

जहां नहरों की व्यवस्था है भी वहां या तो बांध टूट जाता है या दरारें पड़ जाती हैं और गांव का गांव बह जाता है। नहरें बनी हैं तो उन में पानी नहीं है। जब पानी की आवश्यकता है तो पानी नहरों में रहता नहीं लेकिन बरसात में जब पानी की आवश्यकता नहीं तो दिन और रात नहरें बराबर चला करती हैं। पानी के रेट्स कहीं-कहीं इतने अधिक हैं कि किसान को उन को दे नहीं पाता है। किसान के खेत में पानी भी न लगे लेकिन अगर किसी तरह फूट कर उस के खेत में बह भी जाय तो उसके ऊपर सिंचाई का चार्ज हो जाता है।

अब मैं सदन का ध्यान पूर्वी उत्तरप्रदेश के जिलों की सिंचाई की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। सिंचाई मंत्री जी कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह तो स्टेट का काम है और उसकी ड्यूटी है। लेकिन जो समस्याएं हैं वे केवल इतना कह देने से तो हल हो जाने वाली नहीं हैं। ट्यूबवैल्स से जितनी सिंचाई होनी चाहिए वह होती नहीं है। ५०० एकड़ प्रति ट्यूबवैल से सिंचाई होनी चाहिए जबकि वहां पर केवल २५० या ३०० एकड़ में ही सिंचाई हो पाती है। चार्जेज़ बहुत हाई हैं। साढ़े तीन आना यानी २२ नये पैसे फ़ी यूनिट बिजली का चार्ज होता है जबकि शायद और जगह १४ नये पैसे ही है। समय से पानी नहीं मिलता है। जब तक औपरेटर को दक्षिणा न दी जाय ट्यूबवैल चालू नहीं होता। अगर किसी ने अधिक दक्षिणा दी तो पानी का मुंह दूसरी तरफ को फिर जायेगा। इसलिए अगर देश की पैदावार बढ़ानी है, देश की खाद्य समस्या हल करनी है तो मेरा सुझाव है कि देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी और किसानों को सस्ती, समय पर और पक्की सिंचाई की व्यवस्था सुलभ करनी होगी।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि देश का सबसे पिछड़ा इलाका है और जो कि सदियों गरीबी का नग्न रूप देख रहा है। गोवरहा-चोटा—महुआ व आम की गुठली जहां के गरीबों का आहार है जहां की जीविका सिर्फ खेती पर निर्भर है, जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, सिंचाई व बिजली देकर व बाढ़ व सूखा से बचा कर उन्हें स्वतन्त्र देश के नागरिक होने का आभास कराया जा सकता है। इस तरह वे भी समझ सकते हैं कि हम भी किसी स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं।

ड्रेनेज, सायल कनज़रवेशन, वाटरलागिंग और सी इरोज़न की समस्यायें भी हमारे सामने हैं। मेरे विचार में इस बारे में जो प्रगति की गई है, वह संतोषजनक नहीं है। लेकिन इन विषयों के बारे में इस सदन का अधिक समय न ले कर मैं बाढ़ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सरकार ने स्वयं कहा है कि बाढ़ के कारण सारे देश में लगभग ९० करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट नुक्सान शायद इस से कई गुना अधिक होता है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस देश में बाढ़ के कारण हर साल लाखों करोड़ों लोगों का नुक्सान होता है और बहुत से लोग बेघर-बार हो जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ़ और गाज़ीपुर ज़िले तो हमेशा ही बाढ़ से एफ़क्टिड रहते हैं। इस रिपोर्ट को देखने से पता चला कि इस सम्बन्ध में पिछले साल तक ६५,९९४ स्क्वेयर माइल्ज़ क्षेत्र की फ़ोटोग्राफ़ी हुई। इस साल कितने क्षेत्र की फ़ोटोग्राफ़ी हुई, इस बात का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि बाढ़ की रोक-थाम के लिए सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी ही होती रहेगी, या कोई और कदम भी उठाए जायेंगे।

अगर हम बाढ़ की रोक-थाम से सम्बन्धित आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि १९६१-६२ में ३६०० मील बांध बनाए गए और १९६२-६३ में ३८०० मील बांध बनाए गए।

[श्री विश्राम प्रसाद]

१९६१–६२ में ६६ लाख एकड़ ज़मीन बचाई गई और १९६२–६३ में ७० लाख एकड़ ज़मीन बचाई गई । १९६१–६२ में ५२ शहर बचाए गए और १९६२–६३ में ५७ शहर बचाए गए । १९६१–६२ में ४,३४० गांव ऊंचे किये गए, जब कि १९६२–६३ में ४,३५२ गांव ऊंचे किये गए ।

जहां तक मुझे मालूम है, फ्लड-कंट्रोल के सम्बन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो रुपया खर्च हुआ, उस का बहुत सा हिस्सा कंट्रैक्टरों और अफ़सरों की जेबों में चला गया । जो बांध बनाए गए, उन में दरारें पड़ गईं और वे गांव ऊंचे किये गए, जो कि नक्शे में ही नहीं थे और उस का पैसा भी कैंट्रक्टरों की जेब में चला गया । बाढ़ इस देश के करोड़ों लोगों के जानो-माल के लिए ख़तरा बनी हुई है । इस लिए सरकार को उस की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक विद्युत योजनाओं का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३.७ मिलियन किलोवाट का लक्ष्य रखा गया था । वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और सिर्फ़ ३.४२ मिलियन किलोवाट बिजली तैयार की गई । दूसरी योजना में ६.९० मिलियन किलोवाट का लक्ष्य रखा गया था, जिस में से केवल ५.६० मिलियन किलोवाट बिजली पैदा हुई । इस देश में बिजली की जितनी डिमांड है, उस को दृष्टि में रख कर १९६१ में ३५३.१ मिलियन वाट और १९६२ में ७३७.४ मिलियन वाट की कमी रही । १९६३ में १०२०.१ मिलियन वाट और १९६४ में १३७०.९ मिलियन वाट की कमी रहेगी ।

जहां तक रुरल इलैक्ट्रिफ़िकेशन अर्थात् गांवों में बिजली उपलब्ध करने का प्रश्न है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सैकंड फ़ाइवयीअर प्लान में १०,००० गांवों का लक्ष्य था और २५६६ अधिक गांवों को बिजली दी गई, जिस का अर्थ यह है कि १२,५६६ गांवों को बिजली दी गई । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २०,००० गांवों को बिजली मिलेगी, यानी १९६६ तक कुल ३२,५६६ गांवों को बिजली मिलेगी, जब कि इस देश में कुल ५,५७,९८९ गांव हैं । प्रगति की इस रफ़्तार को देखते हुए मैं नहीं समझ सकता कि कितने वर्षों में इस देश के हर एक गांव को बिजली मिल सकेगी । अगर इस देश की हालत को सुधारना है और गांवों में रहने वाले सत्तर प्रतिशत लोगों की तरक्की करनी है, तो उन के लिए जल्द से जल्द बिजली का प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिस से वे अपने छोटे मोटे उद्योग चला सकें, सिंचाई की व्यवस्था कर सकें और इस प्रकार उन्नति के रास्ते पर जा सकें ।

रिहन्द डैम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बराबर यह कहा करती थी कि उस से पूर्वी उत्तर प्रदेश को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी । लेकिन आज तक उन लोगों को, जिन की संख्या ढाई करोड़ बताई जाती है, जो बहुत ग़रीब हैं और जिन की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ी हुई है, वह बिजली नहीं मिल सकी है । रिहंद डैम की बिजली के बारे में पहले यह समझौता हुआ था कि उत्तर प्रदेश दस फ़ीसदी बिजली रीवा को देगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश से इस बारे में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ़ से पच्चीस फ़ीसदी बिजली मांगी जा रही है । इस समय स्थिति यह है कि ४० मिलियन वाट बिजली प्रति-वर्ष रेलवेज़ को पहले दो साल तक दी जायगी और उस के बाद २५ मिलियन वाट पर्मानेंट बेसिस पर प्रति-वर्ष रेलवेज़ को दी जायगी । इस के अलावा इसमें से १२,००० वाट बिजली चुर्क सीमेंट फ़ैक्ट्री को और ५५,००० वाट एलुमिनियम फ़ैक्ट्री को मिलेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले इस बिजली को पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग़रीब लोगों को देने का वादा किया गया था और इस लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस झगड़े में उन गरीब लोगों का नुक्सान न हो ।

इस के बाद मैं आप को बताना चाहता हूं कि किस तरह से इन रिपोर्टस में गलत आंकड़े दिये जाते हैं। पार-साल की रिपोर्ट में, १९६१–६२ की रिपोर्ट में, पेज ५८ पर लिखा है कि कोसी प्रोजेक्ट में ९० प्रतिशत मिट्टी का काम मेन कैनाल पर हुआ, ९० प्रतिशत मिट्टी का काम चार ब्रांचिज़ पर और ७४.२ प्रतिशत मिट्टी का काम डिस्ट्रिब्यूटरीज़ पर हुआ। लेकिन १९६२-६३, इस साल, की रिपोर्ट में लिखा है :—

"मुख्य नहर शाखाओं और वितरणियों का ८० प्रतिशत मिट्टी संबंधी कार्य समाप्त हो गया है। पता नहीं, यह कैसी रिपोर्टस हैं, जिन के मुताबिक काम पारसाल के मुकाबले में बजाये बढ़ने के घट रहा है और ९० प्रतिशत से ८० प्रतिशत हो गया है।

कृष्णा और गोदावरी के पानी का जो मसला है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राविंशलिज्म को इस देश की तरक्की के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा साइंस और टैक्नालोजी का इस्तेमाल कर के देश की तरक्की की जानी चाहिए। मंत्रालय का प्रयत्न यह होना चाहिए कि इस विषय में किसी प्रकार की प्राविंशलिज्म का दृष्टिकोण न अपनाया जाए—यह भावना नहीं होनी चाहिए कि इतना हम लेंगे और उतना वे लें। यह समस्या इस प्रकार हल की जानी चाहिए कि देश की तरक्की के रास्ते में रुकावट न पड़े और देश का नुक्सान न हो।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, १९६२–६३, की आठवीं रिपोर्ट में कहा गया है :

"सिंचाई और विद्युत का केन्द्रीय बोर्ड वैध नहीं है, इसे अनुदान देना अनियमित है।"

इस बोर्ड का तीन चार लाख रुपए का हर साल का बजट है। उस के अलावा १७,५०० रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी लम्प सम ग्रान्टस के रूप में देती हैं। इस लिए उस के कांस्टीट्यूशन, फ़ंक्शन्ज़, एक्टिविटीज़ और एकाउंट्स का आडिट होना चाहिए।

अन्त में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव आडिट इन दि रिवर वैली प्राजेक्ट्स के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी १९५०–५१ से बराबर यह कहती रही कि सब रिवर वैली प्राजेक्ट्स का आडिट होना चाहिए। आज उन में न कोई पब्लिक का आदमी है और न उन का आडिट हो सकता है। मेरा कहना है कि जितने भी बिजली के प्राजेक्ट्स हैं या जो भी बांध बनाए जा रहे हैं, उन में पब्लिक के आदमी रखे जायें और उन का रेगुलर आडिट होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर उन का आडिट हो, तो बहुत सा रुपया बच सकता है और उतने ही पैसों से बहुत सी योजनायें पूरी की जा सकती हैं।

†**डा० क० ल० राव** (विजयवाड़ा) : श्रीमान् पहले मैं ने सोच था कि समस्त भारत की सिंचाई और विद्युत संबंधी सामान्य समस्याओं पर ही बोलूंगा। किन्तु सदस्यों का भाषण सुन कर मैं पहले नयी जल विवाद पर ही बोलना उचित समझता हूं। आंध्र और उड़ीसा के बीच ४ वर्ष से चल रहे सिलेरु विवाद का निबटारा हो गया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे खेद है कि कृष्णा नदी के जल के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है। यह विवाद ४ वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। परियोजनाओं और विकास का कार्य रुक गया।

पहली बात तो यह है कि खाद्य उत्पादन के लिये आवश्यक जल को बचा कर रखा जाये और विद्युत उत्पादन के लिये भी उसका उपयोग नहीं किया जाये। यह मूल सिद्धांत है जिसे सारी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। ७० वर्ष पहले पेरियार बांध बनाया गया था और जल अकाल पीड़ित मदुरायी जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पश्चिम से

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ला० राव]

पूर्व की ओर मोड़ा गया था । हमारी इच्छा भी कुछ इसी प्रकार की है जिससे रामनद के सूखे क्षेत्रों को जल उपलब्ध हो सके । पेराबिक्कुलम बांध से पानी पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है । यद्यपि इसे दक्षिण की ओर बहने दिया जाता तो विद्युत का उत्पादन हो सकता था । विदेशों में भी ऐसा ही होता है । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि विद्युत जनन पर इतना बल क्यों दिया जाता है ।

कृष्णा का क्षेत्र बहुत बड़ा है । वहां पानी की कमी है । एक बड़ी भूमि को सिंचाई की आवश्यकता होती है । तब इसके पानी को मोड़ने का क्या औचित्य है । यदि इन लोगों की बात मान ली जाय तो जो पानी ३० लाख एकड़ भूमि को सींच सकता है वह व्यर्थ ही समुद्र में गिर जायेगा । इस क्षेत्र के लोगों की इस भावना का कि पानी के मोड़ने से उन्हें सस्ती विद्युत उपलब्ध हो सकेगी मैं समर्थन करता हूं । किन्तु यदि पानी को मोड़ने के स्थान पर सीधा ही बहने दिया जाय तो भी विद्युत तो उत्पन्न होगी ही । कोया बांध को पार करके पानी बिन्दी अलामिट्टी, नारायणपुर जल दुर्ग, श्री सैलम और नागार्जुन सागर से गुजरता है और इन सब स्थानों पर वह विद्युत उत्पन्न करता है । यह विद्युत केवल दक्षिण महाराष्ट्र में ही न रख कर तीनों राज्यों में बांट दी जानी चाहिये ।

महाराष्ट्र को बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है । जल विद्युत तापीय विद्युत से सस्ती भी होगी । किन्तु फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा । यदि वह कोयना के स्थान पर काली नदी और बेदी नदी पर नियंत्रण करते तो ३० लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न हो सकती थी । किन्तु अब वह अवसर हाथ से निकल गया है ।

इस समय महाराष्ट्र की क्षमता १० लाख किलोवाट की है । पानी पश्चिम की ओर मोड़ने पर उन्हें १० लाख किलोवाट और मिल जायेंगे । इसमें कम से कम १५ वर्ष लगेंगे । किन्तु अनुमान यह है कि १५ वर्ष पश्चात् महाराष्ट्र को ५० लाख किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी । शेष ३० लाख किलोवाट के लिये अन्य प्रबन्ध करने होंगे । यह या तो परमाणु शक्ति से अथवा सस्ती ताप विद्युत उत्पन्न करके किया जायेगा । जब ३० ल ख किलोवाट के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध करना होगा तो १० लाख किलोवाट का अधिक प्रबन्ध करने में कौन सी कठिनाई है ? और ५० लाख किलोवाट के आंकड़े भी कम ही हैं । हम अधिक समृद्धि के लिये प्रयत्नशील हैं और अगले १५ वर्षों में १ करोड़ किलोवाट की भी आवश्यकता हो सकती है । वह विद्युत कहां से उपलब्ध होगी; परमाणु शक्ति से तेल-इंजनों से अथवा कोयले से ? हमें इस समस्या का सामना करना है ।

महाराष्ट्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों पर सिंचाई की पूरी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जायेगी । जहां सिंचाई नहीं की जा सकती वहां लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये । उन्हें सस्ती विद्युत उपलब्ध करवाने के लिये मंत्रालय से प्रार्थना की जाये । इसलिये पानी के मोड़ने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाये ।

महाराष्ट्र के मेरे मित्र भी इस बात से सहमत हो जायेंगे कि यदि मात्र विद्युत उत्पन्न करने के लिये इस पानी को समुद्र में फेंक दिया जाये तो इससे राष्ट्र का कोई हित नहीं होगा । मनुष्य की भलाई के लिये पानी के परिरक्षण की आवश्यकता है ।

दूसरा प्रश्न पानी के आवंटन और नदी बेसिन के जलागम क्षेत्रों के परस्पर संबंध के विषय में है । श्री अ० प्र० जैन ने इसका उल्लेख किया था । किन्तु इस आधार पर

अभी तक कहीं पानी का वितरण नहीं हुआ । यदि ऐसा किया गया तो परिस्थिति अत्यन्त हास्यास्पद होगी। चम्बल की ही बात लीजिये । गांधी सागर बांध में ६० लाख एकड़ फीट पानी रोका जाता है । सारा पानी मध्य प्रदेश से आता है। राजस्थान से बहुत कम । किन्तु फिर भी दोनों राज्यों में पानी बराबर बराबर बांटा जाता है । यहां सिद्धांत यह है कि राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जाये । यमुना का ५० प्रतिशत जलागम क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और केवल २ प्रतिशत पंजाब में । किन्तु फिर भी पंजाब दो तिहाई पानी लेता है । यमुना में पानी भी लगभग सारा ही उत्तर-प्रदेश से ही आता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पानी का वितरण जलागम क्षेत्र के आधार पर नहीं किया जाता । इन बातों को यदि ठीक प्रकार से समझ लिया जाये तो सारी उत्तेजना समाप्त हो जायेगी ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में अपील की है कि जब तक तीनों राज्यों में कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक के लिये एक कार्यकारी कार्यक्रम बना लिया जाये । उनके प्रस्तावों ने किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं की । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह यहां की परियोजनाओं का कार्य तुरन्त आरम्भ करवा दिया जाये ।

श्री अ० प्र० जैन ने पूछा था कि पानी का वितरण किस आधार पर किया गया। आंध्रा को जहां पानी की सब से अधिक आवश्यकता थी सबसे कम पानी दिया गया है । उस पानी का उपयोग करने के लिये ७०० करोड़ रुपये व्यय करने होंगे तीसरी योजना में कृष्णा बेसिन पर व्यय किये जाने के लिये तीनों राज्यों के पास कुल १२० करोड़ रुपये की ही व्यवस्था है । फिर इन कार्यों को करने में कितने वर्ष लग जायेंगे ?

माननीय मंत्री को ऐसा भी उपबन्ध रख देना चाहिये था कि जो भी पानी का अधिकतम उपयोग करेगा उसे १० वर्ष बाद स्थिति का पुनर्विलोकन करते समय और अधिक पानी दिया दिया जायेगा ।

पोचम्पाद के लिये पानी का आवंटन करते समय कुछ भूल की गयी है । मराठवाड़ा क्षेत्र में भी पानी का अत्यन्त अभाव है । वहां जैकवाड़ी परियोजना का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाय ।

मैं नदी बोर्डों की स्थापना के विषय में भी कुछ कहूंगा । माहे, महानदी, ताप्ती नर्मदा, और सतलज-व्यास-रावी के संबंध में बोर्ड अभी नहीं बनाया जाये; क्योंकि इस संबंध में सी० डब्ल्यू० पी० सी० संस्था पहले ही अत्यन्त कुशलता से कार्य कर रही है । इस का एक योग्य सभापति है और कई कुशल इंजीनियर उसके अधीन कार्य कर रहे हैं । इसके अन्तर्गत योजना विभाग भी है । इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग आदि भी है । इसलिये अभी किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है । इस समय आपात काल है, हम लोगों पर अतिरिक्त कर लगा रहे हैं । ऐसे समय इस मंत्रणा संस्थाओं पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है । हां, नर्मदा-ताप्ती घाटी प्राधिकार की स्थापना का मैं समर्थन करता हूं । वहां इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । इस नदी पर इन वर्षों में कुछ नहीं किया गया अगर अब वहां ६ बांध बनाये जाने हैं । कई नहरें और बिजली घर बनाने हैं ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । यहां का सारा कार्य इंजीनियरी संबंधी होगा । इसलिये इस प्राधिकार के लिये सदस्य चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाये । जो त्रुटि दामोदर घाटी निगम के संबंध में की थी उस की पुनरावृति न की जाये ।

हम प्रति वर्ष ५ लाख किलोवाट विद्युत का अधिक उत्पादन कर रहे हैं । लक्ष्य की प्राप्ति के लिये १५ लाख किलोवाट प्रति वर्ष वृद्धि की आवश्यकता है । इस लिये मेरा सुझाव है कि विद्युत के संबंध

[डा० क० ला० राव]

में पृथक मंत्रालय हो। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार अधिक सक्रिय नहीं है। इस के लिए एक पृथक सभापति की नियुक्ति की जाये ।

मैं अपना भाषण मंत्रालय द्वारा किये गये उत्तम कार्य की सराहना के साथ समाप्त करता हूं।

† **श्री कर्णी सिंह** (बीकानेर) : सिंचाई और विद्युत राजस्थान के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। औद्योगिकरण के लिए बिजली और कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है।

यह बहुत ही हर्ष की बात है कि भाखड़ा डैम पूरा हो गया है।

ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में बिजली लगाने पर व्यय बढ़ाया जाए ।

राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए इंजीनीयर जो काम कर रहे हैं उस के लिए मंत्रालय कृपा का पात्र है। इस नहर के बनने में अगले बीस बर्षों के लिए हमारी जनसंख्या की समस्या खत्म हो जाएगी ।

मंत्री महोदय और उन का विभाग इस अमून को स्वीकार करने के लिए कि राजस्थान नहर पर मेढ़ लगा दी जाए वधाई का पात्र है ।

नहर के विकास के साथ साथ सड़कें बनाने रेलवे की व्यवस्था के काम में और मंडियों इत्यादि के काम की प्रगति होनी चाहिए। जो क्षेत्र राजस्थान नहर के अर्न्तगत आएंगे वह सीमान्त क्षेत्र होगा जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ होगा। उस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना चाहिये। वे लोग मेहनती होंगे और आवश्यकता के समय प्रति रक्षा की द्वितीय रक्षा पंक्ति का काम भी देंगे।

राजस्थान की नहर को नौतार्य नहर बनाने संबंधी मांग को मैं फिर दोहराता हूं। मुझे आशा है कि कांडला पत्तन के साथ मिला दिया जायगा ।

यह प्रतिज्ञा की गई थी कि वर्ष १९६२ तक भाखड़ा बांध से उत्तरीय राजस्थान को निरन्तर जल का सम्भरण किया जायगा। यह नहर कब तक निरन्तर चलने योग्य बन जायगी, इस बारे में मैं पुनः आश्वासन चाहूंगा ।

उत्तरी राजस्थान में बाढ़ की प्रायः चर्चा हुई है। इस बाढ़ के फलस्वरूप बहुत सी हानि नाली क्षेत्र में होती है और यह बाढ़ पंजाब के औटू जलाशय से आती है। कई बार वर्ष की दोनों फसलें इस बाढ़ के फलस्वरूप तबाह हो जाती हैं। मुझे आशा है कि इस विषय में ठोस पग उठाये जायेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

माननीय मंत्री ने कुछ समय पूर्व सूचित किया कि बाढ़ों को रोकने के लिये एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन दो योजनायें हैं। मेरा अनुरोध है कि चीनी आक्रमण के बावजूद भी इस बाढ़ को रोकने के लिए उसी प्रकार पग उठाये जायें जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया है कि फालतू पानी को जिस की सिंचाई के लिये आवश्यकता नहीं होती, राजस्थान में रेत के टीलों की ओर मोड़ दिया जाय जहां इस से अतिरिक्त खेती हो सकती है और साथ ही साथ लोगों को तबाही से बचाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत ग्यारह वर्ष से राजस्थान में लंकारौसर के निकट कुछ क्षेत्रों में पानी के सम्भरण का प्रश्न मैं सभा के समक्ष लाता रहा हूं । गत वर्ष ४ मई को माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को इस समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया तो उन के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि-कोण से काफी आशायें पनपी थी । परन्तु इस के बावजूद भी स्थिति उसी प्रकार बनी हुई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर मैंने इस की चर्चा की थी कि राजस्थान में लोगों को २०-३० मील तक पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है । प्रधान मंत्री ने भी उस समय कहा कि लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि यदि मंत्रालय इस ओर उचित ध्यान दे तो समस्या का समाधान हो सकता हैं ।

विद्युत शक्ति के क्षेत्र में पंजाब तथा राजस्थान द्वारा काफी विकास किया गया है, परन्तु मेरा सुझाव यह है कि विद्युत शक्ति के समुचित प्रयोग में लाने के लिए औद्योगीकरण भी साथ ही होना चाहिए । वरना विद्युत शक्ति बेकार जायगी । राज्य सरकार ने हमारे सुझाव की ओर ध्यान नहीं दिया । मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस पर अधिक बल दे सकती है ।

यदि युद्ध छिड़ जाता है तो हवाई गोला बारी भी हो सकती है जिस के फलस्वरूप हमारी विद्युत परियोजनायें कट जायेंगी । ऐसी स्थिति में आपात स्टेशन और ग्रिड्स होने चाहिएं जो जनता के आवश्यकताओं को पूरा करते रहें । मैं राजस्थान में बीकानेर शहर की चर्चा करूंगा अब चूंकि वहां पर भाखड़ा से विद्युत का सम्भरण होता है इस लिए तापमान विद्युत स्टेशनों से सम्बन्ध तोड़ा जा रहा है । मेरा अनुरोध है कि यदि किसी भी कारण भाखड़ा से विद्युत सम्भरण नहीं की जाती तो बीकानेर के २ लाख लोगों को पानी तक नहीं मिल सकेगा । इस लिए इन तापमान स्टेशनों से सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया जाना चाहिए ताकि आपात के समय इन का प्रयोग किया जा सके

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि आपात के कारण सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी परियोजनाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंचाई तथा विद्युत ही एक देश के विकास की आधार-शिला है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी (बंका) : अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे आज बोलने का जो समय दिया है उसके लिये आपको धन्यवाद है ।

महोदय, आज हमारे सदन में सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय की १९६३-६४ की बजट मांगें रक्खी गयी हैं । मैं उनका स्वागत करती हूं । सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय एक प्रमुख मंत्रालय है जिसके कि बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । आज की संकटकालीन स्थिति में इस मंत्रीलय का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है और इसलिये हम गौर करके देखते हैं कि इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ावें ।

मैं पहले सदन का ध्यान सिंचाई की ओर दिलाना चाहती हूं । हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है । हमारी जमीन बहुत उर्वर है । अगर हम सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर सकें तो हम जल्द ही खाद्य के संबंध में आत्मनिर्भर बन सकते हैं । हम भारत सरकार के सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं कि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े बांध, नहर एवं बिजलीघर खुले हैं जिन्हें कि हम अपनी योजना के अनुसार पूरा कर रहे हैं । हमने मरुभूमि, ऊसर भूमि को भी, उर्वर बनाया है और बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान बिहार की सिंचाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूं । हमारे बहार में भी सिंचाई का इन्तजाम हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सा इलाका बाकी रहता है जहां सिंचाई का उचित प्रबन्ध नहीं हो सका है । अगर केन्द्रीय सरकार और राज्य

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

सरकार मिल कर बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ माध्यमिक एवं लघु योजना पर ध्यान दें तो हमारे किसानों को ज्यादा पहुंच सकता है तथा हम जल्द ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन हमें पूरी निगरानी की जरूरत है कि कैसा काम हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की सिंचाई के बारे में दिलाना चाहती हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बडुआ जलाशय परियोजना बनाने का काम शुरू किया गया जिसके लिये कि ३·५ करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। इसको राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से बना रही है। इसका काम आधा से ज्यादा हो चुका है लेकिन अपने निर्धारित समय पर यह काम राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकी है। यह डैम भागलपुर जिले के बडुआ नदी को बांध कर बनाया जा रहा है। यह नदी पहले भागलपुर जिले की दुखदायी नदी कहलाती थी क्योंकि प्राय: इसमें बाढ़ आ जाती थी तथा इसकी धार बहुत तेज थी।

यह अपने पास के सैकड़ों और हजारों गांवों को नष्ट कर देती थी। यह डैम जो बांधा जा रहा है वह मिट्टी का बांध है। हम नहीं जानते कि यह सफलीभूत हो सकेगा या नहीं क्योंकि हिन्दुस्तान में यह पहली स्कीम है जिसके कि अनुसार मिट्टी से कोई डैम बांधा जा रहा है। इसको लेकर उस इलाके की जनता में भय है कि कहीं अगर यह सफलीभूत नहीं हुआ तो सारा इलाका नष्ट हो जायेगा जैसे कि गत वर्ष मुंगेर जिले के खड़गपुर बांध के टूटने से हुआ था। गत वर्ष ही इस डैम के बने हुये भाग में एक दरार निकल आयी थी जिसको कि भरने में करीब १ लाख रुपया लग गया। मैं जानना चाहती हूं कि इस तरह के कामों में क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है? क्या कारण है कि इस तरह का बांध एक ओर बांधा जाय और दूसरी ओर वह टूटता जाय? हमारी राय है कि सरकार इसके लिये राज्य सरकार को चेतावनी दे कि इस तरह से रुपये की बर्बादी क्यों की जाती है?

दूसरी परियोजना चान्दन स्कीम है, जो कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में बन कर तैयार होगी। इस पर सरकार को अभी से निगरानी रखनी चाहिये, ताकि यह जल्दी बनाई जा सके।

मैं मंत्री महोदय को अपने क्षेत्र की सिंचाई के लिये एक सजेशन देना चाहती हूं। हमारे भागलपुर जिला में अमरपुर थाना में एक विलासी स्कीम करीब १२ लाख रुपये की लागत से बनाई गई थी, लेकिन उससे एक एकड़ जमीन भी नहीं पटाई जा सकी और वह स्कीम नाकाम साबित हुई। मेरा विचार है कि अगर बडुआ डैम की एक कनाल को इसमें मिला दिया जाये, तो इससे काफी पटवन हो सकेगा। इसमें केवल दो माइल की कनाल बनानी पड़ेगी। यही विचार वहां की जनता का भी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान दे तथा राज्य सरकार से मिल कर उस कनाल को बनवाने की कृपा करे।

संथाल परगना में जसीडीह के पास एक नदी पुनासी नदी बहती है। पुनासी नदी की तलहटी दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। अगर इन दो पहाड़ों को बांध कर जलाशय बनाया जाये, तो एक बड़ा जलाशय बन जायेगा तथा हजारों एकड़ जमीन का पटवन हो जायगा। इस इलाके में सिंचाई की एकदम कमी है। कुछ सालों से बिहार सरकार इस योजना का सर्वेक्षण करा रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इस बारे में क्या कदम उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान दे तथा इस योजना को जल्दी ही कार्यान्वित किया जाये।

हमारे बहार में अभी भी अच्छे अच्छे इलाकों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण काफी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मैं पटना जिला के दक्षिणी हिस्से तथा गया जिले की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं। उन इलाकों में सिंचाई का उचित प्रबन्ध नहीं है। अफसरों की लापरवाही से भी कामों में काफी बाधा हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि पटना जिले के राजगीर क्षेत्र की कुछ जनता ने आठ साल पहले बिजली के लिये दरख्वास्त की थी, ताकि वे लोग सरफेस ट्यूबवैल बना सकें। वह दरख्वास्त मन्जूर भी कर ली गई, लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी है और न ही वहां पर यह काम शुरू हुआ है।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान बिजली की ओर दिलाना चाहती हूं। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरी योजना में १०,००० ग्रामों में बिजली लगाने के लक्ष्य से २,५६६ अधिक ग्रामों में बिजली लगाई गई तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०,००० ग्रामों के विद्युतन के लिये १०५ करोड़ रुपये निश्चित कर दिये गये हैं। सरकार के आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कितने ही गाँव ऐसे हैं, जहां दो साल से बिजली के खम्भे तथा तार लगे हुये हैं, किन्तु वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। कहीं कहीं लाइन भी है, लेकिन वहां पर महीने में दस दिन तो बिजली जलती है और बीस दिन लोगों को मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि लोगों को उपलब्ध नहीं है। इस तरह बिजली लगाने और रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है?

हम जानते हैं कि हमारे बिहार में डी० बी० सी० की बिजली मिलती है, लेकिन फिर भी हमें बिजली की कमी है। हम ने कल बिहार के एक पेपर में देखा कि वहां पर बिजली की कमी के कारण बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में काम में बाधा हो रही है। अगर बिहार में बिजली की कमी है, तो जल्द से जल्द पतराटू तथा चक्रधरपुर में नये थरमल पावर स्टेशन चालू किये जायें तथा तब तक के लिये बिजली वितरण के लिये उचित व्यवस्था की जाये, ताकि कोई फालतू बिजली काम में न लाये। बिहार में बिजली की कमी होने का दूसरा कारण यह है कि बहुत से कन्ज्यूमर्स चोर बाजारी से बिजली जला लेते हैं, जिससे सरकार को काफी नुक्सान होता है।

बिहार सरकार बिजली की कमी को पूरा करने के लिये एक बिजली का कारखाना टट्टी सिलवई नामक स्थान में, जो कि रांची के पास है, खोल रही है। यह कारखाना जी० ई० सी० और ब्रिटेन की मदद से खोला जायगा और इसकी लागत १ करोड़ २५ लाख रुपये है। वहां पर २०० एच० पी० की मोटरें और २५०० के० बी० ए० शक्ति के ट्रांस्फार्मर और स्विचगीयर तैयार किये जायेंगे। यह कारखाना शायद १९६६ तक बनकर तैयार हो जायेगा। मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार भी इसके निर्माण में पूरी मदद करे, ताकि ये सब चीजें हमको विदेशों से न मंगानी पड़ें।

बिहार में इरिगेशन के लिये बिजली का रेट बहुत ज्यादा है और उस को कम किया जाना चाहिये, क्योंकि किसान लोग रेट ज्यादा होने के कारण बिजली को काम में नहीं ला सकते हैं।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भी सारे हिन्दु स्तान में बिजली की कमी है और वह कमी तीसरी योजना में भी बनी रहेगी। मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि हमारे हिन्दुस्तान में ज्यादातर मशीनें वगैरह अभी बिजली से ही चलती हैं। हम करोड़ों रुपये खर्च कर के बाहर से ये मशीनें वगैरह मंगाते हैं, लेकिन बिजली की कमी के कारण हम उन मशीनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में मजबूर हो जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर सरकार लोगों को बिजली नहीं दे सकती है, तो उसे पहले ही उनको आगाह कर

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

देना चाहिये, क्योंकि इस तरह रुपया इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है। आज जब कि हम को विदेशी मुद्रा की ज्यादा जरूरत है, सरकार को केवल उतनी ही मशीनें मंगानी चाहियें, जिन को चलाने के लिये वह बिजली सप्लाई कर सके।

आपने मुझे समय दिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

†श्रीमती विमला देवी (एलुरू) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के एंकीकरण की बहुत चर्चा की जाती है परन्तु किये गये करारों का सम्मान नहीं किया जाता। वर्ष १९५१ में कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के वितरण सम्बन्धी जो करार मैसूर मद्रास और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच हुआ था उस को मैसूर और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा चुनौती दी गई है और आपत्तियां उठाई गई हैं। केन्द्र द्वारा इन आपत्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये था परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले को गुल्हाटी आयोग के सुपुर्द कर दिया गया है। यह घोर अनियमितता है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य बनने के पश्चात् इस राज्य के लिये बहुत सी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें केन्द्र से परामर्श कर के तैयार की गईं। परन्तु अब बाधा यह आ गई है कि मैसूर और महाराष्ट्र अत्यधिक जल की मांग कर रहे हैं। इसी कारण बहुत सी सिंचाई परियोजनायें समाप्त करनी पड़ी हैं। इस के फलस्वरूप विद्युत् शक्ति की अत्यधिक कमी हो गई है। विद्युत शक्ति की कमी के कारण सरकारी और निजी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते। मैं समझती हूं कि कृष्णा और गोदावरी के जल के बारे में आन्ध्र प्रदेश के साथ घोर अन्याय हुआ है।

आंध्र प्रदेश इस समय देश को १० लाख टन खाद्यान्न का सम्भरण कर रहा है और नागरजुनासागर परियोजना के पूरा हो जाने पर हम आशा करते थे कि हम देश को २० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का सम्भरण कर सकेंगे और इस प्रकार देश में खाद्यान्न की कमी को दूर कर सकेंगे। नागरजुनासागर परियोजना के दो प्रक्रम हैं जिन में से उक्त संघर्ष के कारण दूसरे प्रक्रम के लिये केन्द्र ने अनुमति नहीं दी है। मैं समझती हूं कि ऐसा कर के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय आवश्यकता से अधिक मितव्ययिता कर रहा है। नागरजुनासागर द्वितीय प्रक्रम योजना से गुंतूर नेल्लोर पोदिली और दारिसी जैसे कमी वाले क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी। मुझे आशा है कि इस परियोजना को पूरा करने में ढील नहीं की जायगी और प्रथम प्रक्रम के तुरन्त पश्चात् द्वितीय प्रक्रम को लिया जायगा।

मैसूर के राज्य-क्षेत्र में उत्तर कृष्णा परियोजना के निर्माण से आंध्र के सीमांत क्षेत्रों को हानि होगी। यदि मैसूर ऊपरी कृष्णा परियोजना का कार्य पूरा करेगा तो इससे आंध्र के सीमांत क्षेत्रों पर आघात होगा। मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये।

इन सभी बातों पर विचार करते हुए मंत्रालय को कृष्णा गोदावरी के पानी को अरब सागर में डालना ठीक नहीं है। निसन्देह महाराष्ट्र को और अधिक विद्युत चाहिये तथापि इसके लिये उस जल को जिसकी पीने तथा सिंचाई के लिये आवश्यकता है समुद्र में फैंक देना कहां तक ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा यह भली भांति जानती है कि आंध्र की स्थिति सिंचाई और उद्योगों के सम्बन्ध में क्या है हम महाराष्ट्र के आय से ईर्षा नहीं करते तथापि हमें भी अपने उपयोग के लिये जल चाहिये।

वस्तुतः इस प्रकार के कई विवाद इन वर्षों में विभिन्न राज्यों के बीच हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विवाद। ऐसे विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिये जिससे कि पड़ौसी राष्ट्रों के अच्छे सम्बन्ध बने रहें।

अन्त में मैं मंत्रालय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं में अभी तक कार्य नहीं किया गया। गोदावरी कृष्णा तथा उसकी सहायक नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है तथा इससे ४०० वर्ग मील तक का क्षेत्र प्रभावित रहता है। अतः मंत्रालय को इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मुझे बहुत कम चर्चाओं में भाग लेने का अवसर आता है। आपने मुझे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में काफी उत्तरदायी कार्य सौंपा है। अभी तीन दिन पहिले ही मैंने प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया कई सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है।

दुख का विषय है कि योजना आयोग ने दूसरी योजना के दौरान विद्युत् उत्पादन को मुख्य स्थान नहीं दिया फलस्वरूप जब कि विद्युत् उत्पादन का कुल लक्ष्य ६९ लाख किलोवाट था तो वास्तविक उत्पादन केवल ५६ लाख किलोवाट है। उत्पादन की यह कमी ऐसे समय जब कि देश को विद्युत् शक्ति बहुत आवश्यक है गम्भीर है सरकार को इस सम्बन्ध में जागरूक रहना चाहिये और पुनः वे गलतियां नहीं दुहरानी चाहियें जो पहिले की गयी हैं।

यह सामान्य मत है कि जल विद्युत् का उत्पादन सबसे सस्ता होता है तथा भारत की वर्तमान क्षमता ४·१० लाख किलोवाट विद्युत् उत्पादन की है।

इस अवसर पर मैं कृष्णा और गोदावरी के जल वितरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों के बीच इन नदियों के जल के वितरण के लिये कोई सिद्धांत निश्चित कर लिया जाये। इस बात पर मैसूर और महाराष्ट्र तो सहमत हो गये तथापि आन्ध्र प्रदेश तैयार नहीं हुआ।

वस्तुतः इस प्रश्न का निपटारा करने के लिये जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह भी उचित नहीं है। यद्यपि इस सम्बन्ध में डा० राव ने नील नदी के जल का उल्लेख किया है तथापि ये बातें पुरानी हैं आज इस सम्बन्ध में अन्य कई सिद्धान्त बना लिये गये हैं जिनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल का वितरण किया जा सकता है। अतः यदि तीन सम्बन्धित राज्यों को एक साथ बिठलाकर इस मामले का निपटारा किया जाता तो अच्छा रहता तथापि विवरण में यह कहा गया है कि १९६० में ऐसा किया गया था और उसमें सफलता नहीं मिली।

जहां तक कृष्णा नदी के जल का सम्बन्ध है आन्ध्र प्रदेश ने २०२० टी० एम० सी० फीट जल के उपयोग की योजनायें बनायी हैं तथापि मंत्री महोदय ने कहा कि हमें १८०० टी० एम० सी० फीट जल पर ही विचार करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नदी में इस से अधिक पानी नहीं है ?

मैं आपको मैसूर के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। भारत के कुल सूखे क्षेत्र का ५८ प्रतिशत मैसूर में है। वहां खेती योग्य भूमि के केवल ५ प्रतिशत में सिंचाई होती है अतः मैसूर को और अधिक जल का अंश मिलना चाहिये।

[श्री दासप्पा]

निसन्देह हमें जो ६०० टी० एम० सी० फीट जल दिया गया है उसमें ही हमें आगामी दो परियोजनाओं में सारी शक्तियां लगानी होंगी तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भविष्य के लिये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न करें।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उपलब्ध जल का पुनर्मूल्यांकन किया जाये तथा साथ साथ विभिन्न राज्यों का अंश पुन: निश्चित किया जाये।

जब पिछले बीस वर्षों में विजयवाड़ा में नदी के जल का औसत बहाव २००० टी० एम० सी० फीट रहा है तो उसे १८०० मान कर तीन राज्यों के बीच जो ८००, ६०० और ४०० के अनुपात में जल का वितरण किया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाये।

दुख का विषय यह है कि मंत्रालय ने इन्हीं बातों की आड़ लेकर हमारी परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है इस से पारस्परिक मनमुटाव पैदा होता है तथा विकास में रुकावट पैदा होती है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : माननीय सभापति महोदय इस लोक सभा में एक नई भाषा शुरू हो गयी है कि राष्ट्र के नाम पर दूसरों के हक को दूसरों को जिन्दगी देने वाली चीज को छीन लिया जाये। यह एक नया दौर शुरू हो रहा है।

मैं ने श्री के० एल० राव के भाषण को बहुत शान्ति से सुना लेकिन मुझे अफसोस है कि एक टैकनिकल इजिनियर होते हुए भी उन्होंने एक आंकड़ा और एक फैक्ट भी हाउस के सामने नहीं रखा। सिर्फ यह बताया है कि तमाम दुनिया में कृष्णा और गोदावरी के पानी से बिजली और पानी देंगे और सब कुछ देंगे। क्या आंकड़े उन्होंने रखे हैं पार्लियामेंट के सामने। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के भाषण करके दूसरों का हक छीनने की कोई वजह नहीं है और उनको ऐसा कहने का कोई हक नहीं हो सकता।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : सारी दुनिया को तो देने के लिये उन्होंने नहीं कहा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : माननीय लेडी मेम्बर शान्ति से सुनें भावना में न आवें। गुलाटी कमीशन ने क्या कहा है। इस मिनिस्ट्री ने २३ मार्च को निर्णय लिया था उस दिन को मैं अपने लोगों के लिये उस फैमिन एरिया के भाइयों के लिये काला दिन मानता हूं। २३-३४ मिलियन एकड़ तमाम फैमिन एरिया है और कृष्णा और गोदावरी का जो के कैचमेंट एरिया में है। इस में से मैसूर में ४४ ६१३ स्कायर माइल है और इसके बाद स्कारसिटी एरिया देखा जाए तो पूरी कैचमेंट एरिया के अन्दर जो दामन में आता है वह ५८ पर सेंट है। ५८ परसेंट हमारा स्कारसिटी एरिया रहते हुए और इसका हक रहते हुए मैं अपने दोस्त के० एल० राव से और लेडी मेम्बर महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने घर के पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यह तो ऐसी बात हुई कि हमारे घर की बावली का पानी दूसरे घर का आदमी तो ले जाये लेकिन हम इस्तेमाल न कर सकें। क्या यह वाजबी है। मैं यह सवाल लोक सभा के सामने मामूली सवाल के तौर पर रखना चाहता हूं। जितने भी यहां आंकड़े पेश किये गये हैं उनको छोड़ता हूं।

इस हाउस में सन् १९५१ के एग्रीमेंट के बारे में बार बार कहा जा रहा है। क्या है यह सन् १९५१ का एग्रीमेंट ? इस एग्रीमेंट के द्वारा हमारे भाइयों के हक पर पत्थर डाल कर आपने स्टेटमेंट

और एलोकेशन किया है। इतने तमाम इंजीनियर होते हुए और इतना रुपया खर्च करने के बाद ऐसा निर्णय क्यों लिया गया इसका रीजन नहीं मालूम होता। बड़े बड़े लोगों ने इस एग्रीमेंट को अनसाइंटिफिक बताया है। मैं उस एग्रीमेंट पर मिनिस्टर की कमेंट को पढ़ता हूं। १९५१ के समझौते के सम्बन्ध में विधि मन्त्रालय ने यह राय दी है कि यह समझौता वैधानिक रूप से अप्रभावी और अदूरदर्शी है। एटार्नी जनरल से ज्यादा बड़ा और कौन हो सकता है हिन्दुस्तान में जो इस बारे में सही निर्णय दे सके।

फिर आगे इसमें लिखा है भारत के महाअधिवक्ता ने भी यही राय दी है।उन्होंने कहा है कि इसे शून्य परस्तात् मान लिया जाये एटार्नी जनरल के इन रिमार्कस के बाद सन् १९५१ का वह एग्रीमेंट मिट्टी में मिल गया है। क्या इसी तरह से यह सरकार नेशनल इंटग्रेशन करना चाहती है? आप पानी को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर आलरैडी ४०से७५ परसेंट तक इर्रीगेशन हो रहा है। आन्ध्र के लिए आप अगर पानी ले जाते हैं तो हमें उसके लिए कोई ऐतराज नहीं है लेकिन वह दूसरों की कौस्ट पर न ले जाया जाय। अगर आंध्र के वास्ते पानी का फेयर शेयर दिया जाय तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किये हैं उनके लिए मैं उनको बधाई ही दूंगा। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे कर्नाटक के जिलों के वास्ते बेइंसाफी तो न की जाय। स्टेट्स रिआरगनाइजेशन के पहले कर्नाटक के तीन जिले जो कि हैदराबाद में थे और चार जिले महाराष्ट्र में थे उनके इंटरैस्ट ने बहुत सफर किया है। उस वक्त हमारे इंटरैस्ट को कोई देखने वाला नहीं था। चूंकि हम मायनारिटी में थे इसलिए यह हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे इंटरैस्ट ने सफर किया। इसके लिए मैं सदन के सामने कुछ जिलों के इर्रीगेशन के आंकड़े रखना चाहता हूं :—

महाराष्ट्र में अहमदनगर, पूना, शोलापुर, सतारा और सांगली के इर्रीगेशन का परसेंटेज इस प्रकार है :—

अहमदनगर, ५·८ परसेंट है। पूना ८·५ परसेंट है। शोलापुर ९·७ परसेंट है। सतारा ११·९ परसेंट है और सांगली ५·७ परसेंट है। मैसूर के जिलों का परसेंटेज इर्रीगेशन का इस प्रकार है :—

बेलगांव ६·१ परसेंट है। बीजापुर १·९ परसेंट है, गुलबर्गा १·४ परसेंट है, रायचूर १·२ परसेंट है और धारवार ७·४ परसेंट है।

आन्ध्र प्रदेश के जिलों में इर्रीगेशन का परसेंटेज इस प्रकार है :—

नेलोर ३९·९ परसेंट, गुंटूर कृष्णा ३५·४० परसेंट और नलगोंडा १६·३ परसेंट है।

मद्रास में इर्रीगेशन का परसेंटेज इस प्रकार है :—

चिंगलपुर ७५·१ परसेंट और एस० अरकोट ४७·४ परसेंट।

इन आंकड़ों को देखने और मुकाबला करने से मालूम हो जायगा कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास अपनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पर इर्रीगेशन की सुविधा और बढ़ाना चाहते हैं जहां कि पहले से ही ४० परसेंट से लेकर ७५ परसेंट तक इर्रीगेशन की सुविधा मौजूद है। पानी के इस तरह के नामुनासिब बंटवारे से मैसूर के जिले जहां कि इर्रीगेशन की सुविधा पहले से ही काफी कम है अर्थात् १ से लेकर ७ परसेंट तक है वे बिल्कुल हमेशा के लिए हाई और ड्राई रह जायेंगे। अगर फेयर शेयर के हिसाब से पानी आप पहुंचायें तो मुझे कोई ऐतराज न होगा। अगर कहीं के लिए आप १०, २० टी० एम० सी० अधिक भी पहुंचायें तो भी एतराज न होगा लेकिन जहां वाजिबी तौर पर मैसूर और महाराष्ट्र के जिलों को इर्रीगेशन की सहूलियत मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती है और आन्ध्र प्रदेश को इस तरह से फरदर इर्रीगेशन के बेनीफिट्स दिये जा रहे हैं तो यह तो सरासर नाइंसाफी हमारे साथ बर्ती जा

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

रही है। जहां हमारे मैसूर के उन जिलों को १६०० टी० एम० सी० पानी मिलना चाहिए था अगर १२०० टी० एम० सी० ही मिल जाता तब भी हमें सन्तोष हो जाता लेकिन हमें केवल ६०० टी० एम० सी० ही दिया जा रहा है। आन्ध्र वालों को इस तौर से ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा रही है और हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है। इस तरह के अनुचित बंटवारे से वहां की जनता में व्रती असन्तोष फैलना बहुत स्वाभाविक है। इस अवसर पर मैं इस आरबिटरैरी डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ़ प्रोटैस्ट करना चाहता हूं। मैं लोकसभा में इसका पुरजोर विरोध करता हूं तथा मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया उससे असहमति प्रगट करता हूं। इन बातों को राजनैतिक दबावों के आधार पर निश्चित किया जाता है।

इसके अलावा मैं हाउस के सामने एक और चीज़ रखना चाहता हूं। गुलाटी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उनके खिलाफ सरकार का निर्णय है। गुलाटी कमीशन ने यह कहा था :—

> "इस प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों तथा भविष्य में किये जाने वाले सर्वेक्षणों के आधार पर, ६ महीनों के भीतर यह निर्णय कर सकना सम्भव होगा कि गोदावरी से पानी के बहाव को बदलने के फलस्वरूप नागार्जुनसागर परियोजना में कौन कौन से कार्य किये जा सकते हैं।"

यह झगड़ा आज से नहीं बल्कि इसको चलते १२ साल हो गये लेकिन सरकार ने इसके लिये कोई ऐसा कोआरडिनेटेड प्लान तैयार नहीं किया, ६ महीने की तो बात ही दूर रही, जिससे कि यह मामला न्यायपूर्ण ढंग से हल हो जाये। इसी तरह से रिहन्द डैम के सवाल को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच झगड़ा चल रहा है और वह भी काफी साल से चल रहा है। उस झगड़े को हल करने के लिए भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज डा० क० ल० राव ने एक इंजीनियर की हैसियत से जो यह दावा किया कि यह नेशनल प्लान के बारे में डिसीशन है तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रव्यापी योजनाओं के आधार पर नहीं किया गया है अपितु यह आन्ध्र की योजनाओं के आधार पर किया गया है—यह मन्त्रालय की मनमानी है।

सारणी से यह भी ज्ञात होगा कि मद्रास तथा आंध प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत ४० से ७५ तक है जब कि मैसूर में यह प्रतिशत १ से ४ तक है। और इस प्रकार भविष्य में भी यही रह जायेगा। मैं आखिर में पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर दुबारा गौर किया जाय और इस पर फिर से एक नया डिसीशन लिया जाय।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : मैं सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातों पर प्रकाश डालना चाहता था तथापि दुर्भाग्य से कृष्णा तथा गोदावरी के जल के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया है अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मन्त्रालय ने ७ महीने तक कोई कार्य नहीं किया। इसके पश्चात् सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों ने तदर्थ निर्णय कर लिये और किसी निश्चित सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया। निस्सन्देह गुलाटी आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया तथा समस्या पर निष्पक्षता से विचार किया।

दुख का विषय है कि सभा में सभी अपने प्रादेशिक हितों को सामने रख कर अपने पक्ष का प्रतिपादन कर रहे हैं यहां तक कि साम्यवादी दल की एक महिला सदस्या जो अभी थोड़ी देर पहिले बोली ने प्रादेशिक आधार पर अपने पक्ष का समर्थन किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि जल वितरण की समस्या को केवल टैक्निकल दृष्टि से देखना ही उचित नहीं है हमें सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिये। कई इंजीनियर जो उसे इस दृष्टि से नहीं देखते वे गलती कर जाते हैं। इस सम्बन्ध में पूना की गोखले संस्था ने समस्या को बिल्कुल नये दृष्टिकोण से देखा है। आपने जो ८००, ६०० और ४०० टी० एम० सी० के अनुपात का निश्चय किया है वह किस आधार पर किया गया है।

जहां तक महाराष्ट्र-कर्नाटक क्षेत्र का सम्बन्ध है वह नदी के ऊपरी भाग में है वहां अधिकांश सूखा पड़ा रहता है तथा सिंचाई का प्रतिशत भी केवल १ प्रतिशत है अतः आपको इस दृष्टि से कर्नाटक के दावे को देखना चाहिये।

जहाँ तक महाराष्ट्र का सम्बंध है, वहाँ कुल ५ प्रतिशत भूमि सींची जाती है और सिंचाई क्षमता २० प्रतिशत है। आँध्र में पहले ही यह सीमा पार की जा चुकी है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित मंत्रालय कहता है कि १९५१ का करार अप्रभावी जैसा ही है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है और यह करार १९७५ तक लागू किया जायेगा। इसका यह अर्थ हुआ कि वर्तमान पीढ़ी की समस्या को मंत्रालय आगामी पीढ़ी के लिए रख रहा है। क्या सभा इस प्रकार के आत्म-संतोषपूर्ण रुख को उचित समझती है। प्रतिवेदन में समस्त सफलताओं का श्रेय मंत्रालय को दिया गया है। सदस्य भी मंत्रियों की प्रशंसा करते हैं।

अब मैं विद्युत् उप्पादन पर आता हूं जो पानी का एक वैकल्पिक उपयोग है। पानी का उपयोग करते समय आप को लाभ और परिलाभ का अनुपात निकालना पड़ता है। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नदियाँ प्रकृति की देन हैं। हमें यह जानना चाहिए कि इस देन का उपयोग अपने लिए और भावी पीढ़ी के लिए किस प्रकार करें।

कोयना में ६६ करोड़ रुपये की लागत से ६७.५ टी० एम० सी० विद्युत् उत्पन्न हो सकती है। योजना आयोग ने भी यही कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अथवा जहाँ कोयला उपलब्ध नहीं है, जलविद्युत् तापीय विद्युत् से सस्ती होती है। इस लागत पर १ करोड़ रुपये से भी अधिक वार्षिक लाभ हो सकता है। इस प्रकार लाभ और परिव्यय का अनुपात १.१७ प्रतिशत है।

कहने का अर्थ यह हुआ कि पश्चिम की ओर मोड़ देने से पानी व्यर्थ नहीं जायेगा। यह पानी महाराष्ट्र के उद्योगों के कार्य में आयेगा। मंत्रालय को चाहिये कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करे। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में किसी स्थायी समझौते पर पहुंचेगा।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, मैं ने सारे सदस्यों का भाषण ध्यान से सुना। सब ने इस जल समस्या के ऊपर अपने अपने राज्यों का समर्थन किया है। मुझे इस बात को देख कर अत्यन्त दुःख हुआ। क्योंकि यह राष्ट्रीय मंच है।

मैं इस समस्या पर भिन्न दृष्टिकोण से विचार करता हूं। यह सच है कि हमें प्रान्तीय विभिन्नताओं को दूर करना है और देश के समस्त पिछड़े प्रदेशों के उचित विकास का ध्यान रखना है किन्तु यह राष्ट्रीय संसाधनों के विकास कार्य को हानि पहुंचा कर नहीं होना चाहिये। सरकार को केवल इसी बात का ध्यान रखना है। मुझे खेद है कि सरकार ने इस समस्या के विषय में सोचा तक नहीं जबकि यह गत १० वर्षों से हमारे सामने है। मुझे कैनेडी प्रशासन की बात याद आती है जब उन्होंने एक नीग्रो लड़के के प्रवेश के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग किया था। हमारी सरकार को भी चाहिए कि समस्त पक्षों की बात सुन कर एक ऐसे निश्चय पर पहुंचे जो राष्ट्रीय संसाधनों के विकास के लिये हितकारी हो।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री ओझा]

यह कहा गया है कि इस सरकार में यह मंत्रालय अत्यधिक महत्वपूर्ण है । यह सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में कार्य करता है जिन पर राष्ट्र का विकास और भावी समृद्धि निर्भर करती है । इसलिये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह मंत्रालय उचित प्रकार से कार्य करे । हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है । कृषि के विकास के बिना देश का विकास नहीं किया जा सकता । इस के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सिंचाई क्षमता के विकास पर जोर दें । हमें हर्ष है कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इस क्षेत्र में हमने प्रगति की है । इस क्षमता का उचित उपयोग भी किया जा रहा है ।

इसी प्रकार विकास के लिए विद्युत् भी अत्यावश्यक है । जब तक हम विद्युत् का विकास न करें तब तक मुझे भय है हम अपने देश का औद्योगिक विकास करने में सफल नहीं हो सकेंगे । कृषि के सम्बन्ध में केवल जल ही पर्याप्त है, शेष आवश्यकताओं का प्रबन्ध कृषक स्वयं कर लेगा । इसी प्रकार विद्युत् उपलब्ध करवाने के पश्चात् उद्योग का भी विकास सरल हो जायेगा । यदि ग्रामों में विद्युत् पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई तो वहाँ लघु उद्योगों का विकास होगा और सारा देश समृद्ध हो जायेगा । मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और समस्त संभव विद्युत् संसाधनों का उपयोग करे ।

गुजरात में दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं । उन पर अभी बाँध नहीं बनाये गये हैं। गुजरात में सिंचाई क्षमता पर्याप्त नहीं है । नर्मदा और उकाई परियोजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिए । मंत्रालय का नदी बोर्ड स्थापित करने का विचार है । यह आवश्यक है डा० क० ल० राव का कथन है कि ताप्ती और माही नदियों के लिए नदी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। मैं उन के इस कथन पर आपत्ति नहीं कर सकता । उन्होंने नर्मदा के लिए भी एक नदी प्राधिकार की आवश्यकता पर जोर दिया है । इस कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिए ।

गोदावरी को ताप्ती से मिलाने का भी प्रस्ताव है । जमुना को भी नर्मदा से मिलाने का प्रस्ताव है । यदि यह परियोजनायें पूर्ण हो जायें तो परिवहन की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी और इस से देश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रदेशों को लाभ पहुंचेगा ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, अभी आप ने देखा कि गुलाटी कमिशन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण बहुत ज्यादा जोर लगा रहे थे । उस के पीछे केवल वहाँ की जनता की भूख मिटाने की, भूख के खिलाफ संग्राम करने की भावना थी, जिसको विपक्षी लोग प्राविंशलिज्म या रीजनलिज्म की भावना कहते हैं वह नहीं थी । हर इलाके के लोग चाहते हैं कि वहाँ भूख से संग्राम करने में हम सफल हों, और इस काम को करने में यह मंत्रालय बहुत उद्योगशील रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

जब आप इस मंत्रालय के काम को देखेंगे और सन् १९५०–५१ से लेकर आज तक के अर्थात् १९६१ब ६२ तक के काम का मिलान करेंग तो आप को पता चलेगा कि यह बिल्कुल एक नया देश बन गया है । अगर आप इस के फिगर्स को देख तो आप को पता चलेगा कि जहाँ सन् १९५०–५१ में करीब ३७०० गाँवों के लोग बिजली की बात सुनते थे वहाँ सन् १९६०–६१ आते आते उस का छः गुना से अधिक हो गया और वह संख्या कई हजारों में परिणत हो गई है । जब भी हम चुनाव के क्षेत्र में जाते थ, तो हमारे काँग्रस चुनाव घोषणा पत्र में नदी घाटी योजनाओं के बारे में बात रहती थीं

और दूसरे पक्ष के लोग कहा करते थे कि वह सब बात कागजी बातें हैं, उन में वास्तविकता ज्यादा नहीं है। लेकिन पिछले दस बारह सालों में हमारी राष्ट्रीय सरकार में विश्वास करने वालों ने सारी दुनियां को दिखला दिया कि यह देश कितना बढ़ सकता है और कितनी तेजी के साथ आगे चल सकता है। आज यह सिद्ध हो गया है कि इतने बड़े देश, सैकड़ों वर्षों से शोषित देश, भूखे देश, में दस सालों के भीतर जो कुछ हम कर सकते हैं, दुनिया में उस का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।

मैं सब से ज्यादा बिहार के उन क्षेत्रों की ओर से इस मंत्रालय को बधाई देता हूं जो एकदम बाढ़पीड़ित क्षेत्र थे और जहां के हजारों गांव बरसात के दिनों में पानी में गर्क रहा करते थे। उन के लिये इस मंत्रालय ने कितना बड़ा काम किया है। उसने देश की करीब ७० लाख एकड़ जमीन को आज तक बचाया है, ५७ शहरों को, जोकि बिल्कुल खत्म होने को थे उनको बचाया है और करीब ४३५२ गांवों को बचाया गया है और रोज रोज इस काम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ने खासकर उत्तर बिहार के इलाके में देखा कि वहां के लोग पानी में तैरा करते थे, मलेरिया में परेशान रहते थे। आज वहां एक दूसरी ही दुनियां बन रही है। वहां पर काम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इस के साथ यह भी जरूर है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। विशेषकर दो चार बातें ऐसी हैं, जैसाकि रिपोर्ट में भी दिया गया है, जिन को देख कर कुछ चिन्ता भी होने लगती है। देखने में तो यह एक छोटी सी बात लगती है कि बंगाल में फरक्का बैराज बन रहा है, लेकिन वह बहुत जरूरी है और उस को बनना ही चाहिये।

इसके साथ साथ हम ने देखा इस रिपोर्ट में कि कर्ण फूली प्रोजेक्ट का बड़ा पावर हाउस भी पाकिस्तान में बन रहा है। इस का नतीजा यह होगा कि बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में गर्क हो जायगा। यह खुशी की बात है कि हम लोगों ने बराबर इस के खिलाफ प्रोटेस्ट अर्थात् विरोध पत्र प्रस्तुत किया है ताकि इससे हमारी जनता की रक्षा हो सके। और भी बहुत सी बातें हैं जिन में हम लोग काफी सहयोग दे रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में इंडस वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक हम लोग काफी धन भी आई० एम० एफ० जमा कर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपये देने के लिये कटिबद्ध हैं। इन सब बातों का देख कर आखीर में यह कहना गलत न होगा कि हम काफी प्रगति के रास्ते पर हैं, और किसी भी तरह हम लोगों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है।

गत २६वीं अक्तूबर, १९६२ के बाद से हमारे देश की स्थिति अवश्य कुछ बदली है संकटकालीन स्थिति के कारण। २६वीं अक्तूबर के बाद से हम ने यह निश्चय किया है कि जो हमारी जरूरी योजनायें हैं सिर्फ उन्हीं को चालू रक्खा जाय। कुछ ऐसी योजनायें हैं जिन को बन्द करने की बात सोची जा रही है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय पुनः उस पर विचार करेगा। खास कर बिहार के बारे में जब आप सुनेंगे, जोकि आबादी के हिसाब से हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर का राज्य माना जाता है और जिस की आबादी ४ करोड़ ६८ लाख है, तो पता चलेगा कि जब से उन्हें पता चला है कि पश्चिमी कोसी की नहर को तेजी से नहीं चलाया जायेगा, तब से वे बहुत ज्यादा घबराहट में पड़ गये हैं। इसलिए मैं विशेष कर इस मंत्रालय से अपील करूंगा कि बिना जनता को सताये हुए, जिन के लिए आप यह चाहते हैं कि भूख से संग्राम किया जाये, इस उर्वर भूमि में (उत्तर बिहार की भूमि बड़ी उर्वर है) अगर आप इस वेस्टर्न कोसी कैनाल (पश्चिमी कोसी नहर) को ले कर चलें, तो अन्न के मामले में हम काफी आगे बढ़ सकते हैं और उपज को काफी बढ़ा सकते हैं। अब तक उत्तर बिहार के इलाके में जो भी काम हुआ है, मैं नहीं कहता कि वह सही नहीं हुआ, वह बहुत सही हुआ है, लेकिन इस इलाके की जरूरत को देखते हुए, उस की उर्वरता को देखते हुए, अगर आप पश्चिमी कोसी नहर को लेकर चलते हैं तो वहां पर काफी उपज बढ़ा सकते हैं।

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

मैं एक दूसरी बात कोसी योजना के बारे में और भी कहना चाहता हूं । हम बराबर डरते रहते हैं कि अगर कोसी बैराज की सिल्ट को रोकने का इन्तजाम नहीं हुआ तो उसकी शक्ति कम हो सकती है, और शायद बीस साल के बाद वह बराज काम का ही न रह जाय । इसलिये में इस मंत्रालय से यह अपील भी करूंगा कि वह ऐसा काम करे जिस से उस की लाइफ बढ़े क्योंकि यह बिहार और बंगाल के सब इलाकों के लिये पावर भी देने वाला है । इस की जिन्दगी को बढ़ाने के लिये, इस की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिये, आप सिल्ट चेकिंग स्कीम्स के सम्बन्ध में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस में जरा भी ढील न लाई जाय, उस को जरा भी कम न किया जाय ।

दूसरी बात में नेपाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । वहां राजपुर नहर के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें हो रही हैं । हमें यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि गंडक योजना के सम्बन्ध में महाराज साहब ने अब यह निश्चय कर लिया है कि चूंकि यह दोनों मित्र देशों के लिये काम की चीज है, इसलिये इस काम को बहुत अच्छी तरह से चलाया जाय ।

इस सदन में बार बार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में कहा गया है । सचमुच वह इलाका और बिहार का इलाका आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ा है । जैसा कि हमारे श्री अ० प्र० शर्मा जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने और विश्राम बाबू ने कहा, इस इलाके में बहुत घनी आबादी है और यहां की जनता गरीब है । इस इलाके के लिए जो गंडक योजना चालू की गयी है उस के लिए हम नेपाल के महाराजा महेन्द्र के बहुत आभारी है कि उन्होंने इस काम में अपना सहयोग दिया और इस प्रकार दोनों देशों की मित्रता को और भी दृढ़ किया है ।

इसी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ समन्वय नहीं होगा तब तक अच्छा काम नहीं चल सकता । में ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की किताब में विंड मिल्स का जिक्र देखा है । देश में ऐसे बहुत से निर्जन इलाके है जहां आप पानी नहीं ले जा सकते । अगर आज के युग में उन इलाकों के लिए कोई हालैंड देश जैसी विंड मिल्स का सुझाव दे तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह बहुत पिछड़ेपन की बात है । हमारा देश बहुत विशाल है और इस में भिन्न भिन्न परिस्थितियां वर्तमान हैं । और उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हल खोजने चाहिएं । सरकार को चाहिए कि सायंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मे इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में "विंड मिल" लगाने के काम की जिम्मेवारी दे । में चाहता हूं कि इधर ध्यान दिया जाये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय हो गया है ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : में समाप्त करता हूं।

क्कलन समिति की तीसवीं रिपोर्ट में मैंने देखा है कि करीब सौ करोड़ रुपये का कोई हिसाब (रिपोर्ट) ही नहीं दिया गया है । यह कैसी बात है ? जिन राज्यों को आप रुपये देते है वे उसका हिसाब नहीं देते और अपनी रिपोर्ट भी उस के बारे में नहीं देते । इस देश के लिए सौ करोड़ रुपया बड़ी चीज है ।

दूसरी बात मैं सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। पांच साल में १३७ दरखास्तें आ गयी हैं और पड़ी हैं, पर पांच साल से उसकी बैठक ही नहीं हुई जिससे उन दरखास्तों पर कानून के सम्बन्ध में और रूल्स के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके।

इन सब बातों को कहते हुए में मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी काम किया है और इस प्रकार देश को आगे बढ़ाया है। अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो मुझे आशा है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जायगे।

†श्री करुथिरमण (गोबीचेट्टिपलयम) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और भाखड़ा-नंगल आदि बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करने वाले कुशल इंजीनियरों को बधाई देता हूं।

कृषि के लिये सिंचाई और विद्युत् दोनों आवश्यक हैं। हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की है। तृतीय योजना में हम इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर रहे हैं।

किन्तु केवल बांधों और विद्युत् गृहों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। हमें इन का पूरी तरह उपयोग भी करना चाहिये। देश में ३० प्रतिशत कृष्य भूमि है, किन्तु वह भी सारी खेती के कार्य में नहीं आ रही। यदि कृषकों को उचित समय पर विद्युत् उपलब्ध करा दी जाये तो इसका उपयोग किया जा सकता है।

गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन से कुछ विवादों ने जन्म लिया है। नदियां केवल एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहतीं; एक राज्य में जलधारा होती है तो दूसरी में जलागम क्षेत्र। इसलिये सब नदियां केन्द्र की ही हैं। इसलिये समस्त नदियों के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिये पृथक-पृथक नदी बोर्डों की आवश्यकता नहीं। केन्द्रीय बोर्ड के निर्णय पर ही कार्य किया जाना चाहिये। तब यह जल विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा।

गुलाटी आयोग ने मद्रास राज्य के लिये १५ टी० एम० सी० जल की व्यवस्था की है। वहां पानी की बहुत कमी है। इस निश्चय को बहुत शीघ्र कार्यान्वित कर देना चाहिये।

श्री श्रीनिवासा आयंगर और डा० रामास्वामी अय्यर गंगा नदी को कावेरी से मिलाने के सम्बन्ध में खोज-बीन कर रहे थे। यदि ऐसा हो जाये तो सारा जल-विवाद समाप्त हो जायेगा। यदि हम गंगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी नदियों को मिला दे तो सारे राष्ट्र को लाभ होगा।

मद्रास राज्य में बहुत से गांवों को विद्युत् उपलब्ध करा दी गई है और इस का समुचित उपयोग हो रहा है। कोयम्बटूर में पानी की बहुत कमी है। कुयें कभी कभी २०० से २५० फीट तक गहरे होते हैं। किन्तु फिर भी वहां पैदावार अच्छी होती है। जहां पानी का अधिक प्रयोग किया जाता है वहां भी पैदावार कम होती है। मंत्रालय को चाहिये कि पानी के उचित उपयोग पर गवेषणा के लिये एक संस्थान स्थापित करे।

मद्रास राज्य में विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता केवल ५०० प्रगावाट है। १,५०,००० कुओं में विद्युत् पहुंचा दी गई है। किन्तु अभी विद्युत प्राप्त करने के लिये २० लाख आवेदन-पत्र पड़े हुए है। मद्रास में जलीय विद्युत के समस्त संसाधन काम में ले लिये गये हैं। केवल मैसूर राज्य की सहायता से कावेरी नदी पर एक विद्युत् परियोजना के निर्माण की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करुथिरमण]

वहां पर हर वर्ष विद्युत् की कमी पड़ जाती है इसलिये वहां तापीय-संयंत्र की स्थापना भी कर दी जानी चाहिये। वहां एक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित किये जाने की भी मंजूरी मिल चुकी है। इसका कार्य भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाये।

नेवेली में ४०० मेगावाट के संयंत्र को स्थापित करने की योजना है। मेरा सुझाव है कि एक ६०० मेगावाट का संयंत्र और बना दिया जाये। इससे वहां की विद्युत् की आवश्यकतायें पूरी हो जाएगी। विद्युत् के सम्बन्ध में उद्योग को कृषि से प्राथमिकता दी जाती है। हमारे यहां खाद्यान्नों का अभाव है और १५० करोड़ रुपये तक के खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। मद्रास राज्य में ६० प्रतिशत विद्युत् की खपत उद्योगों द्वारा की जाती है। लेकिन कृषि को विद्युत् उपलब्ध कराने से राष्ट्रीय आय के अधिक बढ़ने की संभावना है।

जहां नदियां है वहां बांध बनाये जाते हैं। किन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जो वर्षा की कृपा पर ही निर्भर हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब वर्षा का अनुग्रह न हो तब पृथ्वी के गर्भ से पानी निकालो। हम, कृषक, पृथ्वी के गर्भ से पानी निकालने के लिये तैयार है केवल हमें विद्युत की आवश्यकता है।

†**श्री शिवशंकरन** (श्री पेरुमबुदूर) : हमारा देश मुख्यतया कृषि पर निर्भर है। पंचवर्षीय योजनायें भी कृषि-क्षेत्र के उत्पादन पर आधारित थीं। हम ने इस क्षेत्र में लगभग १००० करोड़ रुपये व्यय किये है। प्रथम और द्वितीय योजना काल में सिंचित क्षेत्र में ३.७ करोड़ एकड़ की वृद्धि हुई है। कृषि-उत्पाद में केवल २.५ करोड़ टन की वृद्धि हुई है। हम ने उर्वरकों और अच्छे बीजों का अधिक उपयोग किया है। सघन कृषि पद्धति और कृषि की जापानी पद्धति भी अपनाई है। इसलिये उत्पादन में अधिक वृद्धि होनी चाहिये थी। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा।

परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और महाकाय बांध बनाये जा रहे है। जहां इतने वृहद्काय कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे है वहां खेद का विषय है कि सरकार ने सिंचाई के लघु साधनों—तालाबों, झीलों, कुओं और छोटी नहरों की ओर ध्यान नहीं दिया है। कुओं और तालाबों के तल में मिट्टी जम रही है और जिन स्थानों पर यही सिंचाई के एकमात्र साधन हैं लोगों को कृषि का सामान्य कार्य चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि सिंचाई के इन लघु साधनों के सुधार की ओर भी ध्यान दिया जाये।

१९६२—६३ की समाप्ति पर सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचित क्षेत्र में ४० लाख एकड़ का अन्तर रहने की संभावना है। इसका कारण खेतों में नालियों का अभाव आदि बताया गया है। बड़े-बड़े बांध बनाने के साथ ही हमें इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

कावेरी पर सुव्यवस्थित नियंत्रण पद्धति होने के पश्चात् भी कभी कभी लिची और तंजोर जिलों में बाढ़ से विनाश हो जाता है। हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार ने एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया है। मेट्टूर बांध की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिये और होजेनेक्कल में एक और बांध बना दिया जाना चाहिये। यह कर्नाटक और तामिलनाद दोनो के लिये लाभकारी सिद्ध होगा। दक्षिण में, विशेषत: तामिलनाद में विद्युत् संसाधन सीमित हैं। कोयले की कमी के कारण तापीय केन्द्रों का लाभ भी सीमित ही है। विद्युत् की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र उपाय

†मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

अणु शक्ति ही रह गया है। कलपक्कम में अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुहा** : विकास के लिये हर एक विषय महत्वपूर्ण हैं; किन्तु फिर भी कुछ विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है; जैसे—सिचाई, विद्युत्, परिवहन और कोयला। यह मूलभूत आवश्यकतायें हैं जिनके बिना विकास का सारा कार्य अवरुद्ध हो जायेगा। खेद का विषय है कि द्वितीय योजना में इन चारों विषयों में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

इस समय हम केवल सिचाई और विद्युत् के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय योजना में सिचाई का आरम्भिक लक्ष्य १·२ करोड़ एकड़ का था, जिसको संशोधित करके १.०४ करोड़ एकड़ कर दिया गया। किन्तु वास्तव में हम ६९ लाख एकड़ की सिचाई क्षमता का ही निर्माण कर पाये हैं। इस कमी से खाद्य के उत्पादन में भी कमी हुई है। इस सिचाई क्षमता में से भी वास्तविक उपयोग ७२ प्रतिशत का ही हुआ है। सरकार को ऐसे उपाय अपनाने चाहिये जिससे सम्पूर्ण सिचाई क्षमता का उपयोग किया जा सके।

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर–उत्तर) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। इस संसद में सब सदस्यों को समान अधिकार हैं; किन्तु कुछ को बार-बार बोलने का अवसर दिया जाता है और कुछ को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं इसका विरोध करता हूं और सभा–त्याग करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : यह अनुचित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। वह अध्यक्ष-पद पर दोषारोप कर रहे हैं। मुझे सब राज्यों और सब दलों के सदस्यों को समय देना पड़ता है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : एक माननीय सदस्य इस सत्र में १० बार बोल चुके हैं।

†**श्री अ० चं० गुहा** : मैं भी ४ घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था।

†**श्री रा० गि० दुबे** : आप भेदभाव करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यथासंभव न्यायसंगत होने का प्रयास करता हूं.... (**अन्तर्बाधायें**)

इस समय श्री रा० गि० दुबे ने सभा-त्याग किया।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिव सागर) : आसाम के सदस्यों में से भी किसी ने भाषण नहीं दिया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक राज्य और प्रत्येक दल को अवसर दे रहा हूं।

†**श्री अ० चं० गुहा** : दामोदर घाटी निगम का मूल लक्ष्य १० लाख एकड़ की सिचाई करना था। रबी के लिये भी ३ लाख एकड़ भूमि की सिचाई का लक्ष्य था। किन्तु अभी खरीफ की ६ लाख एकड़ और रबी की २१,००० एकड़ भूमि की ही सिचाई हो पाती है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

इस वर्ष का प्रतिवेदन पिछले वर्ष के प्रतिवेदन की तुलना में अत्यन्त छोटा है। आपातकाल और मितव्ययिता का नाम लेकर सभा को पूर्ण जानकारी नहीं दी गयी है। हमें पूरी बातें बताई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुहा]

जानी चाहियें। सिंध जल संधि के विषय में क्या हो रहा है? हमने तीसरी किश्त दे दी है। १४ वर्ष की अवधि दी गई है, किन्तु यह निश्चित नहीं है कि इस काल के पश्चात् भी हम सिंध-जल का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान के कर्णफूली बांध से त्रिपुरा का कुछ भाग जल-मग्न हो जायेगा। क्या इसको रोकने अथवा आवश्यक प्रतिकर के विषय में पाकिस्तान सरकार से कोई वार्ता की गई है?

द्वितीय योजना में विद्युत् पर अधिक जोर नहीं दिया गया। मुझे आशा है कि अब यह गलती नहीं की जायेगी। विद्युत् के संबंध में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। गणना के अनुसार १९६६ तक विद्युत् की मांग इसके उत्पादन से अधिक हो जायेगी। प्राक्कलन समिति के अनुसार सब से अधिक कमी बिहार-पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में होगी। मैं नहीं समझता कि फिर इस क्षेत्र में उत्पादन का कार्य किस प्रकार संचालित होगा। बंगाल में जल विद्युत् की भी सभावना नहीं है। बिहार की भी लगभग यही स्थिति है। तृतीय योजना में बंगाल में एक ही तापीय बिजलीघर का उपबन्ध है और उसके विषय में भी अधिक प्रगति नहीं हुई है।

उत्तर-बंगाल में तापीय बिजली घर के निर्माण का प्रस्ताव यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया था कि उस प्रदेश को बेरुनी तापीय बिजली घर से विद्युत् उपलब्ध करवाई जायेगी। किन्तु अब कहा जाता है कि वहां से उत्तर बंगाल को विद्युत् नहीं दी जा सकती। इस स्थिति में वहां के उद्योग किस प्रकार कार्य कर सकेंगे?

फरक्का बांध का कार्य नहीं रोका जाना चाहिये। वह कलकत्ता पत्तन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अन्त में मैं दामोदर घाटी निगम के संबंध में कुछ कहूंगा। श्री गाडगिल ने १५ वर्ष पूर्व कहा था कि इससे बिहार और बंगाल के राज्य ही समृद्ध नहीं होंगे अपितु सारा देश समृद्ध हो जायेगा। किन्तु हमारी इन सब आशाओं पर तुषारापात हुआ है। लोक लेखा समिति के पांचवें प्रतिवेदन में दामोदर घाटी निगम की निन्दा की गई है। मेरा सुझाव है कि निगम को समाप्त कर दिया जावे और उसका कार्य विभिन्न संबंधित राज्यों को दे दिया जाये अथवा केन्द्र अपने हाथ में ले ले। राज्यों में परस्पर किसी भी विषय पर समझौता नहीं हो पाया है और यह विषय विवाचक के सुपुर्द कर दिया गया है। मुझे आशा है कि इस विषय में शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर देश का विकास निर्भर है। इस मांग और उस के कार्यान्वियन पर राष्ट्र का जीवन निर्भर है। इन कामों के बुरे कार्यान्वियन के कारण ही वह सब कुछ होता है जो हम महसूस करते हैं और सुनते रहे हैं।

भाखड़ा डैम को ही लीजिये। यह किस क्षेत्र के लिये था और किस क्षेत्र को बिजली और पानी इत्यादि दिया जाता है।

गुड़गांव जिले के लिये कई योजनायें बनाई गईं, परन्तु किसी का भी कार्यान्वियन नहीं हुआ। एक दूसरे के बाद सभी योजनायें छोड़ दी गईं। इस कारण जो कार्यान्वियन करने वाले इंजीनियर हैं उनकी इच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश इस समय आपात काल में से गुजर रहा है। हम अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या प्रगति कर रहे हैं? प्रत्येक संसाधन सब से अच्छी प्रकार प्रयोग में लाये जाने चाहियें।

आप समिति नियुक्त करके इस तथ्य को जान लीजिये कि भाखड़ा से पैदा होने वाली बिजली का ७० प्रतिशत विलास प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी किसान को कृषि संबंधी कामों के लिये बिजली की आवश्यकता पड़े तो उसे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाता है।

यदि आपातकाल में बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। छोटी नदियों पर बांध लगा कर उनसे लाभ उठाया जाना चाहिये। इस प्रकार से भूमि कटाव नहीं होगा और भूमि संरक्षण हो सकेगा। पानी का स्तर बढ़ेगा और बिजली भी पैदा हो सकेगी। परन्तु बड़े इंजीनियरों को ये चीजें उचित नहीं लगतीं।

यदि छोटी नदियों के लिये कुछ राशि मंजूर कर दी जाये, तो इनका जल प्रयोग में लाया जा सकता है।

सिंचाई के लिये कुओं को बिजली दी जानी चाहिये। इस आपात काल में विलास के लिये बिजली का प्रयोग कम कर देना चाहिये। हमें गरीब लोगों की आवश्यकताओं की ओर न ध्यान देने की नीति को नहीं अपनाना चाहिये।

छोटी नदियों पर बांध बनाने के लिये सहायता की जानी चाहिये। विभिन्न विभागों में समन्वय होना चाहिये। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिये नहीं कहना चाहिये। किसानों को राष्ट्रीय आवश्यकता के लिये बिजली और सिंचाई सुविधायें दी जानी चाहियें।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : श्री अ० चं० गुहा ने हमारे मन्त्रालय के छोटे प्रतिवेदन की ओर संकेत किया। हम माननीय सदस्यों को काफी जानकारी देना चाहते थे। आप जानते हैं कि क्यों प्रतिवेदन छोटा रहा है। अगले वर्ष हम पूरा प्रतिवेदन देंगे।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन जो समय पर आ गया है उसमें काफी जानकारी और सुझाव हैं। हम सभी सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बिजली देश की आर्थिक कार्यवाही और खुशहाली की द्योतक है। बिजली के बारे में प्रगति उतनी तीव्र नहीं हुई है जितना कि हम चाहते थे। एक माननीय सदस्य ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि दुर्भाग्यवश बिजली को द्वितीय योजना में प्रमुख स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद के परिणामों पर हम काबू नहीं पा सके हैं। जब हम जानते हैं कि बिजली एक बुनियादी चीज़ है और जब हम जानते हैं कि उसे काफी महत्व दिया गया है, तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कोशिश करनी चाहिए कि भारत दुनिया में बिजली के क्षेत्र में काफी महत्व प्राप्त कर ले। भारत में बिजली का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तृतीय योजना के पहले दो वर्षों में हमने लगभग १२ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ाई है। शेष वर्षों में हमने ६८ लाख किलोवाट की क्षमता बढ़ानी है। हमने योजना के पहले दो वर्षों में बहुत कम हासिल किया है। अतः बाकी तीन वर्षों में हमें काफी काम करना है। इस असन्तुलन को ठीक करना है। इसी कारण से विद्युत् की कमी हुई है।

हमें बिजली की कमी को दूर करना है और हमारे पास फालतू बिजली भी चाहिए। आपातकाल में बिजली की आवश्यकता न केवल आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, अपितु देश की

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अलगेशन]

उचित प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए भी इसकी जरूरत है। जो योजनाएं तृतीय योजना में शामिल हैं उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं और अधिक निधियां निर्धारित की गई हैं। किसी परियोजना के फल देने को कई वर्ष लगते हैं। ५ से ७ वर्ष लग सकते हैं। श्री सैलाम परियोजना के बनने में ५ से ७ वर्ष लग जायेंगे चाहे उसे आज ही आरम्भ कर दिया जाए। इसके सम्बन्ध में पहले कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ती है। अतः हम ने कुछ परियोजनाएं चौथी योजना में ली हैं ताकि उन पर अभी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए और उनका लाभ चौथी योजना के पहले दो वर्षों में उठाया जाए। इस योजना के पहले दो वर्षों में ४० लाख किलोवाट उत्पादन होगा। उसके बाद असन्तुलन दूर हो जाएगा। इस के लिए १६० करोड़ रुपए का उपबन्ध मांगा गया है।

हमने भविष्य के लिए अभी से योजनाएं बनानी हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है। उन का अनुमान है कि चौथी योजना में ११५ लाख किलोवाट शक्ति का उत्पादन करना होगा।

हमारे देश में बिजली की शक्ति और शक्ति के सर्वेक्षण के लिए दो समितियां नियुक्त की गई हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

†**श्री दासप्पा** : एक लाख किलोवाट के कुल मूल्य के पैकेज यूनिट्स को क्या हुआ है?

†**श्री अलगेशन** : मन्त्रालय का यह प्रस्ताव है : एक लाख किलोवाट बिजली का केन्द्रीय संग्रह होना चाहिए जिसमें इन पैकेज सन्यन्त्रों का भी स्थान होना चाहिए। इस बात पर लगभग हम सहमत थे और आशा थी कि आवश्यक निधियां अलहदा रखी जाएंगी। हमें विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस समय १२.५ मैगावाट के दो पैकेज सन्यन्त्रों से ही काम चलाना पड़ेगा। हमारे पास २५ मैगावाट होंगे और स्थिति ठीक होने पर हम शेष भी प्राप्त कर लेंगे।

जो समिति नियुक्त की गई है इसे अगले २० वर्ष के लिए देश की बिजली और शक्ति की आवश्यकताओं की सम्पूर्ण स्थिति का पता करने के लिए कहा गया है। इसे शक्ति के संसाधनों और अणु-शक्ति के विकास की जांच करने के लिए कहा गया है। वे देश में विभिन्न विद्यत् पद्धतियों को "राष्ट्रीय ग्रिड" से मिलाने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी विचार करेंगे। अतः समिति को बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। समिति के सदस्यों में देश और विदेश के विद्युत् विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और अन्य प्रशासक हैं। उन्होंने पूरे जोर से काम शुरू कर दिया है और हम उनके प्रतिवेदन की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि बिजली के सम्बन्ध में सारी योजना देश के सामने होगी जो कि हम पूरी कर सकेंगे और जिसका हम अनुसरण करेंगे। इस प्रकार देश का ठीक प्रादेशिक आर्थिक विकास हो सकेगा और हम देश की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अग्रसर होंगे। हम इस काम पर बहुत सन्तुष्ट हैं क्योंकि बिजली और शक्ति का सर्वेक्षण पश्चिमी यूरोप में भी अभी पूरा किया गया है। हमने यह काम शुरू किया है और आशा है कि वे हमारा पूर्णतया पथप्रदर्शन करेंगे।

माननीय सदस्यों ने बिजली की कमी का जिक्र किया। सारे देश के बारे में ऐसा कहना सम्भव नहीं है। कई क्षेत्रों में तो बिजली का सम्भरण ठीक होता है और कई क्षेत्रों में कमी होती है। इन समितियों ने जो पहला वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण किया है उससे पता चलता है कि इस और अगले वर्ष बिजली

†मूल अंग्रेजी में

की स्थिति कठिन ही रहेगी। तीसरी योजना के अन्त में स्थिति इतनी कठिन नहीं होगी। प्राक्कलन समिति ने भी इसका उल्लेख किया है।

इन क्षेत्रों में स्थिति सन्तोषजनक होगी—आन्ध्र प्रदेश, तैलिंगाना ग्रिड सिस्टम, आसाम, दक्षिण बिहार—दामोदर घाटी निगम—बंगाल का निचला क्षेत्र, बंगाल का ऊपर का प्रदेश, उत्तरी बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा—हीराकुड ग्रिड सिस्टम, देहली और उत्तर प्रदेश—रिहाण्ड ग्रिड। महाराष्ट्र—टाटा—केन्द्रीय रेलवे—कोयला ग्रिड सिस्टम, उत्तर प्रदेश—कानपुर ग्रिड सिस्टम और मद्रास में बिजली की स्थिति न कठिन होगी और न आसान। आन्ध्र प्रदेश—तुंगभद्रा और मानकुण्ड ग्रिड, गुजरात, महाराष्ट्र—कापारखेडा—पारास भुसवाल सिस्टम, उड़ीसा—मानकुण्ड ग्रिड सिस्टम, राजस्थान—भाखड़ा-नंगल ग्रिड सिस्टम और उत्तर प्रदेश—गंगा–सारादा ग्रिड सिस्टम।

यह हर्ष की बात है कि भाखड़ा डैम को पूरा कर दिया गया है। यह सारे देश के लिए खुशी और बधाई का मौका है। इस बांध से हम काफी मौसमी बिजली पैदा कर सकते हैं। जब भाखड़ा पद्धति और दिल्ली तापीय पद्धति को मिलाया जाएगा, तो हम भाखड़ा में मौसमी शक्ति का लाभ उठा सकेंगे। जब देहली तापीय पद्धति को पंजाब जल विद्युत पद्धति से जोड़ दिया जाएगा, तो वहां भी शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

देश की विभिन्न बिजली पद्धतियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। ऊटी में जो गोष्ठी हुई थी उसने इस प्रश्न पर खुब अच्छी तरह से चर्चा की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिजली का कार्यक्रम बनाने, पैदा करने और सम्भरण के सम्बन्ध में राज्य के दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। हमें इस मामले को प्रदेश की दृष्टि से देखना है। एक प्रदेश में एक राज्य हो या कई राज्य हों। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने देश को विद्युत् पैदा करने और सम्भरण के काम के लिए सात प्रदेशों में बांटा है। ऊंटी गोष्ठी में जो विशेषज्ञ इंजीनियर इकट्ठे हुए उनकी राय में बिजली के पैदा करने और सम्भरण के लिये प्रादेशिक दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। और प्रादेशिक कार्यक्रम अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ कार्य प्रणाली तैयार की है।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : क्या सरकार साझा 'ग्रिड' बनाने से पूर्व सभी बिजली उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण का विचार रखती है ?

†**श्री अलगेशन** : गैर-सरकारी बिजली की संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। वह तो अलग प्रश्न है। अब भी गैर सरकारी बिजली पद्धतियां एक साझी सम्भरण पद्धति द्वारा जुड़ी हुई हैं।

अतः सबसे पहले राज्य पद्धतियों को मिलाया जाएगा और फिर सभी "प्रादेशिक ग्रिडों" को मिला कर सारे देश के लिए एक "सुपर ग्रिड" बनाया जाएगा। उदाहरणतः दक्षिण प्रदेश में जिसे पश्चिमी घाट प्रदेश कहते हैं और जिसमें केरल, मद्रास, मैसूर और दक्षिण आन्ध्र हैं, अनुमान है कि अधिष्ठापित क्षमता में २६५ एम० डब्ल्यू० की बचत होगी जिसका मतबलब है कि पूंजीगत उद्व्यय में लगभग २३ करोड़ रुपये और आवर्तक व्यय में २.६ करोड़ रुपए की बचत होगी। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में अधिष्ठापित बिजली पैदा करने की क्षमता में २५० एम० डब्ल्यू० की बचत होगी जिसका मतलब है कि पूंजीगत उद्व्यय में २७ करोड़ रुपए की बचत होगी यथार्थ आवर्तक व्यय में ५ करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे स्पष्ट है कि हमें 'ग्रिड' बनाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। पिछले

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

वर्ष के अन्त में दामोदर घाटी निगम जलाशयों में बहुत कम पानी हो गया। सरकार के समय पर उठाए गए कदम से महत्वपूर्ण क्षेत्र बिजली की कठिनाई से बच गया है।

हम सभी नदी घाटी परियोजनाओं के लिए एक अखिल भारतीय प्राधिकार के बारे में सोच रहे हैं। हम इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।

नर्मदा घाटी में दोनों मध्य प्रदेश और गुजरात का हित है। समीपवर्ती राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य का भी हित है। ऐसा अनुमान है कि केवल नर्मदा की विद्युत् क्षमता २० लाख किलोवाट है। देश के विभिन्न प्रदेशों में जल और कोयले पर आधारित काफी विद्युत् क्षमता है जिसका उपयोग करना है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी नदियों की ४० लाख किलोवाट की विद्युत् क्षमता है। गोदावरी प्रदेशों से ६० लाख किलोवाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार तालचेर क्षेत्र की जल विद्युत् और तापीय बिजली की क्षमता बहुत अधिक है। वहां पर काफी कोयला है।

उसी प्रकार चौथी प्रोजना में केवल दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में आया है कि जो 'वाशिरीज' हमने पहले ही स्थापित कर दी हैं और जो स्थापित करनी हैं उनसे २५० से ३०० लाख टन 'मिडलिंग्स' और 'रीजैक्ट्स' प्राप्त होगा। इस 'मिडलिंग्स' के उपयोग के लिए हमें २० से ३० लाख की क्षमता के बड़े तापीय स्टेशन स्थापित करने होंगे।

यमुना घाटी और गंगा घाटी में भी काफी विद्युत् क्षमता है। देश में जो जल विद्युत् और तापीय क्षमता है उसे प्रयोग करना काफी बड़ा काम है।

राज्य विद्युत बोर्ड इस काम को भी कर सकेंगे क्योंकि उन की क्षमता और संसाधन सीमित हैं। अतः बड़े कामों के लिए उन की सहायता की आवश्यकता है। जब तक केन्द्रीय सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तब तक विद्युत क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता।

इस मंत्रालय के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल की स्थिति संतोषजनक है। ३६५ करोड़ रुपये की रकम में से केवल ५३ करोड़ रुपये खर्च किये जाने के लिए बाकी है। उस को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। यथार्थ में हमें अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना के दौरान में भी विद्युत और सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ५३ करोड़ रुपए से बहुत अधिक होगी।

इसके अतिरिक्त देहाती विद्युतीकरण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गत बार भी उसे इसी तरह जोरदार रूप में प्रस्तुत किया गया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग १०००० लाख यूनिट देहाती विद्युतीकरण के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। यह कृषि के लिए है। १३०००० लाख यूनिट देश में पैदा होता है जिसमें से १०००० लाख यूनिट को कृषि के लिए दिया जा रहा है। पंजाब में इस उद्देश्य के लिए १००० लाख यूनिट की व्यवस्था की गयी है।

बिजली के दरों में एकरूपता लाने का प्रश्न सदन में कई बार आ चुका है। हमें कई बार राज्य सरकारों को दर कम करने के लिए कहना पड़ता है। इस मामले में हमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि हम निरन्तर राज्य सरकारों को इस

के लिए अनुरोध करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि कृषि कार्यों के देश भर में बिजली के सम्भरण की दर समान हो। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि किसानों को बिजली उचित दर पर दी जाये। परन्तु इस बारे में सरकार का विचार कोई विधान बनाने का नहीं है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुसार यदि ९ नया पैसा प्रति यूनिट बिजली दी जाय तो यह दर सस्ता होगा। परन्तु कई राज्यों में दर इससे भी कम है। आंध्र प्रदेश में ८ नया पैसा है; मद्रास में ७ नया पैसा है। मैसूर में ५ नया पैसा है। कई राज्यों में दर अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में १.९३ नये पैसे प्रति यूनिट है।

दामोदर घाटी निगम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उससे जो आशायें थीं वे पूरी नहीं हीं पाई। इस निराशा को मैं महसूस करता हूं परन्तु मेरा मत यह है कि उसे बिल्कुल समाप्त कर देना भी भारी भूल होगी। इसने तापीय विद्युत का उत्पादन किया है और केवल जल विद्युत का ही नहीं। ऐसा उस अधिनियम के अन्तर्गत भी किया गया है जिसके अधीन दामोदर घाटी निगम बनाया गया है। पश्चिमी बंगाल और बिहार की राज्य सरकारें दामोदर घाटी निगम के साथ सहयोग कर रही हैं और यह आशा की जाती है कि अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। यह बहुत बड़ा कार्य है जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दामोदर घाटी निगम का कार्य कई कारणों से रुका रहा। राज्य सरकारों से इस बारे में एक मत नहीं हुआ जा सका। परन्तु अब यह प्रसन्नता की बात है कि कृष्ण गोदावरी के जल का विवादग्रस्त प्रश्न गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप सन्तोषजनक ढंग से निपटा दिया गया है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के लिए देश में सभी नदी 'बेसिनों' के बारे में समान प्रतिवेदन तैयार करने का यह उपयुक्त समय है। यह आशा की जाती है कि आयोग द्वारा सभी नदियों के बारे में जल विद्युतकोय आंकड़े एकत्र किये जायेंगे।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुये]

इस के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाटी आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमें सभी प्रकार के जल संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए। यदि जब कभी हम किसी नदी संसाधन का उपभोग करना चाहें तो हमें समूचे प्रदेश की आर्थिक विकास की दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए। केवल एक राज्य का ही दृष्टिकोण हमारे सामने नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अन्तर्राज्य नदियों के लिए नदी बोर्ड स्थापित किये जायें। हमें तुरन्त बोर्डों की स्थापना करके इन नदी विवादों का निपटारा कर देना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि वह कठिन समस्या है और कई वर्षों तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। परन्तु देश के सामूहिक हित को दृष्टि में रखते हुए हमने उसे हल करने की कोशिश की है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हो रही है।

गुलाटी आयोग के सम्बन्ध में सरकार ने प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं किया। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी। इस बारे में सम्बद्ध राज्यों के अधिकारियों और मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया गया। मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन को बुलाया गया, और नये ढंग से इस समस्या को हल करने का यत्न किया गया। ऐसे उच्चस्तरीय इंजीनियरों को भी लिया गया जिन्होंने इस समस्या का काफी

[श्री अलगेशन]

अध्ययन किया था। आंध्र, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों से आये संसद सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति ने इस समस्या का हल ढूंढने में काफी सहायता की है।

हम इस बारे में अच्छा समझौता कराने में सफल हुए हैं। पूरा समझौता न किये जाने के कारण सम्बन्धित पक्षों के राजी होने के लिए इच्छा के अभाव की अपेक्षा परम्परागत कठिनाइयां है। जो कुछ भी किया गया है, वह यह है कि किसी को भी किसी परियोजना पर कार्य करते रहने से रोका नहीं गया है। आंध्र, महाराष्ट्र और मैसूर को वर्ष १९५१ के करार में किये गये उपबन्ध की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त हो गया है। उसको आवंटित पानी का सदुपयोग करने पर सम्बन्धित राज्यों में इस समय आय व्ययक में रखी गयी रकम से काफी अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। सरकार ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि सभी राज्यों के प्रति उचित रवैया अपनाया जाय।

मैंने इन सब बातों पर विचार कर लिया है। मैं अपने इंजीनियरों से कह सकता हूं कि वे इन आंकड़ों को अधिक विस्तार में स्पष्ट करें।

†**श्री दासप्पा** : मैसूर ने हस्ताक्षर नहीं किये।

†**श्री रंगा** : आप ने सत्य के साथ छल किया है। आप ने अपना मुख्य मंत्री बदल दिया है। आप ने इस छल के लिए अपने मंत्री को केन्द्र में लाया है।

श्री प्रिय गुप्त : इसी झगड़े फसाद के खयाल से जेनरेटिंग स्टेशन के नेशनलाइज होने से पहले हम ने कामनग्रिड पर एतराज किया था।

†**श्री अलगेशन** : आंध्र प्रदेश को ६०० टी० एम० सी० मिलना था, अब ९०० टी० एम० सी० मिला है। अतः अब इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अब हम इससे वित्तीय पहलुओं को देखना होगा कि महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश के बीच बांटे जाने वाले पानियों का प्रयोग कैसे होगा।

हिसाब लगाया गया है कि एक टी० एम० सी० पानी को प्रयोग करने का खर्च ६० लाख रुपये होगा। महाराष्ट्र को कृष्णा का २४० और गोदावरी का ३४० टी० एम० सी० पानी शेष १३ वर्षों में पांचवीं योजना के अन्त तक प्रयोग करना पड़ेगा। इस का अर्थ हैं ३४८ करोड़ रुपये का व्यय, वार्षिक औसत २७ करोड़ रुपये होगी। महाराष्ट्र ने १९६३–६४ के बजट में १३.३८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यानी इस को अपना व्यय दुगना करना पड़ेगा। इसी तरह कृष्णा के ४२५ और गोदावरी के ३० टी० एम० सी० पानी का प्रयोग करने से कुल २१८ करोड़ रुपये का व्यय करना पड़ेगा। वार्षिक औसत १७ करोड़ रुपये होगी आय व्ययक में उसके लिये केवल ६.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसलिए मैसूर को व्यय तिगना करना पड़ेगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश को भी कृष्णा के पानी के लिए अपना व्यय १९६३–६४ में दुगना करना पड़ेगा।

हम ने विभिन्न राज्यों के साथ न्याय किया है। प्रादेशिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए भी, हमने प्रत्येक राज्य के हितों को ध्यान में रखा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने जो तथ्य और आंकड़े दिये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन को ध्यान में रखना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये, यद्यपि ये सदा ठीक नहीं होते और परस्पर विरोधी भी होते हैं। उन के तर्कों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इन सब बातों के अतिरिक्त, निर्णय करते समय राज्यों के लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और भावनाओं की अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये और हम ने ऐसा ही प्रयत्न किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अब राज्यों में सरकार के और जनमत के नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। भावनाएं उत्तेजित कर दी गई हैं। अब समय आगया है जबकि मस्तक को शान्त रखा जाये और अधिक रचनात्मक विचार धारा अपनाई जाये। हमारे संसाधन सीमित है और आवश्यकताए बहुत है। झगड़ों में समय और शक्ति गंवाने का समय नहीं है। हमें वर्तमान काल की चिन्ता करनी चाहिये और भविष्य अपनी देखभाल स्वयं करेगा।

श्री यशपाल सिंह (केराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे काफी देर हो गई है सुनते सुनते, और जो कुछ सुना है उसी के मुताल्लिक में आप के सामने थोड़े से फैक्ट्स रक्खूंगा।

सब से पहले में इरिगेशन मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। इस के साथ ही साथ मैं अपने माननीय हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम सहाब को इस लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ काम किया है। उन की मुस्तकिल मिज़ाजी क़ाबिले तारीफ है। मुझे लखनऊ असेम्बली में भी उन के साथ बहस करने का मौका मिलता था और यहाँ भी मिलता है। मैं साफ लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त इंजीनियरों का क़सूर निकाला जाता है, वह उन का क़सूर नहीं है। इंजीनियर्स ने जी जान से काम किया है, रात दिन काम किया है। जहाँ खामी है सरकार के कसूर की वजह से खामी है। सरकार एक्टिव नहीं रह सकी, सरकार ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया इसलिये हम लूज़ कर रहे हैं और हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है। इंजीनियरों का इस में कोई कसूर नहीं है। इस खामी की वजह तो यह है कि सरकार डिसीशन नहीं ले सकी। इसमें इंजीनियरों का कोई कसूर नहीं है। इंजीनियर न होते तो हम दिल्ली शहर को इस तरह का न देख पाते, इंजीनियर न होते तो हमारा संगीत सूख जाता, इंजीनियर न होते तो हमारी सिविलाइज़ेशन पीछे रह जाती और हमारा शिल्प खंडहर हो जाता। तो इस खामी के लिये जो कुसूर है वह सरकार का है। सरकार एक्टिव नहीं रह सकी। इंजीनियरों ने तो जी जान से काम किया, दिन रात काम किया, उनका कोई कुसूर नहीं है। अगर सरकार चाहती तो दरिया पैदा हो सकते थे, पानी पदा हो सकता था। लेकिन हमने अपनी आँख से देखा है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं हरिद्वार में तीन साल पहले है ही इलेक्ट्रिकलस के लिए जगह एक्वायर की गयी। हज़ारों किसानों को घर से बेघर किया गया। जिस वक्त ज़मीन ली गई उस वक्त हजारों किसानों को अपने खेतों से बेदखल किया गया। तीन साल में उस जमीन में एक ईंट भी नहीं लगी न कोई और काम हुआ, वह जमीन बेकार पड़ी है। अगर उस जमीन पर किसानों को खेती करने दी जाती या सरकार खुद उस पर खेती करती तो उसमें चालीस लाख की पैदावार हो सकती थी। एक छोटे से हिस्से में चालीस लाख का नुकसान हो गया क्योंकि तीन साल में सरकार डिसीजन ही नहीं ले सकी कि किस तरह से काम को स्टार्ट किया जाए। तीन साल से वह जमीन बेकार पड़ी है, न किसानों के काम में आती है और न सरकार के काम अभी तक आयी है। यह दस स्क्वायर माइल जमीन तीन साल से बेकार पड़ी है। सरकार कोई डीसीजन नहीं ले सकी, इसलिए हम लूज़ कर रहे हैं।

ऐसा नहीं था कि हम इन्तजाम नहीं कर सकते थे। पर इन्तजाम करना नहीं चाहा। आज जो हमारी डिफीकल्टीज हैं वे गाड गिविन नहीं है, मैन मेड हैं, इन्होंने इनको खुद क्रिएट किया है,

[श्री यशपाल सिंह]

खुद की पैदा की हुई है। मैं यह नहीं मानता कि हमारे यहाँ जो ४४ करोड़ इन्सान हैं ये बुद्धू पैदा हुए हैं। उन्होंने कोशिश नहीं की। ये पार्टी पालिटिक्स में फंसे रहे। इन्होंने यह नहीं सोचा कि इर्रीगेशन का मुहकमा और पावर का मुहकमा कितना जबरदस्त है और इस में सब पार्टियों के सहयोग की जरूरत है। जब तक इसको कांग्रेस के कंट्रोल स हटाकर राष्ट्रपति के आधीन नहीं किया जाएगा जब तक हमारा देश बिलकुल तरक्की नहीं कर सकता।

३७० मिलियन एकड़ जमीन में भारतवर्ष में खेती होती है। इसमें से ३२० मिलियन एकड़ जमीन में सिंगल काश्त होती है, केवल ५० मिलियन एकड़ जमीन में डबल काश्त होती है। ९०मिलियन एकड़ जमीन के लिये पानी का प्रबंध है। प्लानिंग कमीशन का कहना है कि १४० एकड़ जमीन के लिए सिंचाई का इन्तजाम नहीं है। अगर हम प्लानिंग कमीशन की यह बात सही मान लें तो १४० मिलियन एकड़ जमीन के लिए सिंचाई का कोइ इन्तजाम नहीं है। हम इसके लिए अब तक पानी का इन्तिजाम नहीं कर सके, आगे क्या करेंगे।

भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना चल रहा है, हैदराबाद में भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना चल रहा है। हरिद्वारा के लिए कहते हैं कि वहाँ भी चलेगा। लेकिन अब तक हमें सालाना ३६ करोड़ रुपये का हैवी इलेक्ट्रिकल्स का सामान बाहर से मंगाना पड़ता है और हमें बतलाया जाता है कि सोशलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिज्म। क्या सोशलिज्म इस तरह से चलेगा कि एक घर में तो कहीं चिराग तक नहीं है और दूसरे के घर में पाँच सौ रूपये माहवार की बिजली खर्च होती है। क्या इस तरह से सोशलिज्म चलेगा। हरगिज नहीं चल सकता। इटली की कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर ने कहा है कि अगर पावर का नेशनलाइज़ेशन कर दिया जाएगा तो इटली का देश भूखा मर जाएगा। जो वहाँ की कम्यूनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है उसने यह कहा है। और इस देश में हम को समाजवाद का भुलावा देकर, कोआपरेटिव का भुलावा देकर पीछे डाला जा रहा है।

क्या कारण है कि अभी तक बाढ़ों को नहीं रोका जा सका। हम ने शुरू में कहा था, मैं आज से दस साल पहले से आवाज उठाता आ रहा हूं कि जमीन की मुसलसिल टिलिंग होनी चाहिए। अगर टिलिंग होती रहती तो हरगिज बाढ़ें नहीं आती। लेकिन उसका इन्तजाम नहीं हो सका। करोड़ों की तादाद में दरख्त कटवा डाले गये। अगर ऐसा न किया जाता तो पानी रिस रिस कर मैदान में जाता और बाढ़ें हरगिज न आसकती। पेड़ काट डालने से पानी धारा प्रवाह और मैदानों में आने लगा और बाढ़ आ गयी जिनसे ९० करोड़ का नुक्सान उठाना पड़ा। इन चीजों को रोका जा सकता था लेकिन हमने कोशिश नहीं की। आज किसान को जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको सरकार को वगैर कुछ खरीदे हुये पैसा देना पड़ रहा है। हर मारकेट का यह कायदा है कि कुछ खरीदने पर पैसा देना पड़ता है, लेकिन इस सरकार की मारकेट ऐसी है कि जिसमें परचेज किये वगैर पैसा देना पड़ता है। हम हर साल देखते हैं कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलें मारी जाती हैं। उनमें पानी ज्यादा आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, दरियाओं में तुगयानी आ जाती है और फसल मारी जाती है, लेकिन किसान से सरकार पूरी आपाशी वसूल कर लेती है, इर्रीगेशन का टैक्स वसूल कर लेती है। तो यह सरकार की ही मारकेट ऐसी हैं जिसमें किसान को वगैर कुछ परचेज किये हुए पैसा देना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी अक्ल से काम लिया जाता तो किसान को ये दिक्कत न होतीं। यह बात नही है कि हम इन्तिजाम नहीं कर सकते थे हमारे यहाँ के लोग काठ के उल्लू हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान के यहाँ दो साँचे हैं, जो आदमी वह जरमनी में पैदा करता है वे अक्लमंद और बहादुर होते हैं और जो हमारे यहाँ पैदा करता है वे बेवकूफ और काठ के उल्लू होते हैं। ऐसी कोइ बात नहीं है। इन्होंने चाहा नहीं कि दूसरी पार्टियों का भी सहयोग लें, दूसरे

जीनियस और दूसरी प्रतिभायें भी इस काम में आएं । यही वजह है कि यह देश सफर कर रहा है और पीछे पड़ता चला जा रहा है ।

"उभरने ही नहीं देती इन्हें बेमायगी दिल की,
बगरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता ।"

इन्होंने चाहा नहीं, अगर चाहते तो हो जाता ।

आज समाजवाद की बात कही जाती है, हमारे देश की साढ़े २७ परसेंट बिजली अमीरों की दिल्लगी के लिए खर्च हो जाती है । अगर यह साढ़े २७ परसेंट पावर नाचने, गाने, सिनेमा और गुलकारियों पर खर्च न की जा कर किसानों की काश्त में लगायी जाती तो आज हमारा देश मालामाल हो गया होता, हम हिमालय पहाड़ जैसे बड़े बड़े ढेर गेहूं के पैदा कर लेते । लेकिन उस पावर को किसान के पास नहीं जाने दिया गया, वह अमीरों की दिल्लगी पर खर्च हो गई । एक एक वजीर के घर के लिए सवा पाँच सौ का बिजली का बिल महीने में आता है और दूसरी तरफ हमें ट्यूब बेल चलाने के लिए, खेती के कामों के लिए बिजली नहीं मिलती । हमारे हजारों ट्यूब बेल बेकार पड़े हैं क्योंकि उनके लिए बिजली नहीं मिलती ।

"उस तरफ ताबानियों में खन्दाजन रौशन चिराग़,
इस तरफ तारीकियों में जल रहे हैं दिल के दाग़ ।

उस तरफ तकदीर झुक कर हाजिरे दरबार है,
इस तरफ तकदीर क्या तदबीर भी लाचार है ॥"

हमारे देश में दस हजार ट्यूब बेल इस लिए बेकार पड़े हैं कि उनको पावर नहीं दी जा सकती उनके लिए बिजली का इन्तिजाम नहीं हो सकता और साढ़े २७ फीसदी पावर इसलिए खर्च की जाती है कि उससे अमीरों की दिल्लगी हो । यह इन्तिजाम आप करते हैं । आपको खेती के लिए बिजली का इन्तिजाम करना पड़ेगा ।

आपको एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायरिटी देनी पड़ेगी । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसे भी ज्यादा और नुक्सान होगा । अगर हम बिजली को किसी दूसरी जगह ले जायेंगे तो इससे हम कभी भी अपने मुल्क को मालामाल नहीं कर सकते । इस लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि काश्तकार के लिये बिजली का इन्तिजाम किया जाए । रिहन्द डेम की बिजली में से सिर्फ ६ पर सेंट खेती के लिये दी जाती है और कहा जाता है कि यह कृषि प्रधान देश है, कहा जाता है कि यहाँ खेती की बड़ी तरक्की हो रही है । लेकिन खेती के लिए सिर्फ ६ परसेंट बिजली दी जाती है, और बाकी चली जाती है और कामों के लिए । मैं जब अपने गेहूं को और गन्ने को सींचता हूं तो मैं एक यूनिट पावर के लिए १९ नए पैसे देता हूं, काश्तकार जब अपने ट्यूबबेल से पानी देता है तो उसको एक युनिट पावर के लिए १९ नए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो आप रिहन्द डेम की बिजली इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं तो वह आपको उस पावर की एक यूनिट का तीन नया पैसा देता है । यह अवस्था है । और फिर कहा रहा है कि हम खेती की तरक्की कर रहे हैं और देश में खती की तरक्की हो रही है । आपको जो थोड़े से फेवड फूयु हैं वहीं तरक्की कर रहे हैं । न पतरौल तरक्की कर रहा है, न टंडल तरक्की कर रहा है, न चौकीदार तरक्की कर रहा है, आपके जो फेवर्ड फूय, जो मुट्ठीभर लोग हैं, वे तरक्की कर रहे हैं ।

आज भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर कुछ करना है तो खेती करने वाले के वास्ते कीजिएगा । खेती की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी ।

[श्री यशपाल सिंह]

आज जब हम कहते हैं कि आपने डिफेंस की तरक्की क्यों नहीं कि तो कहा जाता है कि हम माली हालत की तरक्की कर रहे थे, हम तो डेवेलपमेंट कर रहे थे, और जब डेवेलपमेंट के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हम डिफेंस में लगे हुए हैं। तो इस चीज को छोड़िये और इस तरफ देखिए कि किसानों के लिए पावर का इंतजाम किया जाए ताकि देश में खाद्यान्न की पैदावर बढ़ायी जा सके।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अपने भाषण में आसाम का बिलकुल उल्लेख ही नहीं किया, जैसा कि आसाम में कोई समस्या ही न हो।

हमें खेद है कि पाकिस्तान ने भारत को बताये बिना कर्णफूली बांध शुरू कर दिया है, जिस से पाकिस्तान को १००,००० किलोवाट बिजली मिलेगी किन्तु जिस से बहुत सा भारतीय क्षेत्र पानी में डूब जायेगा। भारत ने ३१–३–६२ को इस के विरुद्ध विरोध भी प्रकट किया था किन्तु हमें मालूम नहीं हुआ कि उस के बाद क्या हुआ। माननीय मंत्री को बताना चाहिये।

यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में फ़नी नदी के साथ साथ १४० मील की लम्बाई तक पर्वत प्रक्षेप बना रहा है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं।

फराक्का बांध के बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसे सड़क व रेल के साथ जल्दी बना दिया जाये, तो उत्तर भारत के क्षेत्र का रेल द्वारा कलकत्ता के साथ निकट सम्पर्क कायम हो जायेगा। मैं जानना चाहूगा कि क्या पाकिस्तान की ओर से इस का कुछ विरोध किया गया है, जिस के कारण इस में विलम्ब हो रहा है।

बिजली का उत्पादन लक्ष्य से १३ लाख किलोवाट कम हुआ है, मुख्य कारण यह बताया जाता है कि विदेशी मुद्रा की कमी है। हमें बताया जाये कि क्या इन परियोजनाओं के लिए अब विदेशी मुद्रा मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय हमारे राज्य से कुछ पानी ले कर पश्चिम भारत को दे सकता है।

आसाम के बारे में, मैं कहूंगा कि यह आवश्यक है कि आसाम की विकास क्षमता का पूरा विकास किया जाये। ऐसा करने से देश की प्रतिरक्षा भी मज़बूत होगी। राज्य में विद्युत् का उत्पादन बहुत ही कम है। इस कारण सारी प्रगति रुक गई है और उद्योगों को हानि पहुंची है। राज्य सरकार ने तीसरी योजना में अपनी परियोजनाओं के लिए ४२ करोड़ रुपये की मांग की थी, किन्तु योजना आयोग ने इसे घटा कर २७$\frac{१}{२}$ करोड़ रुपये कर दिया है। चूंकि राज्य पर अधिक उत्तरदायित्व डाला गया है, इसलिए यह रकम बहाल कर देनी चाहिए।

इस के बाद आसाम में बाढ़ की समस्या है, जोकि बहुत गम्भीर है। ७० इंच से ५०० इंच की वर्षा के अलावा ब्रह्मपुत्र के पानी से भी बाढ़ आती है। १९५० से भूकम्प के बाद, नदी का तल ऊंचा होने के कारण, तटो पर बाढ़ आ जाती है। गत वर्ष, अर्थात् १९६२ में दो बाढ़ों के कारण २३ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यदि बाढ़ों को न रोका जाये, कोई विकास कार्य नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५१ के बाद से आसाम में विकास कार्यों के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक वृहत्तर योजना बनाई जाये, जिस में ब्रह्मपुत्र और इस की सहायक नदियां शामिल हों। ब्रह्मपुत्र नदी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दामोदर घाटी निगम जैसा निकाय बनाया जाये।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच घंटे की तपस्या के बाद आप ने मुझे बोलने का जो समय दिया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : इस तपस्या में सभी माननीय सदस्य साथ हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आज-कल की बढ़ती हुई पापुलेशन को देखते हुए पानी और बिजली की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, हमारे राजस्थान में, जहां पर एक ऐसा एरिया है, जिस को रेगस्तान कहते हैं, दूध तो मिल सकता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। वह एरिया ऐसा है कि अगर कहीं मिनिस्टर साहब गर्मी के दिनों में सवेरे घर से निकलें और शाम को वापस घर आयें, तो वह पहचान में नहीं आ सकते। वहां पर इतनी धूल उड़ती है कि वह पैदल चलें या रेलगाड़ी या ऊंटगाड़ी में बैठ कर चलें—रेगस्तान में ज्यादातर ऊंटगाड़ी चलती है—लेकिन वह पहचान में नहीं आ सकते। इसलिए वहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है।

अब मैं अपने एरिया, कोटा राजस्थान, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। करोड़ों रुपये गवर्नमेंट ने बांध बनाने में लगा दिया। ठीक है, बांध भी बन गए, लेकिन उस के पहले क्या हुआ कि किसानों की उन्नति तो पता नहीं कब होगी, उन के घरों में न मालूम पैसा कब आयेगा, लेकिन उस सब से पहले सरवे करने वालों और कांग्रेसी नेताओं, जोकि मिनिस्टरों से मिले हुए होते हैं, के घर हरे-भरे हो गए। किसानों के घर तो हरे-भरे नहीं हुए, लेकिन उन लोगों के ज़रूर हो गए हैं। सरवे करने वाले किसी के खेत में गए और खूंटियां और झंडियां लगा दीं और कहा कि इस खेत में से हो कर नहर निकलेगी। उस खेत का किसान बेचारा नहीं जानता कि कितनी ज़मीन जायगी, कितनी नहीं जायगी। वह फ़ौरन नेता जी से मिला कि मेरे खेत को तो ज़रूर टलवा दो। इस तरह साल भर तो उन्हों ने खूब किसानों से कमाया खाया और मस्त रहे। उस के बाद जब नहर बनने लगी, तो आज कल जितनी भी डिस्ट्रिब्यूटरी खुल रही हैं, वे शहर से कम से कम बीस, तीस, चालीस मील दूर तक पहुंच गई हैं। एसिस्टेंट इंजीनियर्ज़ और इंजीनियर्ज़ के पास जीप होती हैं। चौथ पांचवें दिन वे जीप में बैठ कर पच्चीस तीस मील पर कोटा में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। अगर उन की औरतों को कहीं सनलाइट साबुन या पाउडर न मिले, तो ली जीप और फ़ौरन वे शहर में आती हैं। यह पता नहीं कि वे पैट्रोल को कहां दिखाते हैं। शायद वे माइलोमीटर की ज़ंजीर को काट देते हैं। इस प्रकार जीपों का बहुत दुरुपयोग होता है। ये स्कीम्ज़ करोड़ों रुपयों की हैं। अगर पचास परसेंट भी ईमानदारी से ख़र्च किया जाये इस भ्रष्टाचार को निकालने के बाद, तो डिस्ट्रिब्यूटरीज़ और साइफ़न वग़ैरह अच्छी बन सकती हैं। लेकिन ऐसी ऊलजलूल बातों पर आधा ख़र्च हो जाता है।

कोटा बांध के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बीच नदी में एक क्रासवाल बनाई गई है। पिछले साल वह क्रासवाल ५०० फ़ीट लम्बी थी। सारे फाटक खोलने के बाद भी पानी सीधा शहर के नीचे से आराम से निकल जाता था, लेकिन क्रासवाल बनाने की वजह से वह पानी उस क्रासवाल से टकरा कर सीधा शहर की तरफ़ दौड़ता है और इस तरह पिछले साल लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ। और फिर २०० फ़ीट और उस को आगे बढ़ा दिया गया है। मैं ने श्री हरीसिंह से, जोकि

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, कहा कि "आप आसवाल बना रहे हैं, इस को बन्द कीजिए। पानी इस से टकरा कर सीधे शहर को दौड़ता है। पहले पानी फाटक खोलने से सीधा जाता था"। उन्हों ने कहा कि अभी २०० फ़ीट की और मन्जूरी है, २०० फ़ीट और बढ़ाई जायेगी। और २०० फ़ीट और उन्हों ने बढ़ा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस साल पानी जो आया, वह शहर के आगे तक चला गया। अगर ऐसा ही होता रहा, तो कोटा शहर किसी दिन तरबतर नज़र आयेगा।

एक बार मिनिस्टर आफ़ स्टेट साहब वहां पहुंचे। वह गांधीसागर डैम से सीधे आए और कोटा रैस्ट हाउस में ठहरे। जनसंघ का प्रतिनिधि-मंडल उन से मिलना चाहता था और मैं उन के साथ था। हम उन के पास एक दरख्वास्त ले कर गए, लेकिन श्रीमान् मिनिस्टर साहब के साथ इंजीनियरों की बरात की बरात थी, जोकि सीधे गांधीसागर डैम से आई थी। उन के मारे मिनिस्टर साहब को हम से बात करने तक की फ़ुरसत न मिली। बेशक उन्हों ने हम से दो मिनट बात की और हम ने अपनी दरख्वास्त दी। उन्हों ने कहा कि हम विचार करेंगे। आज साल भर होने को आया, लेकिन अभी तक उस पर विचार-विमर्श हो रहा है। मेरी समझ में अगर वह आसवाल न बना कर उतनी ही कीमत में कोटा शहर के पास एक रिटेनिंग वाल बनाई जाती, तो कोटा शहर का इतना नुक्सान न होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह रिटेनिंग वाल न बनाई गई, तो किसी दिन पानी कोटा शहर में घंटाघर से हो कर सीधे शहर में होते हुए नयेपुरे में निकलेगा और सारा शहर ख़त्म हो जायेगा। इस लिए वहां रिटेनिंग वाल बनाना बहुत ज़रूरी है।

हमारी तरफ़ हाड़ोती का एरिया है और हमारे यहां काली मिट्टी है। काली मिट्टी में पानी दरारों में से हो कर आगे तक निकलता है। जितनी भी नहरें खोदी गई हैं, उन के पास पास जितने भी गांव हैं, मैं ने श्री हरीसिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, को दिखाया है कि उन गांवों में अभी तक भी पानी भरा हुआ है। लीकेज और सीपेज की वजह से वहां पर अभी तक सीलन और पानी रहता है। उसी सीलन में उन लोगों ने सर्दी के दिन गुज़ारे। मैं ने उन से कहा कि गर्मी के दिन तो उन लोगों ने जैसे तैसे निकाले हैं, सर्दी में वे बेचारे कैसे रहेंगे, उन्हों ने कहा कि हम ने ऊपर लिख दिया है। पता नहीं कि ऊपर कब फ़ैसला होगा।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि पानी इतने ऊंचे लेवल पर आ चुका है कि किसी खेत में तीन फुट खोदने पर भी पानी उसी वक्त निकल आता है। इस वजह से सारी बूंदी रोड पर खेतों और उस सड़क को बहुत नुक्सान पहुंचा है। अगर आप दिल्ली से बम्बई जायें, तो लाखेरी स्टेशन से ले कर कोटा स्टेशन के दो स्टेशन आगे डकनिया स्टेशन तक खेतों में पानी बिल्कुल भरा हुआ नज़र आयेगा। दुनिया तो पानी के लिए तरसती है, लेकिन वहां पर पानी से नक्सान हो रहा है। जिन खेतों में नहरें खोदी गई हैं, उन के मालिकों को अभी तक उन ज़मीनों का पैसा नहीं मिला है, उन को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है।

नहरों की सीपेज से रास्ते तक बन्द हो गए हैं। जो ब्रिज बनाए गए हैं, जो वी० आर० वी० बनाए गए हैं, वे गांवों को देख कर नहीं बनाए गए हैं। गांव एक तरफ रह जाता है और वी० आर० वी० एक तरफ़ रह जाता है। कैनाल पर इंजीनियर लोग निकलने नहीं देते और सीपेज से रास्ते बन्द हो जाते हैं। बेचारे किसानों के गल्ले का बहुत नुक्सान होता है और गल्ला गांव में भरा पड़ा है। इरिगेशन इंजीनियर साहब, काले साहब, ऐसे मद्रासी हैं, जो हिन्दुस्तानी भाषा नहीं समझते। उन

का दौरा लगाना बेकार है। जब वे कहीं जाते हैं, तो अगर डराइवर उन को समझाता है, तो तब वह समझते हैं, वर्ना कुछ भी नहीं समझते हैं।

हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब, सुखाड़िया जी, और इरिगेशन मिनिस्टर साहब बड़ी दुहाई देते हैं कि राजस्थान हरा-भरा हो जायेगा। राजस्थान में कुल १,३२,१५२ लाख एकड़ एरिया है, जिस में से ३२,६५६ लाख एकड़ में खेती होती है। और सिंचाई कितनी होती है ? सिंचाई केवल ४,०६७ लाख एकड़ में होती है। करोड़ों रुपये तो ख़र्च कर दिये गये और उस का परिणाम केवल इतना सा है। आप यह दम भरते हैं कि हम राजस्थान को हरा भरा कर देंगे। मेरे एरिया के अन्दर गेहूं की फसल का क्या हाल है, उस के बारे में मैं आप को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते संक्षेप में ही मैं कह देता हूं। १९५५-५६ में वह ८४५ पाउंड हुआ था। १९५६-५७ में वह ८८० पाउंड हुआ। १९५७-५८ में ७०२ पाउंड ही रह गया। १९५८-५९ में ७९० पाउंड, १९५९-६० में ७६२ पाउंड, १९६०-६१ में ८८४ पाउंड और १९६१-६२ में ८७४ पाउंड हुआ है। यह जो कुछ हुआ है और हम ने करोड़ रुपया लगा दिया है यहां इरिगेशन फैसिलिटीज़ देने पर और इस का जयजयकार किया जाता है।

एक शब्द मैं बिजली के सम्बन्ध में कह कर समाप्त कर देता हूं। जो गांधी डैम से बिजली मिल रही है वह बिजली अगर गांवों को दे दी जाये तो ज्यादा फायदा हो सकता है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार राजस्थान कैनाल में हो रहा है आप मानें या न मानें मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि उस की वजह से वह अधूरी ही रह जायेगी अगर आप चाहते हैं कि वह पूरी हो तो आप को इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा और इस ओर तुरन्त ध्यान देना होगा। जो सही पैसा लगना चाहिये, वही आप लगायें और असिस्टेंट इंजीनियरों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उस को आप दूर करें।

श्री राम स्वरूप (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे बिजली तथा सिंचाई विभाग के अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है।

हमारे यहां रिहांद डैम बना है उस के सम्बन्ध में मैं दो चार बातें कहना आवश्यक समझता हूं। यह उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा प्राजैक्ट है और इस से दो लाख पचास हज़ारकिलोवाट बिजली पैदा होने की सम्भावना है। इस बांध के बनने से हमारे मिर्जापुर जिले के जोकि उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है, करीब ४५,००० लोगों को उजड़ना पड़ा है। इन लोगों को बसाने के लिये जो व्यवस्था की गई है, उस से उन लोगों में बड़ा रोष है। उन को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक भी वे अच्छी तरह से नहीं बस पाये हैं। यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की एक कमज़ोरी रही है कि वह उन्हें अच्छीसे तरह बसा नहीं पाई है। उस ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी काफी कुछ करने को पड़ा है। उन को जो मुआवज़ा दिया गया है वह उस मुआवज़े का चौथाई भाग है जोकि मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है। मध्य प्रदेश का एरिया भी इस में डुबा है और उन लोगों को चौगुना मुआवज़ा दिया गया है जबकि मिर्जापुर के किसानों को उसका चौथाई भाग ही दिया गया है। उनको बसाने के लिए जो जगह चुनी गई है वह पहाड़ी और जंगली है और वहां पर वे बेचारे न तो खेती कर सकते हैं और न अच्छी तरह से रह सकते हैं। वहां उन के लिए पीने के पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। इस वास्ते उन की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार

[श्री राम स्वरुप]

को तुरन्त कदम उठाने चाहियें । इसके लिए पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई थी और इसी का यह परिणाम है कि इन ४५,००० लोगों का जीवन दुखमय हो गया है ।

यहां पर जो बिजली पैदा होने वाली है, उसका अधिकतर भाग तो वहां जो एक प्राइवेट एल्यूमीनियम फैक्ट्री है, उस को ही मिल जायेगा । उस को ५५,००० किलोवाट बिजली मिलनी है जिस में कुछ तो मिलनी शुरू हो गई है और बाकी भविष्य में मिल जायेगी । बाकी बिजली में से चालीस हज़ार किलोवाट बिजली हम बिहार सरकार को दे रहे हैं वहां की रेलवे को इलैक्ट्रिफाई करने के लिए । इस तरह से और कई कम्पनियां हैं, जिन को बिजली देनी है । हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कैनाल्ज़ के ज़रिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है । वहां ट्यूबवैल्ज़ की व्यवस्था है । वहां सैकड़ों हज़ारों ट्यूबवैल लगाये जाने की योजना है जिन के लिए बिजली की आवश्यकता होगी और उनकी इस आवश्यकता को भी हमें पूरा करना होगा । इस तरह से जितनी बिजली हमें देनी है, उस को दे देने के बाद रिहांद डैम की बिजली इतनी नहीं रह जाती है जो हम बिहार और मध्य प्रदेश को दे सकें और उतनी मात्रा में दे सकें, जितनी मात्रा में वे क्लेम करते हैं । हमारे पास बिजली बचती नहीं जोकि उन को दी जा सके । उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है । जो उन का कैचमैंट एरिया इस में आया उसका उन्होंने डट कर मुआवज़ा लिया । हमारा जो एरिया डूबा वह बहुत अच्छा उपजाऊ एरिया था, उनका एरिया मध्य प्रदेश का उतना अच्छा नहीं था । उनके थोड़े से गांव थे जो डूबे, हमारे ज्यादा डूबे । जब वह बांध बनता रहा उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया । पहले जबकि वहां रीवा स्टेट थी, उसके साथ वादा था कि हम दस परसेंट बिजली देंगे । लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस को भी माना नहीं था । जब तक बांध बनता रहा तब तक उन लोगों ने कोई क्लेम नहीं किया । जब बांध तैयार हो गया, तब उन की डिमांड भी बढ़ गई और काफी हद तक बढ़ती गई । अब तो वे कहते हैं कि जितनी बिजली पैदा होती है, उसका चौथाई हिस्सा हम को मिलना चाहिये । अगर हम इतनी बिजली दे देते हैं तो हमारा जो करोड़ों रुपया लगा है और सैकड़ों और हज़ारों इंजीनियरों ने काम किया है और जो पैसा उधार ले कर हम ने लगाया है, मेहनत लगाई है और जिस आशा को ले कर हम ने यह सब कुछ किया है, वे सारी हमारी आशायें धरी की धरी रह जायेंगी । हम ने इस आशा में यह सब कुछ किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश को बिजली मिल सकेगी, हमारे यहां के कल-कारखाने चल सकेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वालों को हम रोज़गार दे सकेंगे । इन में से हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे अगर मध्य प्रदेश को देना पड़ा । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके इस मामले को सदा के लिए निपटा दे ।

माताटीला बांध और दूसरे भी बांध बन रहे हैं । उनके सम्बन्ध में भी उनका क्लेम बढ़ता जा रहा है । वे चाहते हैं कि उन में भी उनको हिस्सा मिलना चाहिये, उसका भी निपटारा होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि किसी एक उसूल पर हम को आ जाना चाहिये और यह मामला हमेशा के लिए तय कर दिया जाना चाहिये ताकि आगे चल कर इस तरह का कोई झगड़ा न खड़ा हो सके ।

अब मैं सायल कंज़र्वेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । हमारी केन्द्रीय योजनायें बड़ी बड़ी नदियों के कैचमैंट एरिया से सम्बन्ध रखती है । उन एरियाज़ में जहां आम तौर से भूमि का कटाव होता है, वहां कोई योजना नहीं बनती है । हमारे यहां ऐसा एरिया बुन्देलखंड का है, आगरा डिविज़न है और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जहां कि आम तौर से भूमि का कटाव होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से भी कुछ ऐसे हैं जो कि पहाड़ी हैं जहां आम तौर से भूमि का काटाव होता है । उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और मैं चाहता हूं कि उधर भी उसका ध्यान जाये ।

इरिगेशन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट निकली है । उस को पढ़ कर पता चला है कि व्यास प्रोजैक्ट के सिलसिले में एक डैलीगेशन फारेन कंट्रीज में गया था क्योंकि उसको कुछ सामान खरीदना था । वह डैलीगेशन फ्रांस, यू० एस० ए०, कनाडा और जापान गया । इस तरह से उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया तब कहीं जा कर उस को सामान खरीदने का अवसर मिला । मैं समझता हूं कि इस तरह के जो खर्च हैं, इन को कम किया जा सकता है और सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये ।

हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय पहाड़ से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे राम गंगा है या दूसरी नदियां हैं । इन की वजह से हमारे बहुत से जिले बाढ़ से पीढ़ित हो जाते हैं । इन बाढ़ों की रोकथाम करने के लिए हमारी सरकार कुछ पैसा तो खर्च कर रही है लेकिन इस ओर उसका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिक पैसा खर्च करके, इस समस्या को हल किया जाना चाहिये । इन बाढ़ों की वजह से हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हर वर्ष नष्ट होती है । इस से बचाव का भी कोई उपाय किया जाना चाहिये ।

श्री बालकृष्ण सिंह (चंदौली) : मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है । इस मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए जितनी तपस्या मुझे तथा दूसरे माननीय सदस्यों को करनी पड़ी है, इस से आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस विभाग से पानी लेने में किसानों को कितनी कठिनाई होती होगी ।

इस विभाग का सम्बन्ध एक साधारण किसान से ले कर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक से है । यदि हमें देश का विकास करना है और देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो सिंचाई की सुविधा और बिजली सस्ते दामों पर हमें उपलब्ध करनी होगी । इस में सन्देह नहीं है कि प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है लेकिन इतने ही से हमारी जो समस्यायें हैं उन का समाधान नहीं हो पाया है । मैं एक किसान हूं और मुझे गर्व है अपने को किसान कहने में । मैं उत्तर प्रदेश के उस अंचल का निवासी हूं जिस को एक पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है और जिस के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य श्री विश्राम प्रसाद जी ने भी कहा था उन का निवास स्थान भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है । मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का नाम किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं ले रहा हूं । ऐसे ही क्षेत्र हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी हैं । सब का विकास होना चाहिये क्योंकि सबों की समस्या एक समान है, जैसी की उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की है । यह क्षेत्र हमेशा बाढ़ और सूखा से त्रस्त रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश का नाम तो मैं आप के सामने केवल उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं । इस क्षेत्र की गरीबी अपनी चरम सीमा पर है । जिस तरह से यह क्षेत्र बाढ़ और सूखा से त्रस्त रहता है उसी तरह से दूसरे सूबों की हलत भी है । जो बाढ़ क्षेत्र के निवासी नहीं हैं वे बाढ़ की विभीषिका की कल्पना नहीं कर सकते । बरसात में इन नदियों के उच्छेखल विद्रोह से समूचा क्षेत्र कांप उठता है और एक प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है । बाढ़ आने पर तो अधिकारी भी बड़ सतर्क हो उठते हैं, तकावी वगैरह भी बांटी जाती है, नमक, दियासलाई आदि का वितरण भी होता है, साथ ही नेताओं की दौड़ धूप भी शुरू होती है, लेकिन बाढ़ के निकल जाने पर सभी तमाशा समाप्त हो जाता है । किसान तो बड़ा सन्तोषी होता है, वह अपनी ध्वस्त गृहस्थी को ठीक करने में लग जाता है, और सरकार के पास काम की कमी नहीं ।

अक्सर यह देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वहां पर फसल का नुक्सान तो बाढ़ के समय में ही हो जाता है, लेकिन बाढ़ के निकल जाने के बाद जो बन्धे वगैरह होते हैं वह नष्ट

[श्री बालकृष्ण सिंह]

हो जाते हैं और खेतों के मेंड की मिट्टी भी बह जाती है। इसके बाद सूखा पड़ता है और फसल नष्ट हो जाती है। इस स्थिति का अन्त होना चाहिये। इन चंचल और अनियंत्रित नदियों पर नियंत्रण तो सरकार ही कर सकती है, यह किसान के बस की बात नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जहां तक संभव हो इन नदियों के ऊपरी भाग में जलाशयों का निर्माण किया जाये ताकि जो अतिरिक्त पानी उन खेतों में आता है, और नदियों के ग्राह्य क्षेत्र के उस बरसाती पानी को जिसे ले जाने में असमर्थ हैं, उसको वहीं रोका जा सके। साथ ही उस रुके हुये पानी का इस्तेमाल सूखा के समय नहर निकाल कर सिंचाई के लिये हो। जहां पानी जमा होता है और पानी का निकास नहीं है वहां पानी के निकास की व्यवस्था की जाये।

इस देश में बाढ़ से कितना घाटा हुआ इसके वास्तविक आंकड़े इस सिंचाई विभाग के पास नहीं हैं और राज्य सरकारों ने अभी तक इन आंकड़ों का संकलन भी नहीं किया है। अक्सर लोग कहते हैं, और बात भी सही है कि आंकड़े बहुत से पेश किये जाते हैं और इस सरकार को ऊंड़ेथो देने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन बाढ़ के तो आंकड़े तक नहीं बने हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस बाढ़ और सूखा वाले क्षेत्र के प्रति यह मंत्रालय कितना उदासीन है। मेरे पास सन १९६२-६३ की रिपोर्ट है उसके पेज १३ पर जो दिया गया है मैं वह पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

> "बाढ़ों से होने वाली हानि का अनुमान पूरा नहीं लगाया गया किन्तु यह ९० करोड़ से अधिक हो सकती है।"

अगर ९० करोड़ रुपयों का घाटा मान लें तो सदियों से यह हालत है। आप देखिये कि इस देश का कितना घाटा हो चुका है। मैं अर्थ शास्त्री का ज्ञाता तो नहीं हूं लेकिन एक बात जानता हूं कि इस आवर्तक घाटे को रोकने के लिये यदि सरकार को अनावर्तक अर्थात् नानरिकरिंग खर्च करना पड़े तो वह सिद्धांततः ठीक है और उसको देश के हित में कहना चाहिये।

जहां ऊपरी के भागों में पानी रोकने के साधन नहीं हैं और बाढ़ आती है, उन गांवों के धरातल को ऊंचा किया जाना चाहिये ताकि बाढ़ के समय गांव की रक्षा हो सके। मरे निर्वाचन क्षेत्र में सात नदियां हैं और सातों में बाढ़ आती है। मैं स्वतः बाढ़ क्षेत्र का निवासी हूं और किसानों को उस सूखे से और उस बाढ़ से जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उसका मुझे अनुभव है। मेरे निर्वाचन क्षेक्ष में गोमती नदी कटेहर परगने के एक हिस्से को काट रही है। गंगा नदी की बीच धारा में सात, या आठ गांव बसे हुये हैं जहां पर गंगा दो धाराओं में हो जाती है और बाद में फिर मिल जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को उन स्थानों को देखने के लिये आमंत्रित करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन स्थानों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, मैं यह महसूस करता हूं कि किसानों की सलाह का सिंचाई विभाग के अधिकारियों की निगाह में कोई मूल्य नहीं है। बाढ़ और सूखे से जिस तरह से खेत बरबाद होते हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का जो रवैया रहता है, उस से खेत में उपज नहीं होती और उसका असर देश पर पड़ रहा है। जितना पढ़ा लिखा वर्ग है एवं पढ़े लिखे नौजवानों का आकर्षण खेती की तरफ से हट रहा है और वे नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं। इसलिये जो सिंचाई के साधन हैं उनका विस्तार होना चाहिये ताकि अधिक से अधिक खेत सींचे जा सकें और लोगों का उधर आकर्षण हो। किसानों को सिंचाई विभाग से समूची सुविधा मिलनी चाहिये। उनकी इच्छा

के अनुसार उनको पानी मिलना चाहिये। वह जितना पानी चाहें खेत में वह उनको मिलना चाहिये, इसलिये कि किसान रेट देता है। गवर्नमेंट का या सिंचाई विभाग का कोई एहसान किसानों पर नहीं है। किसान को जो पानी सरकार देती है उस का वह रेट देता है। अतः सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चाहिये कि वे अधिकार की भावना से हट कर कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित हों।

अब आप ट्यूब वेल के संबंध में देखिये। हर ट्यब-वेल पर एक चार्ट रहता है। अगर उस चार्ट को आप देखिये तो आपको पता चलेगा कि प्रति दिन वह ट्यूब वेल दो या तीन घंटे बिजली की गड़बड़ी से बन्द रहता है। बिजली की गड़बड़ी तो इस हाउस में होती है जब कि मार्शल को स्पीकर के सामने टार्च लाइट कभी कभी दिखानी पड़ती है। यह बिल्कुल सच है। जब सर्वोच्च संस्था में बिजली की गड़बड़ी होती है तो देहातों के अन्दर ट्यूब वेलों पर, जोकि इतने उपेक्षित क्षेत्र हैं वहां कितनी गड़बड़ी होती होगी इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। बाढ़ और सूखा वाले क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जबकि वहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधों को जीवित किया जाय। बाढ़ और सूखा वाले क्षेत्रों में, जहां पर कि कृषि अनिश्चित है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, यदि वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों को जीवित नहीं किया जाता तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में कि रिहन्द की बिजली पास में है। रिहन्द की बिजली का विस्तार गांवों में किया जाय ताकि गांवों के लोग उद्योग धंधों की तरफ आकर्षित हो सकें और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे उस क्षेत्र में पहले थे उनको जीवित किया जा सके ताकि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रिहन्द की बिजली के संबंध में जो विवाद है वह एक तरफ है। उत्तर प्रदेश ने रुपया उसके ऊपर खर्च किया है अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये, उस समस्या का समाधान हो जाने के बाद ही वह दूसरे स्टेट्स को दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी पांच मिनट का समय दे दिया जाय।

†**श्री कोया** (कोजी कोड़े) : मैं अपने राज्य केरल के बारे में ही कहूंगा। हमारे पास न कोयला है और न तेल। जनसंख्या बहुत अधिक है। उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त बिजली की आवश्यकता है। विद्युत् के उत्पादन को हमारे राज्य में एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतिरिक्त बिजली मैसूर और मद्रास को बेची जा सकती है। केरल में ९७.९८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन जल विद्युत् जरियों से होता है। किन्तु यहां भी इसके वितरण में असन्तुलन है। एक बड़ी बात जो विद्युत् विकास के पक्ष में है, इसका कम उत्पादन व्यय है। केरल उद्योगों को विकसित करना चाहता है। इसलिये विद्युत् उत्पादन के विकास को तेज करना पड़ेगा। यह बिजली निर्यात कर सकेगा और इसके लिये दक्षिण को एक खंडीय ग्रिड स्थापित किया जाना चाहिये। यदि माहो से बड़ागरा से नहर का काम शुरू किया जाये, तो कन्या कुमारी से मंगलौर तक नहर द्वारा नौपरिवहन हो सकता है। यदि सरकार केरल सरकार को उसकी सिंचाई की बृहत्तर योजना को क्रियान्वित करने में सहायता दे, तो और ८,९६,००० एकड़ भूमि में कृषि की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कोया]

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव राज्य की एक और समस्या है। सीमित संसाधनों के कारण हमारा छोटा सा राज्य इस समस्या को हल नहीं कर सकता। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह उसकी सहायता करे।

श्रीमती सवोदरा बाई राय : उपाध्यक्ष महोदय, इर्रीगेशन पर जो चर्चा चली है उसमें मैं देखती हूं कि उत्तर प्रदेश वालों ने आज एक यूनियन बना ली है और कहते हैं कि मध्य प्रदेश वालों को रिहन्द डैम से पावर न मिले। हमारे भाई यह बोल रहे हैं कि यह पावर मध्य प्रदेश को न मिले। जब हम एक तरफ राष्ट्र निर्माण के लिए सब तरफ से तैयारी कर रहे हैं तो सदन में इस प्रश्न पर मतभेद नहीं होना चाहिए।

कहा गया है कि रिहन्द डैम पर उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। रुपए की कोई कीमत नहीं हे, चीज तो हमारी जगह में बनी हुई है। अगर आप हमको पावर नहीं देना चाहते तो, आप अपना रुपया वापस ले लीजिए, हम नहीं देंगे अपनी चीज। आप अपनी सिंचाई के लिए दूसरा प्रबन्ध कीजिए।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिल कर यह कदम उठाया था कि दोनों राज्यों को फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। हमारे भाइयों के बीच में यह भावना नहीं होना चाहिए कि वे मध्य प्रदेश के खिलाफ कदम उठा रहे हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश को बिजली नहीं मिलनी चाहिए। मैं बताए देती हू कि अगर उत्तर प्रदेश ने या हमारे माननीय मन्त्री जी ने ऐसा कदम उठाया कि उत्तर प्रदेश को देंगे और मध्य प्रदेशको नहीं देंगे तो हमारा मध्य प्रदेश आन्दोलन उठाएगा और वहाँ के किसान आन्दोलन उठायेंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश वाले ले जाते हैं और मध्य प्रदेश वालों को नहीं मिलती। मैं कई घंटे से सुन रही हूं कि मध्य प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे राज्यों को नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो अच्छी नहरें हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुयें हैं। वहाँ तो इतना ज्यादा पानी है कि बाढ़ें आती हैं,मगर हमारा मध्य प्रदेश तो बैकवर्ड एरिया है। इसमें कोई ऐसी नदियाँ नहीं हैं और न नहरें हैं। हमारा मध्य प्रदेश का एरिया बहुत अच्छा एरिया है। उत्तर प्रदेश में तो हर साल बाढ़ आती है तो कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमको सहायता दो, रुपया दो। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और दूसरे राज्य वाले उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रति उत्तर प्रदेश वालों का सा ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। मैं चार घंटे से यह बातें सुन रही हूं। और देख रही हूं कि काँग्रेस के भाइयों ने एक यूनियनबना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश को यह बिजली न मिले ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर हमको यह बिजली न मिली तो मध्य प्रदेश की जनता और किसान आन्दोलन उठायेंगे और देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश वाले यह बिजली ले जाते हैं। मैं तो कहती हूं कि आधी आप लें और आधी हमको दे दें। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपना रुपया ले लीजिए, यह डैम तो हमारी जगह में बना है, हम आपको नहीं देंगे। इस डैम के बनने से हमारे यहाँ के हजारों किसानों की लाखों एकड़ खेती डूब गयी और उनका बड़ा नुकसान हुआ है। उस जमीन में लाखों मन कोयला निकल सकता था उसका हमारे राज्य को नुकसान हुआ। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने इस का विचार नहीं किया। उसने विचार किया कि केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह राष्ट्र निर्माण का काय है। हमें इसमें सहयोग देना चाहिए। इसलिए मेरी काँग्रेस के भाइयों से प्रार्थना है कि उनका इस तरह विरोध करना मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ के किसानों को बिजली का साधन नहीं है, पानी का साधन नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश तो बैकुण्ठ बना हुआ है। हमारे यहाँ जो कमी है उसके कारण जनता में असन्तोष है और किसानों में असन्तोष है और हमको इलेक्शन के समय बड़ी आफत पड़ती है। लोग कहते हैं कि इस एरिया में कुछ नहीं हुआ है। इसलिये मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना

है कि आप इन सबकी बातों में न आइए और ऐसा कदम उठाइए कि उत्तर प्रदेश का भी भला हो और मध्य प्रदेश का भी भला हो। नहीं तो मैं चैलेंज देती हूं कि अगर केवल उत्तर प्रदेश को पावर देने का कदम उठाया गया और मध्य प्रदेश को पावर न दी गयी तो मध्य प्रदेश की जनता आन्दोलन उठाएगी।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : में केवल कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कहूंगा।

मन्त्रालय ने अपने निर्णय से निराशा और असन्तोष पैदा कर दिया है। यदि केन्द्रीय मन्त्रालय ने सभी मुख्य मन्त्रियों से इकट्ठे सलाह की होती, तो एक सांझा हल निकाला जा सकता था। मन्त्रालय ने जो तदर्थ निर्णय किया है वह समानता तथा न्याय पर आधारित नहीं है। बल्कि राजनैतिक आधार पर किया गया है। यह निर्णय सम्भवत: दबाव और प्रभाव के कारण किया गया है और इसे करने में किसी सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा गया।

कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह जीवन और मत्यु का सवाल है वे कई सालों से आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु केन्द्रीय मन्त्रालय ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने निर्णय के लिए आपात काल की आड़ ली है। यदि इस तदर्थ निर्णय को क्रियान्वित किया गया तो महाराष्ट्र और मैसूर में असन्तुलन और भी बढ़ जायेगा।

मैसूर तथा महाराष्ट्र की सरकार यह दबाव डालती रही हैं कि उन्हें पानी का उचित भाग मिलना चाहिए तथा घाटी में जितना पानी उपलब्ध है, उसे जनसंख्या स्रोत स्थान के क्षेत्रफल तथा कमी वाले क्षेत्र को विचाराधीन रखते हुए बाँटा जाये किन्तु तदर्थ निर्णय करते समय इनमें से किसी सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा गया।

इसके अतिरिक्त गुलहाटी आयोग ने कहा है कि २५०० डी० एम० सी० पानी उपलब्ध है। हिस्से निर्धारित करने की बजाये और उसके बाद कुछ समन्वय करने की बजाय, उन्होंने योजनाओं को सीधा ही अनुमोदित कर दिया है। जब कमी वाले क्षेत्र इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसी योजनाओं को क्यों अनुमति दी गई है।

नागार्जुन सागर परियोजना के कारण, कृष्णा घाटी सम्बन्धी परियोजनाएं जैसा कि मालाप्रभा परियोजना है, मन्त्रालय द्वारा अन्तिम रूप से मंजूर नहीं की गई। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि तीन वर्ष तक इसकी मंजूरी क्यों नहीं दी गई। यदि मंजूरी दे दी गई होती, तो मैसूर सरकार ने आय-व्ययक में इसके लिए पर्याप्त धन रखा होता।

स्वयं नागार्जुनसागर की सारी योजना गलत थी। लगभग २०० टी० एम० सी० स्तर से नीचे हैं। अत: इतने पानी का कुछ प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

कृष्णा घाटी परियोजना के सम्बन्ध में भी केवल पहली अवस्था की मंजूरी दी गई है, दूसरी की नहीं। इससे प्रकट होता है कि मन्त्रालय ने यह निर्णय दबाव के कारणकिया है और न्याय के आधार पर नहीं किया। मैसूर और महाराष्ट्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है। विरोध तो प्रकट किये जायेंगे किन्तु इनसे समस्या हल नहीं होगी। यदि मन्त्री महोदय ने निर्णय को संशोधित न किया, तो मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाना पड़ेगा।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मन्त्रालय को बधाई दिये बिना नहीं रहूंगा कि इसने एक ऐसी सुर्खी छोड़ी है जिससे उसकी माँगों पर होने वाली बहस में आधे से अधिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तन सिंह]

भाग कृष्णा गोदावरी के भमाले ने ले लिया है और इसके कारण जो दूसरी आवश्यक बातें हैं और जो महत्वपूर्ण भी हैं, उनके महत्व पर जो प्रकाश डाला जा सकता था, वह नहीं डाला जा सका है।

इस मन्त्रालय के सम्बन्ध में जो एक बात दावे के साथ कही जा सकती है वह यह है कि सन् १९५० से लेकर १९६० तक हमने विद्युत उत्पादन में १४३ प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ली है और इस को वर्तमान ज़माने में बहुत बड़ी प्रगति बताया है। मुझे खेद है कि समाजवाद का दावा करने वाली सरकार के लिए ऐसी तुलना का वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो तुलना की जाती है वह हमेशा पिछड़ेपन से नहीं बल्कि संसार की वर्तमान अवस्थाओं से अथवा आने वाले भविष्य से की जानी चाहिये। यदि हम वर्तमान अवस्थाओं से अपनी प्रगति की तुलना करते हैं तो एक माननीय सदस्य ने जो आँकड़े दिए हैं और जो प्राक्कलन समिति ने दिये हैं, उनको हमें देखना होगा। १४३ परसेंट बढ़ोतरी होने के उपरान्त भी जो प्रति व्यक्ति हमारे यहां खपत होती है वह केवल ४५·८ किलोवाट होती है जो कि दूसरे देशों के मुकाबले में बिल्कुल नगण्य है। नार्वे में यह खपत ९३०० किलोवाट है, यू० एस० ए० में ४७८० है, यू० के० में २४२० है और युगोस्लाविया में ३०० से अधिक है जबकि हमारे यहाँ केवल ४५·८ है। यदि यही हालत रही तो समझ में नहीं आता है कि समाजवाद हमारे देश में कब आएगा। इसके लिए मेरे विचार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बढ़े बिना समाजवाद का आना सम्भव प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की बात का सम्बन्ध है, उसके लिये बिजली की नितान्त आवश्यकता है। १९६१–६२ जो कि हमारे तीसरे प्लान का पहला साल था, उसमें राष्ट्रीय आय में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि पाँच प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य हमने अपने सामने रखा था। १९६२–६३ में जो कि तृतीय योजना का दूसरा वर्ष है, इसमें औद्योगिक उत्पादन ७·२५ प्रतिशत बढ़ा है जबकि पिछले वर्ष वह १०·५० प्रतिशत बढ़ा था। इस हिसाब से अगर हम चलते गये और प्रतिवर्ष हमारी राष्ट्रीय आय में तीन प्रतिशत की वृद्धि होती गई और दूसरी ओर हमारी आबादी में दो प्रतिशत की वृद्धि होती गई तो हमारी राष्ट्रीय आय के दुगुना होने में ७१ वर्ष का समय लगेगा।

एक तरफ तो यह पिक्चर है और दूसरी तरफ आप देहातों का हाल देखें। गांवों में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य हमने द्वितीय योजना में रखा था और जो तीसरी योजना में रखा है, उसको भी मैं आप को बतलाना चाहता हूं। दूसरी योजना में १०,००० गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हम ने अपने सामने रखा था और तीसरी योजना में २०,००० गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आप देखें कि सारे हिन्दुस्तान के गांवों की संख्या कितनी है। वह करीब ५ लाख ५८ हजार है। यदि तृतीय योजना के लक्ष्य पूरे हो जायें और बीस हज़ार गांवों में बिजली पहुंच जाय तो आप समझ लीजिए कि प्रतिवर्ष हम चार हज़ार गांवों में ही आन एन एवरेज बिजली पहुंचा सकेंगे और इस के हिसाब से हम को १४९ वर्ष लग जायेंगे सभी गांवों में बिजली पहुंचाने में।

हमें जो काम करने हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ हमारा उत्पादन घटता जा रहा है और दूसरी तरफ हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में २·३० मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने की हम में क्षमता हो पाई थी और हम ने लक्ष्य रखा था ३·७० मिलियन किलोवाट का जबकि प्राप्ति हमें हुई केवल ३·४२ की जिस का मतलब यह हुआ कि २८ मिलियन किलोवाट की कमी रही। द्वितीय योजना में १·३० मिलियन किलोवाट की कमी थी। अब प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि १९६१ में कमी ३५१·१ मैगावाट्स की थी जो बढ़ कर के १९६६ में ४५५ ३ मैगावाट्स की हो जायगी। हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है बिजली की मांग पूरी नहीं हो पा रही है।

एक दूसरी सब से बड़ी कमी है जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब किसी कमी की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो एक रटा रटाया जवाब मिल जाता है, एक साइक्लोस्टाइल्ड जवाब मिल जाता है कि सरकार जागरूक है, कि सारा काम उचित ढंग से चल रहा है और अमुक पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालत यह है कि आज तक वह हो नहीं पाया है। यदि बहुत ज्यादा बार कहा जाता है और बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तो सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक कमेटी नियुक्त कर देती है और वह कमेटी सब समस्याओं पर बैठ कर विचार करती है और जब तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है उससे पहले ही वह समस्या अपना पीछा अपने आप छुड़ा लेती है। इस तरह से सारा चक्र चलता रहता है। इस सब का कारण यह है कि हम ने बिजली की आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया है, वह आवश्यकता से कम लगाया है। यदि उत्पादन ज्यादा होता है तो कोई उस से घाटा नहीं पड़ता है और उद्योगों को आसानी से पनपने का मौका मिल सकता है।

इस समय बिजली के उपकरणों का हम बाहर से आयात करते हैं और यह लगभग ३२ करोड़ का है जबकि हमारे यहां पर यह सब पैदा हो सकता है,सब तैयार हो सकता है। पर हो क्यों नहीं पा रहे हैं : कहा जाता है कि वह हमारी घोषित नीति है, उसके विपरीत है, हमारा जो इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन है और जिस के शैड्यूल्ड ए में यह कहा है कि बिजली का उत्पादन और उसका वितरण सब सरकार करेगी, उस को अमल में तो ला रहे हैं लेकिन जो फायदा लोगों को मिलना चाहिये और जिस हद तक मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। हमें अपने औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाना है और साथ ही साथ हम अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हो। लेकिन हमारे यह विभाग हैं, वे इतनी धीमी गति से चलते हैं कि कुछ ठिकाना ही नहीं। इस एटोमिक युग में, एटम बम के युग में, अगर मैं तुलना करूं तो कह सकूंगा कि एक लंगड़े घोड़े पर चढ़ कर कोई आदमी अपनी समस्याओं का हल खोजता फिरता है और समस्याओं का समाधान खोजता फिरता है। प्रक्षेपणास्त्रों से हमारा मुकाबला है, हमारा कम्पीटीशन है। यदि हम प्राइवेट सैक्टर को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, उस की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कहना पड़ेगा कि हमारी जो घोषित नीति है, उस के विपरीत हम बात कर रहे हैं। घोषित नीति का अमल मेरे ख्याल से राष्ट्र के हित में होना चाहिये। यदि घोषित नीति केवल मात्र घोषित नीति ही रहती है तो समझ में नहीं आता है कि उस घोषित नीति को हम खायेंगे, पीयेंगे या ओढ़ेंगे। हमें बिजली उपलब्ध करने की ओर वस्तुत: ध्यान देना चाहिए।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारी कुल कृषि के अन्तर्गत जो भूमि है, वह ३७० मिलियन एकड़ है और योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि १४० मिलियन एकड़ में सिंचाई हो नहीं सकती है। जो इस तरह से २३० मिलियन एकड़ भूमि बचती है, उस में से ९० मिलियन एकड़ भूमि के लिए ही हम सिंचाई की योजना बना पाये हैं। जो कुल मिला कर के जितनी हमारी काश्त होने वाली भूमि है, जिस में सिंचाई हो सकती है, उस का केवल ३९ प्रतिशत ही है। समझ में नहीं आता है कि इतना खर्च करने के बाद भी और जबकि हमारे ऊपर इस समय लगभग सात हज़ार करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है, हम केवल ३९ प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं और ६१ प्रतिशत के करीब बाकी है, उस में सिंचाई की हम कब व्यवस्था कर पायेंगे। ऐसी हालत में किस तरह से हमारी खाद्य की समस्या हल हो सकती है, इसको आप ही समझ सकते हैं।

अब मैं राजस्थान नहर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हम ने विशेषज्ञों के हाथ में अपने आप को खिलौना बना डाला है और उन के हाथ में हम खेल रहे प्रतीत होते हैं। पहले अनुमान लगाया गया था कि ४२५ मील लम्बी नहर बनेगी और वह १९६७-६८ में पूरी होगी और उसे

[श्री तन सिंह]

पर जो खर्चा आयेगा वह लगभग ६६·४६ करोड़ आयेगा। अब इस अवधि को बढ़ा कर १९७५-७६ कर दिया गया है,यानी इस को आठ वर्ष पीछे धकेल दिया गया है और जो खर्चा ६६ करोड़ था, उसके बजाय वह ९६ करोड़ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि खर्चे में तो पचास प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी हो गई और समय में अस्सी प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी हो गई। इस तरह की चीजें जो हैं, इनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

मुझे खेद है कि जितने आंकड़े मैं ला सकता था, लाया हूं लेकिन बहुत ही कम को उन में से मैं आप के सामने पेश कर पाया हूं। यह भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितनी प्रगति हो रही है, जितना काम हो रहा है, वह पचास प्रतिशत भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में अगर हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि यह सपना केवल सपना ही हो कर रह जायेगा और वह वास्तविकता में कभी परिणत नहीं होगा।

†**श्री द० ब० राजू** (नरसापुर) : आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय समृद्धि का मुख्य जरिया सिंचाई है। सरकार को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए तुरन्त कुछ कार्य करना पड़ेगा। एक तरीका यह है कि विभिन्न चालू परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाये।

हमारे राज्य में लोग इस बात से चिन्तित हैं कि उसे गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा जैसी नदियों के भाग से वंचित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम मैसूर और महाराष्ट्र से अपील करेंगे कि हमारे प्रयत्नों में बाधा न डालें।

आंध्र सरकार ने नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए योजनायें बना ली हैं। गुलहाटी आयोग ने विभिन्न राज्यों के बीच शक और कटुता पैदा कर दी है। चाहे मैसूर या महाराष्ट्र को कोई स्थायी लाभ हो या न हो, आंध्र को जरूर नुकसान है। नदियों के पानी के वितरण के बारे में राज्यों के झगड़ों को रोकने के लिए इनको राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिये। इस में उनके प्रवाह स्थल का विचार न आने दिया जाये। उन परियोजनाओं को जिन पर न्यूनतम निर्धारित व्यय से अधिक व्यय आता हो राष्ट्रीय परियोजनाएं समझा जाये तथा उनका निर्माण कार्य एक साथ शुरू किया जाये ताकि सम्बन्धित नदियों के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके।

मैं समझता हूं कि एक ऐसी नदी के पानी के प्रयोग के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए जिससे दोनों को लाभ पहुंच सकता है, झगड़ा करने से बहुत ही शक्ति व्यर्थ चली जाती है।

आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी की दोनों ओर बाढ़ों को रोकने के लिए बांध बनाने पर बहुत सा रुपया खर्च करता है, किन्तु उनके टूट जाने का खतरा बराबर बना रहता है।

१९४६ में राम प्रदसागर परियोजना को विभिन्न राजनीतिक कारणों से मंजूरी नहीं दी गई थी। इसको क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे ३५ करोड़ रुपये के विशेष आवंटन से अगले वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश को काफी रकम दें । यह प्रादेशिक और सुपर-ग्रेड की स्थापना की योजना के भी अनुकूल होगा ।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक बुधवार, २७ मार्च, १९६३ / चैत्र ६, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २६ मार्च, १९६३

५ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उतर—		२६८७—२७१३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७६	दिल्ली में वृत्ताकार रेलमार्ग	२६८७—८९
५७७	दिल्ली में रेल के पुल पर यातायात	२६८९—९१
५७८	कृषि उत्पादकों के मूल्य	२६९१—९३
५७९	गुड़ तथा खाण्डसारी बनाने पर प्रतिबन्ध	२६९३—९५
५८०	दूसरा जहाज निर्माण कारखाना	२६९६—९७
५८२	जोधपुर में सेना के सन्देशवाहक की हत्या	२६९८
५८३	एजेटोबैक्टर तथा फास्फो—बैक्ट्रिन के सम्बन्ध में अनुसंधान	२६९८—२७०२
५८४	मनीपुर राज्य परिवहन	२७०२—०४
५८५	दिल्ली में चीनी का व्यापार	२७०४—०५
५८६	विश्व खाद्य कार्यक्रम	२७०५—०७
५८७	विश्व खाद्य कार्यक्रम	२७०७—०९
५८८	श्रमिकों की मंजूरी का खाद्य के रूप में आंशिक भुगतान	२७०९—१०
५८९	बूचड़खाने	२७१०—१२
५९०	सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेलवे पास	२७१२—१३
प्रश्नो के लिखित उतर—		२७१३—५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
५८१	पंचायती राज्य अधिकारियों का प्रशिक्षण	२७१३
५९१	चीन में भारतीय बन्दियों के लिये पार्सल	२७१४
५९२	टेलीफोन का दूसरा कारखाना	२७१४
५९३	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास	२७१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५९४ पूर्वोत्तर रेलवे २७१५
५९५ मिलों को गन्ने का संभरण २७१५
५९६ डब्ल्यू० पी० इंजन २७१६
५९७ उत्तर प्रदेश में गन्ने पेरने का मौसम . . . २७१६
५९८ मुगलसराय यार्ड २७१६–१७
५९९ दूध के कार्ड २७१७–१८
६०० चीनी का उत्पादन २७१८
६०१ जहाज माल भाड़ा दरें २७१८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११२० पलाना कोयला खान के लिये वेगन . . . २७१८–१९
११२१ उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना . . . २७१९
११२२ रेलों में नैमित्तिक कर्मचारी . . . २७१९
११२३ शेर प्रजनन २७१९–२०
११२४ मोरों का परिरक्षण २७२०
११२५ हरी और गोबर की खाद २७२०–२१
११२६ कोर्टपल्लम के लिये रेलवे रियायत . . . २७२१
११२७ भामा (मध्य प्रदेश) में डाकघर . . . २७२१–२२
११२८ सम्बलपुर-टीटागढ़ रेलवे लाइन . . . २७२२
११२९ उड़ीसा में पटसन का विकास २७२२
११३० पंचायत समिति कार्यालय में टेलीफोन . . . २७२३
११३१ रायगढ़ में रेलवे बस्ती २६२३
११३२ क्रासिंग स्टेशन २७२३–२४
११३३ भुवनेश्वर में डाक तार क्वार्टर . . . २७२४
११३४ विकास खंडों के बजट २७२५
११३५ हावड़ा से बम्बई तक जनता एक्सप्रेस . . . २७२५–२६
११३६ भारतीय नौवहन समवाय २७२६
११३७ अल्प-कालीन खाद्य फसलों और सब्जियां . . . २७२७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नो के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११३८	आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	२७२७
११३९	भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री भाड़े	२७२८
११४०	द्रुत माल गाड़ियां	२७२८
११४१	ग्राम पंचायतें	२७२९
११४२	पौधा प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान	२७२९
११४३	दिल्ली के लिये टेलीफोन	२७३०
११४४	चावल का भाव	२७३०—३१
११४५	नारियल के बागान	२७३१
११४६	भारतीय जहाजों के लिये रडार	२७३१
११४७	जालन्धर-पठानकोट राजपथ	२७३१
११४८	रेलवे सैलून	२७३१—३२
११४९	कपास के फार्म	२७३२
११५१	हुबली तक रेलवे की बड़ी लाइन	२७३२—३३
११५२	भारत में न रहने वाले एक भारतीय नागरिक द्वारा भारतीय नौवहन समवाय में विनियोजन	२७३३—३४
११५३	लावारिस कुत्ते	२७३४
११५४	बीकानेर शहर में ऊपरी पुल	२७३४
११५५	ट्रालो चलाने वालों के लिये बरसाती	२७३५
११५६	बीकानेर डिवीजन में रेलवे क्वार्टर	२७३५
११५७	बीकानेर में टेलीफोन	२७३५
११५८	पंजाब में बागबानी	२७३६
११५९	आसाम में सहकारी आन्दोलन	२७३६
११६०	रेलों में दिये जाने के लिये चाय	२७३६—३७
११६१	पांडू अमिनगांव समुद्री नौघाट	२७३७
११६२	पशुओं की मृत्यु	२७३७—३८
११६३	कृष्य भूमि का अर्जन	२७३८
११६४	पटना स्टेशन के पास दुर्घटना	२७३८
११६५	औडिहार जंक्शन पर ऊपरी पुल	२७३९
११६६	प्रशिक्षण वृत्तिका	२७३९

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११६७ राष्ट्रीय राजपथ (उड़ीसा) २७३९
११६८ उत्तर प्रदेश तेल उद्योग के लिये माल डिब्बे . २७३९–४०
११६९ 'जायद' फसलें २७४०
११७० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी २७४०
११७१ यवतमाल-मुर्तजापुर रेलवे २७४१
११७२ सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास . २७४१
११७३ राष्ट्रीय पक्षी . . . २७४२
११७४ दिल्ली में सड़क के पुल . . . २७४३–४४
११७५ इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा विद्यार्थियों को रियायत . २७४४
११७६ परिवहन सहकारी समितियां . . . २७४४
११७७ मध्य प्रदेश के लिये डाक तथा तार सर्विस २७४४–४५
११७८ हर्रा पर निर्यात कर . . . २७४५
११७९ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये फाकर फ्रेंडशिप विमान २७४५
११८० कोवालाम का महल . २७४५
११८१ इम्फाल के लिये दूध संभरण योजना २७४६
११८२ नीनडाकरा पुल २७४६
११८३ उत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार के मामले . २७४६–४७
११८४ पंजाब में मत्स्य पालन का विकास २७४७
११८५ कीटाणु नाशक औषधियां . . २७४७
११८८ आनन्दनगर स्टेशन के निकट दुर्घटना . २७४८
११८९ दिल्ली दुग्ध संभरण योजना . . २७४८
११९० रेलवे दुर्घटना को रोकना २७४८–४९
११९१ रेलवे क्वार्टर . . . २७४९
११९२ लोहे के ढले हुए स्लीपर . . २७५०
११९३ रेलवे द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क २७५०
११९४ रेलवे को नुक्सान . २७५०–५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७५१

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन

विषय पृष्ठ

करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ०१२/५६/६२-पी०आर० (टी०)।

(ख) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१०२/६०–६२/परिवहन .

(ग) दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/२६/६२-पी० आर० (टी०)।

(घ) दिनांक ७ फरवरी, १९६३ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(७६)/६०–६२/परिवहन।

(२) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५१३ की एक प्रति।

(३) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

(४) असम को बड़ी लाइन के साथ मिलाने के लिये सर्वेक्षण के बारे में दिनांक २५ मार्च, १९६३ को रेलवे मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ६२/डब्ल्यू ४/सी एन एल/एन एफ/१७ की एक प्रति।

अनुदानों की मांगें २७५२—२८०५

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २७ मार्च, १९६३ / ६ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि .

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और श्रम रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—62 (Ai) LS—27-5-63—160.

विषय-सूची—जारी

अनुदानों की मांगे—जारी	पृष्ठ
श्री यमुना प्रसाद मंडल	२७७३—७९
श्री करुथिरमण	२७७९—८०
श्री शिवशंकरन	२७८०—८१
श्री अ० चं० गुहा	२७८१—८२
श्री गजराज सिंह राव	२७८२—८३
श्री अलगेशन	२७८३—८९
श्री यशपाल सिंह	२७८९—९२
श्री प्र० चं० बरुआ	२७९२—९३
श्री ओंकारलाल बेरवा	२७९३—९५
श्री राम स्वरूप	२७९५—९७
श्री बालकृष्ण सिंह	२७९७—९९
श्री कोया	२७९९—२८००
श्रीमती सहोदरा बाई राय	२८००—०१
श्री शंकरय्या	२८०१
श्री तन सिंह	२८०१—०४
श्री द० स० राजू	२८०४—०५
दैनिक संक्षेपिका	२८०६—१०

PLS. 41. XV. 28. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।